असामाजिक मूल्यों से आक्रान्त मानव की कहानियां

कानून और मन

यशवन्तसिंह नाहर

देवनागर प्रकाशन
चौड़ा रास्ता, जयपुर

कानून और मन

प्रकाशक : देवनागर प्रकाशन
चौड़ा रास्ता, जयपुर
मुद्रक : एलोरा प्रिण्टर्स, जयपुर
कलापक्ष : विजय शुक्ल
मूल्य : पच्चीस रुपये

KANOON AUR MAN

स्वर्गीय श्रीमती निर्मला को—

कानून और मन

विश्व की समस्त अनियमितताओं के पीछे एकमात्र कारण है, पुरुष और नारी के अनियमित सम्बन्ध। जब वे पूर्णतः ठीक हो जायेंगे विश्व से युद्ध समाप्त हो जायेगा, अपराध समाप्त हो जायेंगे। अनियमितताओं और अन्यायों का समूल नाश हो जाएगा। मानव स्वभाव में मूल तो यही सम्बन्ध है या हमारी समस्त क्रियाओं की प्रेरणा है। अक्सर यह कहा जाता है कि विश्व युद्धों के पीछे जर जोरू और जमीन है। साम्यवादी देशों में जर जमीन का विवाद समाप्त कर दिया और जोरू के सम्बन्ध भी इतने सहज कर दिए कि उनमें कहीं भी कठिनाई, बाधाएं या रुकावटें नहीं हैं। पुरुष और नारी के सम्बन्धों को समाजवादी देशों ने अर्थ से जोड़ा है। दोनों को ही नहीं दोनों की संतानों को भी इससे निवृत्ति दिला दी–न पुरुष प्रधान और न नारी प्रधान व्यवस्था है। वह व्यवस्था एक तरह से मानव की है और उसे कम से कम कटु बनाया जा सके ऐसी व्यवस्था की गई है।

हम हमारे विवाह सम्बन्ध की बहुत कीर्ति गाते है। वह मानवीय नहीं है, दैविक है। इन जन्म का न होकर जन्म जन्मान्तर का सम्बन्ध है और हम उस पर गौरव करते हैं और इसी कारण हिन्दु धर्म शास्त्र में तलाक का कोई प्रावधान नही है। 1956 में जब लोकसभा मे तलाक का प्रावधान

किया गया तो बड़ा तूफान मचा जबकि हिन्दू जाति में 75% लोगों में तलाक प्रथा प्रचलित है और वह केवल पैसे के आधार पर निपटी जाती है।

कानून पास हो जाने के बाद हमने शायद राहत की सांस ली। जैसे हमने बहुत बड़ा कदम उठा लिया, पुरुष और नारी के सम्बन्ध को सहज बना दिया, लेकिन वस्तुतः जब एक मुकद्दमे में वकील बनना पड़ा तब पता लगा कि यह कानून जितना जल्दी सरल हो या फिर प्रथा से यह समाज के समस्त वर्गों में धीरे-धीरे प्रचलित हो जाए, अच्छा है।

तलाक के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न बहु विवाह-कानून का है। इसमे भी क्या परिवर्तन किया ? राज्य ने कह दिया कि राज्य कर्मचारियो को दो स्त्रियां से विवाह कर एक साथ रखने का अधिकार नहीं है, नही तो वे नौकरी से निकाल दिए जायेंगे।

ऐसे ही एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी पत्नी के विरुद्ध तलाक का दावा किया। अर्थात् न्यायिक अलगाव का, पति पत्नी के सम्बन्धो को कुछ काल के लिए स्थगित करने का प्रयोग ! —वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है वह कई व्यक्तियों से सम्बन्ध रखती है और वादी को पति का अधिकार पूरा करने का अवसर नहीं देती अतः दो वर्ष के लिए न्यायिक रिवार्ड कर बाद में तलाक करा दिया जाए।

प्रतिवादी ने इन अभियोगों से इन्कार किया और अपनी तरफ से नए अभियोग लगाए कि पति चरित्रहीन है। उसका कई स्त्रियों से अनुचित सम्बन्ध है। वह कभी भी प्रतिवादी के पास नहीं आता। प्रतिवादी राजकीय शाला में द्वितीय श्रेणी की ग्रेजुएट शिक्षक थी। वादी हिसाब विभाग मे साधारण हिसाब लिपिक या जूनियर हिसाब अधिकारी था।

दोनों कानून से ही विवाह विच्छेद कर नया सम्बन्ध कर सकते है।

दावा हुआ। उस पर प्रतिवादी ने कई स्पष्टीकरण मांगे। अन्त मे पूरे डेढ़ वर्ष बाद प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत हुआ और उसके बाद वकील की तरफ से

देरी प्रारम्भ हुई। एक पेशी मेरी बीमारी से बदली। चार पेशियाँ प्रतिवादी के वकील के अन्यथा व्यस्त होने के कारण बदली और पूरे नौ माह बाद निर्णायक प्रश्न बने। इस तरह पूरे दो वर्ष इस प्रारम्भिक कार्यवाही में बीत गये। फिर गवाहान की सूची प्रस्तुत करने का अवसर आया तो वादी मुझे खिन्न लगा, उसका सारा उत्साह जैसे गायब हो गया था। उसने हाथ जोड़ कर कहा—वकील साहब और कितने वर्ष लगेंगे। मैंने कहा—तुम देख रहे हो देर तो अनावश्यक होती जा रही है।

उसने कहा—मैं दावा कर बेवकूफ बना।

'वह मैं तुम्हे बहुत पहले बता चुका था। मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि ऐसे सम्बन्धों को लेकर न्यायालय में मत जाओ कोई न कोई समझौते का मार्ग ढूंढ लो।' वादी ने सिर पर हाथ रखकर कहा 'हां, आपने तो कहा था लेकिन मेरे ही खोटे भाग थे जो इतना लम्बा हो रहा है। एक बात मेरी समझ में नही आ रही है। ये आपने तहकीकात क्या बना ली और अब गवाह किस बात के। मैं उसे चरित्रहीन कह रहा हूँ और वह मुझे। क्या एक दूसरे को चरित्रहीन मानने के बाद वे पति पत्नी रह सकते हैं। आप न्यायिक अलगाव की डिग्री क्यों नही ले लेते। उसने निश्वास लिया और फिर उसके बाद दो वर्ष—क्या देखेगी सरकार। एक बार अलग होने के बाद क्या हम कभी करीब हो सकेंगे? इतना विभेद हो जाने के बाद एक दूसरे को इतनी भयकर गालियां निकालने के बाद— न मैं पीछे हूं और न वही पीछे है। होड़ में हम एक दूसरे से आगे निकल गए हैं। वकील साहब अब मैं तो थक गया हू। एक बात बताऊं। जब मेरे इस पत्नी से सम्बन्ध खराब हो गए तो मैंने एक लडकी से विवाह करने का निर्णय लिया था। मैंने अपनी इच्छा उस पर जता दी और उसने भी स्वीकृति दे दी। लेकिन बेचारी कब तक इन्तजार करेगी। आखिर थककर उसका भी विवाह परसों हो रहा है। मेरी उम्र ढलती जा रही है। कम से कम दो-तीन वर्ष कार्यवाही में लग जायेंगे और फिर ५। वर्ष न्यायिक अलगाव पाँच वर्ष में तो प्रौढ हो जाऊंगा। बाल सफेद,

कौन लड़की मुझसे विवाह करेगी। आपने यह क्या कानून बनवाया। इससे अच्छा होता तलाक का कानून बनाते ही नहीं।

मैंने कहा—भाई कानून तो संसद ने बनाया और मुझे मालूम है इस पर कानून बनते समय भी संसद और बाहर बहुत हो हल्ला हुआ। तूफान मचा जैसे हिन्दू जाति, उसकी संस्कृति, सभ्यता सब समाप्त हो जाएगी। जैसे बंधे रखने में ही हिन्दू जाति की श्रेष्ठता है। पता नही इतना विकट कानून बनाकर किसका भला किया। पुरुप या नारी का—मेरी मान्यता है दोनों का अमंगल हुआ है।

वादी बड़ा निराश हुआ—वकील साहब मैंने कभी पढ़ा नहीं था। न कानून के ये रूप जानता था। मैं तो यह सुन चुका था कि हिन्दू जाति मे भी तलाक कानूनन प्रचलित हो चुका है। बस यही मेरी विकटता है और बहक का कारण बना।

'मैं नहीं समझा।'

'मैं बताता हूँ। हम पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे थे। दोनों कहीं न कही स्वतन्त्र भी। वह अपना कमाती, मैं अपना कमाता हूं। वह मुझसे ज्यादा ही कमाती है। पुरुष का एकाधिकार कब तक मानती। मुझे उसके चरित्र के सम्बन्ध में शंका थी। फिर एक उपन्यास पढ़ा था 'कार्यशील महिलाओं की कहानी'। उसमें इसी बात पर प्रकाश डाला गया है। एक दिन वह देर से लौटी। मैं ताव में था। किवाड़ खोलते ही मैंने थप्पड मारकर कहा—किस यार के यहां रुक गई।'

उसको भी ताव आ गया—'आप झूठा लाँछन लगा रहे हैं।'

'तो कहां रह गई?'

'स्कूल के वार्षिकोत्सव में।'

'यह झूठ है। तुम कलंकिनी हो-छिनाल, रण्डी'—मैं बक गया। वह सीधी अन्दर गयी अपना सामान लपेटा। दोनों बच्चों को साथ लेकर

उसी समय रिक्शा मंगाया और रवाना हो गयी। सीधी अपने पीहर चली गयी। मैं गुस्से में था। झुकना नहीं चाहता था न उसको जाते हुए रोका और न बाद में उसे मनाने गया न संदेश ही भेजा। मन में शंकाओं पर शंकाएं घर करती गयी। कार्यशील महिला कब तक पीहर में भाई के साथ रहती। उसके माता पिता दोनों मर चुके थे। उसकी सखी ने मुझे कई बार आकर कहा कि मेरी शंकाएं निराधार है और यदि मैं एक बार उससे मिलने चला जाऊं तो वह आ जाएगी।

मैंने टोका–तुम क्यों नहीं गए ?

'वही बता रहा हूं–सीता को शंका पर निकाला था। राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। स्त्री कुटुम्ब का गौरव है वह उसका कीर्तिमान है उसका जय स्तम्भ है। एक बार उस पर काला दाग लगा नहीं कि वह कुटुम्ब समाप्त हो जाएगा। भगवान राम इसी घटना पर तो मर्यादा पुरुषो-त्तम बने फिर भला मुझे अपने कुटुम्ब की इज्जत क्यों नहीं अच्छी लगती। एक बात बताऊं जहां पिता के नाम सन्तान चलती हो उस कुटुम्ब में स्त्री का सौ प्रतिशत पवित्र होना अत्यन्त आवश्यक है। सन्तान पर नाम तो मेरा खुदा हो और वह हो किसी और का। इसी कारण मैं नहीं गया। तो तलाक का जो कानून है मैं उससे छुटकारा पा लूंगा और नयी बीबी ले आऊंगा।'

मैंने कहा–मुझे वास्तव में दुःख है कि आपको न माया मिली न राम ही। न छुटकारा मिला न नयी बीवी ही और ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है त्यों-त्यों आपका भविष्य अधिक अंधकारमय होता जा रहा है। अब कोशीश करूंगा कि जल्दी ही मुकद्दमे का निर्णय हो।

वादी के जल्दी करते हुए भी छः माह लग गए। प्रतिवादी को अवसर मिला तो उसने गवाहान को अदालत के द्वारा तलब करा लिए तीन-चार पेशियों पर सम्मन की तामील नहीं हुई। हमने जिम्मा लिया कि प्रतिवादी के गवाहान पर सम्मन की तामील हम करायेंगे। इसमें पूरा एक

साल लग गया। पेशी के दिन वादी आया। वकील साहब औरत के पीछे भागने वाले सौ मर्द, लेकिन मर्द के पीछे कौन औरत भागेगी और फिर मुझे जैसे असुन्दर व्यक्ति के। वह साली मजे कर रही है--अधिकारियों को शरीर दे रही है और तरक्की पा रही है। आपको मालूम है वह प्रधाना-ध्यापिका हो गयी है। मेरी तरक्की क्या हो ? सालाना वेतन बढता था वह भी अब अन्तिम सीमा पर पहुंच गया। अब उसको दुगुना वेतन मिल रहा है–सम्मान है। सब अधिकारी उसके इर्दगिर्द चक्कर लगाते हैं। मैं क्या करूं। अब भी एक लड़की मिल रही है–लेकिन वह साली जानती है कि मुकद्मा समाप्त हो जाएगा तो मैं नयी शादी कर लूंगा। इसलिए वह मुकद्मा लम्बा करती जा रही है। उसे क्या हानि हो रही है ? मेरे दोनों बच्चे उसके पास हैं। चपरासी रोटी बनाता है। रात को उसको खुश करने कोई न कोई अफसर आ ही जाता है। आप उसे डिसमिस नहीं करा सकते।

मैंने कहा– कैसे भाई ?

'आप तो राज में है। बस मंत्री महोदय को कह दो उसे डिसमिस कर दे।' मैंने कहा–मैं यह काम नहीं करता–और आज किसी की शक्ति नही कि किसी को अकारण नौकरी से निकाल दे।

'तो आप तबादला तो करा दीजिए।'

'इससे आपको लाभ।'

उसने अन्दर ही अन्दर जूझ कर उत्तर दिया। 'मेरी जलन कम होगी न वह यहां रहेगी और न मैं उसके सम्बन्ध में कोई बात सुनूंगा।'

'तुम तो बता रहे थे कि उसके सब अधिकारी उसके इर्दगिर्द फिरते हैं। फिर मेरी बात कोई क्यों मानेगा और मैं क्या कह कर तबादला कराऊं ?'

'वकील साहब क्या मैं किसी औरत को अपने पास रख भी नहीं सकता ?'

मैंने उसे साहस दिलाया—रख क्यों नही सकते । एक नहीं दस रखो—बस विवाह सूत्र न हो बाकी एक साथ दस स्त्रियां तुम्हारी पत्नी रूप बनकर रहे । कोई रोक नहीं । बस विवाह की रोक है कानून कानून को बाँधता है । कानून उसको नहीं बांधता जो उसके दायरे में नहीं आता ।

'तो मैं एक रसोइयदार नाम देकर रख लेता हूं । शादी कर क्या कर लूंगा ?'

मैंने उसकी तरफ देखा, 'कोई है ।'

'अरे साहब पैसे में क्या नहीं मिलता । सब मिलता है सिर्फ मां नहीं मिलती । वह हँसा—औरत का प्यार गली-गली मिल जाएगा लेकिन मां की ममता तो आत्मा के कोशिकाओं में जन्म लेती है । वह हमारे संस्कार के द्वारा उदित होती है । न वह खरीदी जा सकती है और न मुफ्त में ही मिलती है । वह जब बिरले को, अनाथ को मिलती है तो उसको सब कुछ मिल गया । विश्व की अलभ्य वस्तु, भगवान का प्यार, प्रभु की कृपा; सब ही तो मां की ममता के पीछे गौण है ।

अच्छा ।

आयन्दा पेशी पर गवाहान की तामील तो हो गयी लेकिन बड़ी कठिनाई से । गवाहान की संख्या 20 थी । उनका इन दोनों व्यक्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं था । वे केवल केस को लम्बा करने के लिए तलब कराये गये थे । मेरा मुवक्किल बड़ी कठिनाई से उन पर सम्मन तामील करा पाया ।

फिर वारण्ट के तामिल कराने का प्रश्न आया तो वादी को क्रोध आ गया ।

'क्या तलाक देने में उस साली के गवाहान को भी मुझे बुलाना पड़ेगा ।'

मैंने कहा— नही, बात यह है कि सम्मन के बाद वारंट तामील हो जाने के बाद नहीं आए तो उनकी जमानतें जब्त हो जायेंगी । या तो प्रतिवादी गवाहान को बंद करेगा या खुद को लाकर पेश करना होगा

वादी ने हाथ जोड़ दिए। 'वकील साहब इतनी कसरत मालूम होती तो मैं दावा करता ही नहीं। वकील साहब आपकी अदालत क्या देखकर गवाहान को मौका दे रही है। क्या प्रतिवादी को बांध नहीं सकती कि वह अपने गवाह लाए।'

मैंने कहा—भाई क्या करें कानून ही ऐसा है। मै मानता हूं यह सब बदलना चाहिए।

'जब बदलेगा तब मैं नही रहूंगा।'

'तुम ठीक कहते हो।'

'क्या करें, ब्रिटिश कानून ज्यो का त्यों चला आ रहा है। हम कोई साहस ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे कानून को बदल दें।'

वकील साहब—मैं तो अब थक गया हूं। मुझे आगे कार्यवाही नही करानी है। 'अगर नहीं कराऊं तो क्या हानि होगी।'

'खर्चा लग जाएगा।' 'एक बात और है वह झूठा बदनाम करने का दावा ला सकती है।'

'लाने दीजिए। तब मैं भी उसे लम्बा करता जाऊंगा और मैं अपने गवाहान की सूची पेश कर दूंगा। उसे ही मेरे गवाहान को ढूंढना पड़ेगा तब उसे मालूम होगा। वकील साहब मुझे एक नौकरानी मिल गयी है। बहुत अच्छी है, बड़ी भोली सलोनी, बेचारी विधवा। वकील साहब बिना औरत जिन्दगी ही क्या ?'

'कोई न कोई तो आपके पास होना चाहिए। और सच यह है कि आप मरो तब किसी न किसी के आंसू देख सको ताकि आपको मौत सुखद आ जाए।'

'वह टिक जाएगी।'

'क्यों नही टिकेगी। उसको पैसे चाहिए, पुरुष चाहिए। वह मैं उसे दे रहा हूं। मुझे औरत चाहिए। घर पर बनी गरम रोटी—वक्त पर चाय। वह सब मुझे दे रही है।' बस वकील साहब आप मेरा मुकद्दमा खारिज करवालें। साली को तलाक देने में इतना झंझट पड़े—जितना लड़की ढूंढने में। भाड़ में जाएं उसके गवाह और वह—बस मैं अब अपनी नयी औरत से खुश हूं। हां इस कारण नौकरी तो नहीं जायेगी। मैंने कहा कभी नही—वह प्रसन्न होकर चला गया।

चरित्रहीन

उस पर अभियोग यह था कि उसने अपनी पड़ोसिन को पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयत्न किया। गवाह स्वयं भी पड़ोसिन थी। अभियुक्त की आयु पच्चीस वर्ष की थी और पड़ोसिन पैंतालीस से कम नहीं होगी। दो अन्य गवाह थे जो पड़ोसिन मुन्ना देवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे थे और अभियुक्त महेन्द्रप्रताप को भागते हुये देखा था। मुझे मुकद्दमा बड़ा अटपटा लगा—अभियुक्त ने इन्कार किया। उसे सच मानते हुए अभियोग को असम्भव बताने की कोशिश की और साक्षीगण बहक गये। सिर पैर की बाते करने लगे। स्त्री के चरित्र के सम्बन्ध में भी कई साक्षी मिल गए। यही नहीं स्त्री ने कई ऐसी बातें बताईं जो उसके चरित्र की हीनता को प्रकट कर रही थी।

आयु का अन्तर मुझे मुकद्दमे की सच्चाई को मानने से इन्कार कर रहा था। मुझे एक वकील मित्र ने बताया कि हम दोनों साथ सिनेमा देखने गए थे। कोने की सीट पर मैं बैठा था। मेरे पड़ौस की सीट पर वह मित्र बैठा—अंधेरा हुआ। एक प्रौढ स्त्री उनके पास आकर बैठ गई और धीरे-धीरे अपने शरीर से उनका स्पर्श करने लगी। अंधेरा बढ रहा था कि

उसने ऐसी हरकत की कि मेरा मित्र घबड़ा गया । उसने कहा बस यहां से उठ जाएं । हम उठकर खाली सीटों पर जा बैठे । वह स्त्री भी उठकर आई और उनके पास आकर बैठ गई । वहां भी यही हरकत प्रारम्भ की तो मेरे मित्र को पसीना हो आया और हमें सिनेमा छोड़ना पड़ा । मैं यह बता देना चाहता हू कि मेरे मित्र ऐसे नहीं थे कि स्त्री से घबराते हों या काम वासना से ऊपर उठ गए हों । वे रूखे होते हुए भी रसिक थे और कई जगह उनके अटकाव थे । कई स्त्री मित्र थे जिनसे उनका प्यार था, सम्मोहन था । स्त्री अपनी आयु से कम उम्र के पुरुष से तृप्ति चाह सकती है लेकिन युवक प्रौढ़ या बुड्ढी स्त्री से काम तृप्ति करने की कोशिश नहीं करेंगे जब व काम वासनायें अवरुद्ध हों, प्रत्यावर्त हो । यह निश्चित है कि पुरुष कहीं न कहीं नारी से प्रताडित हो या नारी से अघा गया हो दोनों अवस्था में वह इस ओर मुड़ेगा ।

मुकद्दमे की कार्यवाही चलती रही । मुवक्किल की बात को मानते हुए मैंने पूरी पैरवी की । जिरह में गवाहों को तोड़ा मरोड़ा । वे सब अविश्वसनीय लगने लगे । फिर चरित्रहीनता जो नारी की स्वीकृति से सामने आई थी, मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि वह बच जाएगा ।

जब बहस चल रही थी तब न्यायाधीश महोदय से एक प्रश्न किया—'पुरुष स्त्री का ताजा शरीर क्यों चाहता है ?'

न्यायाधीश स्वयं जैसे स्मृतियों में उलझ गए । चौंक कर मुझ से प्रश्न किया—हाँ, आप क्या कह रहे थे ?

मैंने दोहराया ।

और मुझे लगा कि न्यायाधीश महोदय के पास अपना कोई अनुभव है और उस अनुभव से वे आक्रान्त हैं । मेरे तर्क उनको अच्छे लगते दिखाई दिए ।

चरित्रहीन

उस पर अभियोग यह था कि उसने अपनी पड़ोसिन को पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयत्न किया। गवाह स्वयं भी पड़ोसिन थी। अभियुक्त की आयु पच्चीस वर्ष की थी और पड़ोसिन पैंतालीस से कम नहीं होगी। दो अन्य गवाह थे जो पड़ोसिन मुन्ना देवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे थे और अभियुक्त महेन्द्रप्रताप को भागते हुये देखा था। मुझे मुकद्दमा बड़ा अटपटा लगा—अभियुक्त ने इन्कार किया। उसे सच मानते हुए अभियोग को असम्भव बताने की कोशिश की और साक्षीगण बहक गये। सिर पैर की बातें करने लगे। स्त्री के चरित्र के सम्बन्ध में भी कई साक्षी मिल गए। यही नहीं स्त्री ने कई ऐसी बातें बताईं जो उसके चरित्र की हीनता को प्रकट कर रही थी।

आयु का अन्तर मुझे मुकद्दमे की सच्चाई को मानने से इन्कार कर रहा था। मुझे एक वकील मित्र ने बताया कि हम दोनों साथ सिनेमा देखने गए थे। कोने की सीट पर मैं बैठा था। मेरे पड़ौस की सीट पर वह मित्र बैठा—अंधेरा हुआ। एक प्रौढ़ स्त्री उनके पास आकर बैठ गई और धीरे-धीरे अपने शरीर से उनका स्पर्श करने लगी। अंधेरा बढ़ रहा था कि

उसने ऐसी हरकत की कि मेरा मित्र घबड़ा गया। उसने कहा बस यहां से उठ जाएं। हम उठकर खाली सीटों पर जा बैठे। वह स्त्री भी उठकर आई और उनके पास आकर बैठ गई। वहां भी यही हरकत प्रारम्भ की तो मेरे मित्र को पसीना हो आया और हमें सिनेमा छोड़ना पड़ा। मैं यह बता देना चाहता हूं कि मेरे मित्र ऐसे नही थे कि स्त्री से घबराते हों या काम वासना से ऊपर उठ गए हो। वे रूखे होते हुए भी रसिक थे और कई जगह उनके अटकाव थे। कई स्त्री मित्र थे जिनसे उनका प्यार था, सम्मोहन था। स्त्री अपनी आयु से कम उम्र के पुरुष से तृप्ति चाह सकती है लेकिन युवक प्रौढ़ या बुड्ढी स्त्री से काम तृप्ति करने की कोशिश नही करेंगे जब व काम वासनाये अवरुद्ध हों, प्रत्यावर्त हो। यह निश्चित है कि पुरुष कहीं न कहीं नारी से प्रताड़ित हो या नारी से अघा गया हो दोनों अवस्था में वह इस ओर मुड़ेगा।

मुकद्दमे की कार्यवाही चलती रही। मुवक्किल की बात को मानते हुए मैंने पूरी पैरवी की। जिरह में गवाहों को तोड़ा मरोड़ा। वे सब अविश्वसनीय लगने लगे। फिर चरित्रहीनता जो नारी की स्वीकृति से सामने आई थी, मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि वह बच जाएगा।

जब बहस चल रही थी तब न्यायाधीश महोदय से एक प्रश्न किया—'पुरुष स्त्री का ताजा शरीर क्यों चाहता है ?'

न्यायाधीश स्वयं जैसे स्मृतियों में उलझ गए। चौक कर मुझ से प्रश्न किया—हाँ, आप क्या कह रहे थे ?

मैंने दोहराया।

और मुझे लगा कि न्यायाधीश महोदय के पास अपना कोई अनुभव है और उस अनुभव से वे आक्रान्त है। मेरे तर्क उनको अच्छे लगते दिखाई दिए।

पैरवी की तरफ से पुलिस पैरोकार अजीब सा व्यक्ति था। उसकी आयु लगभग 40 वर्ष की थी। बड़ी लम्बी मूँछें और ठुड्डी पर केवल दाढी रखी हुई थी। जुल्फें भी मूंछों से मिल गयी थी। छोटी-छोटी आंखे, लम्बा चौडा शरीर पूरा साढ़े छः फुट का—ऐसा लगता था कि वह प्रारम्भ में फौज की नौकरी कर चुका है बात-बात में ब्लैडी शब्द का उपयोग करता था। स्वयं बडा डरावना लगता था। मेरी बहस का जब वह जबाब देने खड़ा हुआ तो प्रारम्भ में ही एक बात कह गया—आदमी जब भूखा होता है तब जो मिलेगा खाएगा। नींद आती है तब खाट टूटे होने को नहीं देखेगा। अभियुक्त भी वासना में अंधा था और उस अंधड़ में वह फैल कर बैठा। दुनिया में सब काम एक ही तरह के नहीं होते—पैरोकार जोर से हँसना चाहता था लेकिन नही हँस सका। फिर भी मजाकिया बनता हुआ कह गया। मेरा एक मित्र था। जो अपनी आयु से दुगुनी आयु के साथ तृप्ति करता था। इस कारण मैं न्यायालय से प्रार्थना करता हूं कि केवल इस आधार पर ही मुकद्दमे का निर्णय न हो। संसार में कई असम्भव भी सम्भव होते हैं।

मजिस्ट्रेट ने पूछा—देखिए—साधारणतः व्यक्ति ऐसा नहीं करता जब तक वह मानसिक रोग से पीड़ित न हो।

पैरोकार ने देखा कि उसका तर्क अर्थहीन हो रहा है तो उसने फौरन मजिस्ट्रेट साहब के शब्दों को पकड़ते हुए कहा -और यह कैसे कहा जाए कि अभियुक्त मानसिक रोगी नहीं है। दोनों तरफ से इसमें कहीं कोई साक्षी इस बिन्दु पर नहीं आई है। इस कारण मुकद्दमे का निर्णय पूरी साक्षी पर होना चाहिए।

मजिस्ट्रेट ने इस पर मौन स्वीकृति दी।

पैरोकार की बहस का उत्तर मैंने दिया और एक ही बात कही—'जो बात साधारणतः नहीं होती उसके लिए विशेष परिस्थिति बताना भी पैरवी का काम है। मैं स्वयं यह नही मानता कि आयु के अन्तर मात्र से ही निर्णय किया जाए लेकिन यह परिस्थिति ऐसी है जिसे भुलाया नहीं जा

सकता। साक्षी को मानने न मानने मे उनका स्वयं का बयान तो है ही यह बात भी कही न कहीं निर्णायक तो है ही।

—पैरोकार अपने आपको अस्थिर पा रहा था और यह अनुभव कर रहा था कि वह हार जाएगा। इसलिए उसने पेशी बदलवायी और बहस के लिए एक अवसर और चाहा।

दूसरे दिन अंग्रेजी की एक पुस्तक लेकर आया—वह मनोविज्ञान पर पुस्तक थी उसमें एक अध्याय काम के मनोविज्ञान पर था। उसमें से पैरोकार ने अधूरा उद्धरण प्रस्तुत किया और यह बताने का प्रयत्न किया कि छोटी आयु का पुरुष अपनी आयु से अधिक आयु की स्त्री के साथ तृप्ति करता है। मैंने पुस्तक मांगी—उसने नही दी। मैंने मजिस्ट्रेट को कहा कि ऐसे अधूरे उद्धरण कहां सहायक नही होते।

मजिस्ट्रेट हंसा उसने कहा—यह पुस्तक मैंने पढ़ी है। उसमें भी यही बात लिखी है कि साधारणतः ऐसा नहीं होता मानसिक रोगी ही ऐसा करते हैं।

पैरोकार दब सा गया। सर, लेकिन यही बात तो निर्णायक नही हो सकती।

मैंने कब कहा—मैं स्वयं यह मानता हूँ कि यही तर्क अपने आपमें कभी पूर्ण नही है।

पैरोकार के मुंह पर ताजगी आयी। यही तो मैं कहना चाहता था। खैर बहस समाप्त हुई। मजिस्ट्रेट ने निर्णय सुनाया—उसमें उसने साक्षी को सही नहीं माना और यह भी कहा कि युवा अभियुक्त सहज अपनी आयु से दुगुनी आयु की स्त्री से साधारणतः ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। वह उसकी मां के बराबर है। इस कारण मैं मुकद्दमे में पैरवी की कहानी को मानने को तैयार नहीं हूं। जिस पुस्तक में यह है कि केवल मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति ही ऐसा करता है। मैं यद्यपि साक्षी के बजन क

बात नहीं कहता फिर भी पैरवी पर यह भार अवश्य मानकर चलता हूँ कि वह यह सिद्ध करे कि अभियुक्त मानसिक रोग से पीड़ित है। मुझे बाह्य रूप से अभियुक्त में कोई रोग नहीं दिखाई देता।

मेरा मुवक्किल बहुत प्रसन्न हुआ। वह उसी संध्या को मिठाई लेकर घर आया।

एक बात बताना रह गया था कि अभियुक्त महेन्द्र प्रताप अच्छे व्यक्तित्व का धनी है। लम्बा चौड़ा सुशील सौम्य, वह बच्चों को बहुत प्यार करता है। मेरे दो बच्चों को वह गोद में उठाए घूमता था। यही नहीं उसमें परिचय बढ़ाने का शौक था और किसी को भी अपना बना लेने में वह चतुर था। वह सब उसके कोमल स्वभाव के कारण सम्भव था।

बच्चों ने पूछा–मिठाई क्यों ?

वह धीरे से बोला–मैं बरी हो गया।

मैंने निर्मलाजी को कहा-महेन्द्र प्रताप मिठाई लेकर आया है। आप भी मीठा मुंह कर लो।

निर्मलाजी इस मुकद्दमे से संतुष्ट नहीं थी उनका ऐतबार था कि अभियुक्त ने मुन्ना बाई से छेड़खानी की है। अभियुक्त झूठा है। कोई स्त्री भारतीय समाज मे इस तरह झूठा हो हल्ला नही करेगी। क्योंकि वह जानती है कि उस हो हल्ले से सारा कलंक उसी पर आता है। इसलिए वह मौन सब बरदाश्त कर लेती है। ऐसी घटना होने पर हल्ला करे तब भी पुरुष यही मानता है कि किसी ने देख लिया इस कारण हल्ला किया, अन्यथा कभी नहीं करती।

मैंने यह आवाज उन्हें इसीलिए दी थी कि वह जिस मुकद्दमे को अब तक सच्चा मानकर चल रही थी वह न्यायालय ने झूठा सिद्ध कर दिया। निर्मला जी हमारे सोने के कमरे में थी। उसने कहा–आप ऐसे ही झूठे मुकद्दमों की पैरवी कर छुड़ाते रहेंगे और पृथ्वी पर पाप बढ़ता रहेगा। जितने दोषी बरी होंगे उनको प्रेरणा मिलेगी कि वे फिर अपराध करें। मनुष्य डर से अपराध नहीं करता क्योंकि समाज है, उसका न्याय है।

मैंने कहा-आप एक बार बैठक मे तो आइए। इतना लम्बा उपदेश वही से दे रही हैं। महेन्द्र प्रताप तो आपके बच्चे जैसा है।

निर्मला जी अन्दर आई। महेन्द्र प्रताप ने उनके पैर छुए और मिठाई का पैकेट उनके चरणों में रख दिया।

निर्मलाजी ने कहा-महेन्द्रजी मै नहीं विश्वास करती कि आपने अपराध नहीं किया। यह अलग बात है कि आप छूट गए और इस कारण प्रसन्न हैं और मिठाई बांट रहे है।

महेन्द्र ने कहा—माताजी! आपने कहा-मैं प्रसन्न हू, क्या इस अभागे की प्रसन्नता को आप स्वीकार नही करेगी ?

निर्मलाजी ने झुककर मिठाई का पेकेट उठाया और एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुँह में डाला। 'महेन्द्र बाबू, अभी तुम बच्चे हो। तुम्हारे वकील साहब को व्यवसाय करना है, न्याय नही करना है। इसलिए तुम्हें ही सच्चा मानकर पैरवी करना है और उन्होंने की। तुम बरी हुए। लेकिन मैं यह मानती हूँ कि अपने चरित्र पर लांछन लगाकर कोई स्त्री किसी पुरुष को फँसाना नही चाहती। महेन्द्र बाबू तुम्हारा पुरुष समाज स्त्री की किसी भी बात को सच नहीं मानता। मुझे हमारे पड़ोसिन की एक कहानी मालूम है। वह रोज-रोज मुझे अपनी करुण कथा बताती थी। वह और उसका पति और मां रहते थे। उसी मकान में एक कुंवारा लड़का रहता था। वह जीने में, ओट में, टट्टी की आड में उस लड़की से छेड़खानी करता था। और रोज मां के चरण छूकर उनका बेटा बना हुआ था। उसने मां से शिकायत की तो मा ने कहा तू झूठ बोलती है, वह नहीं हो सकता। नेक चलन लड़का है। लगता है तुममें ही कही न कही दोष है।

एक दिन घर में सास और पति नहीं थे। वह लड़का भी इसी टोह में था। वह सीधा घर मे जा घंसा और उस को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने चिल्लाने की कोशिश की वह मुंह बंद किए रहा। जब सास पति घर मे आए वह बैठी-बैठी रो रही थी। सास

ने पूछा तो सब बता दिया–तो सास ने कहा और कोई था। सामने की भाभी साहब ने देखा है और यह सच है कि मैं भाग कर गयी और उस लडके को पीटकर भगा दिया। सास ने एतबार नहीं किया। पति ने कहा–बस भाभी साहब ने देख लिया इसलिए हमें कहा नहीं तो अपना प्यार चल रहा था। स्त्री को कहीं त्राण नहीं है। उसकी पवित्रता ईश्वर की महानता से भी बडी है। खैर मैं कुछ नहीं कहना चाहती–बस एक ही बात कहूँगी। तुम जल्दी विवाह कर लो।

मुझे लगा कि पत्नी का विश्वास अडिग है। महेन्द्र प्रताप सुन्न होने लगा। जैसे उसका ज्ञान समाप्त हो रहा है।

मैंने निर्मला जी को कहा–चाय के लिए बोला या नहीं।

उन्होंने कहा–आ रही है।

महेन्द्र ने हाथ जोड़ लिए––माता जी। आप सच हैं मैं झूठा हूं। लेकिन मुझमें साहस नहीं था कि सच को स्वीकार करता। और फिर उससे जो बदनामी होती वह कम नहीं थी और फिर कैद। बस ये ही सब कारण थे कि मैं सदैव इन्कार होता रहा। वकील साहब! आपका तर्क ठीक था मैं स्वस्थ अवस्था में यह अपराध नहीं करता। मानसिक रोगी था इसलिए कर गया–क्षमा करें मैं आपसे छिपा गया।

मैंने कहा–भाई एक बात पूछूं, मैंने मुन्ना देवी को देखा है। वह तुम्हारी माँ के समान है। तुमने यह साहस करने की धृष्टता क्यों की।

निर्मला जी चाय लेकर आ गयी। मुझे और महेन्द्र को एक-एक चाय का प्याला पकड़ाया। हमने चाय पी।

सध्या हो आयी थी। कल रविवार था। शनिवार की साँझ मैं कभी कभी ही सूनी बिताता हूं जब कार्यालय के काम से मुक्ति मिले। आज मैंने ऐसा ही रखा था, कुछ मित्रों को भोजन पर बुलाया था।

–मैंने महेन्द्र से पूछा–'मानसिक रोग क्या था ?'

महेन्द्र ने 'माताजी' शब्द कहा और फिर मुझे कहने लगा—वकील साहब। हम वर्षों से रहते आ रहे हैं। मुझे कभी याद नहीं आता, मुन्ना देवी की तरफ मैं झांका भी हूँ। लेकिन हाल के वर्ष में एक धक्का लगा और मेरा मानसिक संतुलन समाप्त हो गया।

क्या ?

हमारे पड़ौस में सजातीय लड़की रहती थी। मैंने उसे गत वर्ष देखा। वह अपने पिता के साथ इसी वर्ष आई थी। मैंने देखा; मुझे लगा—जैसे हम जन्म जन्मान्तर से परिचित हैं। हमारा सम्बन्ध बढ़ता गया। आप समझेंगे यह मात्र शारीरिक आकर्षण था। नहीं, हमने एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं किया और एक ही बात तय की कि विवाह से पूर्व हम एक दूसरे को छुएंगे नहीं। यों हमारे मन को समझने के लिए हमने रामदेव जी के देवरे में आजीवन साथी रहने का प्रण कर लिया था। वह देवरा हमारे गांव में रामदेव जी की बनी में बना हुआ है।

हम दोनों सजातीय थे। हमारा विश्वास था कि हमारा विवाह हो जायेगा और कोई रोड़ा नहीं अटकेगा।

एक दिन मैंने अपने पिताश्री से इस सम्बन्ध को ठीक करने की बात की। पिताजी मुझे निराश नजर आए, और बोले—बेटा तुम गलत जगह प्यार कर बैठे।

क्यों ?

इसलिए कि यद्यपि हम सजातीय हैं लेकिन वे अपने आपको उच्च समझते हैं और हमको नीचा। इसलिए यह सम्बन्ध नहीं हो सकता।

फिर सजातीय कैसे।

इसलिए कि दोनों अग्रवाल हैं लेकिन वे अपने आपको बीसा कहते हैं और हमें दसा।

मैंने यही बात उस बाला को कही, तो उसने कहा—मेरे पिताजी बड़े

उन्नत विचारों के व्यक्ति हैं। वे शायद इन बातों को नहीं मानें। आप एक बार कह कर देखिए।

मैंने साहस कर अपनी बात उनसे कही, तो वे चौंक पड़े। बड़ी क्रूर दृष्टि से मेरी तरफ देखा और मौन हो गए।

मैंने उस समय दुबारा पूछने का साहस नही किया। लेकिन मन नहीं माना। दूसरे दिन फिर उनके पास जा पहुंचा और बोला–हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं।

वे चिढ़ गये। आग बबूला हो कर बोले- कल तुम मेरा रुख नहीं समझे तो सुन लो। अब भविष्य में मेरी लड़की से कभी मत मिलना, यह आखरी आदेश है।

उसी सांझ को हम दोनों रामदेव जी की बनी में मिल गए और आंसुओं में बहते गए—

दूसरे दिन वह बाला और उसके पिताजी गांव छोड कर चले गये। पूरे दो वर्ष हो गए। मैंने उन्हें नहीं देखा।

निर्मला जी ने कहा–तुमने शादी नहीं की।

नहीं।

तुम्हारी जाति में कोई सुन्दर सी लड़की देख लो और विवाह कर लो।

महेन्द्र बोला–मेरे पिताजी ने तीन चार लड़कियां दिखाई मुझे एक भी नहीं जची। शादी करूंगा तो उसी से जिसको देव मंदिर में वादा किया हैं, और सच है माता जी मैं तब से अब तक बीमार हूं। करता हूं कुछ और सोचता हूँ कुछ। मस्तिष्क विकृति से भर गया। अजीब परिस्थिति में फंस गया हूँ। कैसे निकलूं, नहीं जानता।

क्यों ?

मैं जितना अधिक प्रयत्न करता हूँ उस बाला को भूलने का उतना ही अधिक मैं उसे याद करता हूँ। आप विश्वास कीजिए, मै उसे घटों अपने पास पाता हूँ कई बार बेवकूफ की तरह उससे बातें करता हूं–कई बार दाढी बनाने का रेजर दांतों के लगा लेता हूं। कई बार तेल की जगह शेम्पू लगा लेता हूं और फिर दुबारा नहाता हूं।

मैंने कहा–तुम्हारे कोई हॉबी है।

है सर, मैं चित्रकार हूँ।

तो उसी में लगो, तुम्हारा मन लग जाएगा।

वह हँसा ! सर ! मैं कलम चलाता हूं और मेरी कलम की नोक पर उसका चित्र उभर आता है। मेरे हर चित्र में वह है। चाहे वह प्राकृतिक दृश्य हो या अन्य दृश्य। एक मेले का स्केच बना रहा था उन अस्पष्ट अधूरे चेहरों में एक चेहरा उसी का स्पष्ट हो रहा था।

मैं कई बार उसको अपने सामने चलते फिरते देखता हूँ उसकी भूख मन में बढ गई है।

मैंने उससे सीधा प्रश्न पूछा—वह सब तो तुम देख रहे हो, लेकिन इससे घटना का क्या सम्बन्ध। मुन्ना बाई तुम्हारी प्रेमिका नहीं थी।

महेन्द्र उदास हुआ–वकील साहब ! यह ठीक है कि मैंने मुन्ना बाई को पकड़ा। लेकिन उसके आगे मुन्ना बाई ने जो भी कहा वह गलत है। मैंने उसके साथ कोई प्रयत्न नहीं किया बल्कि सच यह है कि मैं उदास बैठा था। प्रेमिका मेरी आँखों में समा रही थी इतने में मुन्ना देवी मेरे पार्श्व से जा रही थी। उसका मुंह मुझसे उल्टी तरफ था। सूनी दुपहरी थी, कोई नहीं था। मुझे लगा कि वह आ गई। मैं लपका और उसे पकड़ लिया। ज्यों ही उसने मुंह मेरी तरफ किया। मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए और मैं उसे छोड कर भाग गया।

तुम किसी मनोवैज्ञानिक से मिलो–मैंने कहा।

निर्मला जी ने कहा–इसके पिता को बुला लो कोई अच्छी लडकी हम तलाश कर विवाह कर देंगे। सारा रोग भाग जाएगा किसी मनोवैज्ञानिक से मिलने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।

❁❁❁

अन्याय का मुलम्मा

मुझे याद है बचपन के दिन जब गांव में हर विवाहित व्यक्ति के एक विवाहित पत्नी और एक रखैल रहा करती थी। यह सिलसिला मेरे दादा की पीढ़ी तक चलता रहा। उसके बाद हवा में कुछ परिवर्तन आने लगा और मेरे से पहले वाली पीढ़ी में केवल राजघराने के लिए यह शौक रह गया था। जमाने में सुधार की गंध आने लगी थी। जब मैं पढ लिख कर वकालत करने लगा तो ऐसे लोगों की संख्या 25% से अधिक नहीं थी। इसमें कहीं बुरा नहीं माना जाता था न पाप ही। पुरुष का जन्म सिद्ध अधिकार था कि वह एक क्या अनेक स्त्रियों को रखे। रखैल स्त्रियों की कमी नहीं थी। यों अमूमन दरोगा जाति की औरत रखैल हुआ करती थी लेकिन गरीबी के कारण ब्राह्मण जाति की विधवाएं भी फिर ऐसा करने लगी थी।

हमारे ही मौहल्ले में वैश्य जाति का एक व्यक्ति रहता था। वह राज्य कर्मचारी था। वेतन 15) रु० मासिक मिलते थे, लेकिन महीने के कम से कम 500) रु० कमाता था। काम करने के लिए रुपये वसूलता था, पर काम कर देता था। इसलिए वह बदनाम नहीं था और न बेईमान ही गिना जाता था।

सज्जन अहलकारों में उसकी गिनती थी । स्वभाव का बडा कोमल था, लेकिन शौकीन जीव था—पचरंगी पेचा बांधता था । काली दाढी बडी साफ सुथरी रखता था । एक-एक बाल गिनलो । ठुड्डी के नीचे पूर्व पश्चिम बालों की विभाजन की पतली लकीर स्पष्ट दिखाई देती थी । आँखों में काजल, कानों में इत्र का फोया, नील रंगी धोती । साबुन से धुपे मू ढे (जूते) यह लाल पीले रग के होते थे और उस पर एक फूल बना होता था गांव भर में उसके जूते ही विशेष प्रकार के थे । बड़ा शौकीन प्राणी था । इधर उधर जाते आते वह गीत गुनगुनाता था लेकिन हफ्ते में एक दिन सब मौहल्ले वालों को एकत्रित कर भंग पिलाता था और फिर उसी के मकान के बाहर चबूतरे पर जाजम बिछा कर हारमोनियम पर पनिहारिन गाया करता ।

कहते हैं घर की औरत के अलावा उसका कई औरतों से ताल्लुक था । हर व्यक्ति के गम मे आगे होता । कोई बीमार होता तो वैद्य को बुला लाता । दवाई घोट कर पिलाता । जत्र बनाकर लाता । किसी के घर में मौत हो गयी तो चाल चलावे का सारा कार्य वह स्वयम् करता था । फिर कंधा देना । श्मशान में लकड़ी काट कर लाना, अर्थी बनाना । लाश को उस पर रखना कितनी लकडियो से पूरा दाह संस्कार हो जाएगा यह वह जानता था । फिर वह देखता रहता था कि कपाल क्रिया का समय आया या नहीं । इस बीच पीड़ित दुखी कुटुम्बियों को सतोष दिलाता रहता ।

इसी कारण लोग उसके चरित्र के कारण कानाफूसी भले ही करते हो परन्तु सब उसका सम्मान करते थे ।

आखिर उसने एक दरोगन को अपने घर में रख लिया । वह उस गांव में दासी बनकर आयी थी । एक दरोगे की पत्नी थी । लेकिन गाँव के ठाकुर उदयसिंह की पासवान थी । उदयसिंह का देहावसान हो गया इसलिए वह इसी के यहां आकर पासवान बनकर रह गयी । न्याय पूरा करता था । बस एक दिन पासवान के साथ सोता एक दिन विवाहित पत्नी के साथ

उदयसिंह की विधवा ने दरबार में एक आवेदन पत्र दिया कि ठाकुर सिंह की रखैल गौरी बाई ने उनके कुटुम्ब की सारी प्रतिष्ठा पर पानी फेर कर एक साधारण अहलकार मोहनसिंह के यहां पासवान बन गई। इससे राजपूत जाति के मुंह पर बट्टा लगता है।

उस पर दरबार के निजी सचिव का आदेश था कि इस बारे में फौरन कार्यवाही की जाए और सम्बन्धित हाकिम इसकी रिपोर्ट एक हफ्ता में दे दे। जरूरत पड़े तो गौरीबाई को मोहनसिह के यहां से हटाकर काला मुंह नीला हाथ कर सारे गांव में घुमाया जाए। यह आदेश उदयसिंह का कामदार; हाकिम के पास लेकर आया।

मोहनसिंह भगा हुआ मेरे पास आया। उस समय कानून तो कोई प्रचलित नहीं था लेकिन कानून की छाया अवश्य देखी जाती थी। हाकिम के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज भी बन गए थे। ये डिस्ट्रिक्ट जज कानून पास व्यक्ति थे और इनकी ट्रेनिंग कम से कम 6 माह ब्रिटिश इलाके में होती थी। ये कानून की चिन्ता करते थे और कानून के अनुसार ही काम करते थे।

जिला हाकिम ने गौरीबाई और मोहनसिंह को बुलाया। हाकिम के सलाहकारो की राय तो यह थी कि गौरी बाई गिरफ्तार कर भेजी जाए और मोहनसिंह ने चूंकि एक जागीरदार के कुटुम्ब की प्रतिष्ठा भंग की है इसलिए नौकरी से अलग कर दिया जाए।

मैने वकालात प्रारम्भ की ही थी वह बोला—हाकिम साहब मुझ पर महरबान हैं। इसलिए वे मेरे विरुद्ध तो कोई कार्यवाही नहीं करेंगे लेकिन गौरीबाई को गिरफतार कर सकते हैं। आप कानूनी बात हाकिम साहब को बता दें वे मेरी मदद करना चाहते है।

मैंने कहा—गौरीबाई क्या कहती है?

वह मुझे छोड़ कर जाना नही चाहती। अगर जबरदस्ती की गई तो वह जहर खाकर मर जाएगी।

मैंने हाकिम साहब को कहा कि उन्हें तो एक हफ्ते में रिपोर्ट करना है। दरबार के पास केवल एकतरफा वाकयात थे इस लिए रिपोर्ट मांगी है।

आप मोहनसिंह और गौरीबाई के बयान ले लें। गौरीबाई और मोहनसिंह दोनों ठाकुर साहब की प्रतिष्ठा भंग करने से इन्कार कर देंगे। आप ऐसी ही रिपोर्ट कर देना।

हाकिम मोहनसिंह की मदद करना चाहते थे इसलिए मेरे कहे अनुसार रिपोर्ट कर दी। उसका जवाब आज तक नहीं आया। न रिपोर्ट पहुंचने का और न किसी तरह की आगे की कार्यवाही का।

लेकिन ठाकुर उदयसिंह की विधवा ने अदालत मे दीवानी दावा किया। उसमें यह कहा कि गौरीबाई के मोहन सिंह के पासवान बनने से उनके कुटुम्ब की प्रतिष्ठा गई है। एक रखैल जिस पर ठाकुर साहब की नजर थी वह किसी और की नजर मे नही चढ सकती और अगर किसी ने यह हिम्मत की तो उसने तौहीन का अपराध किया है। अतः उसे सख्त सजा दिलायी जाए और गौरी बाई को पासवान बनने से मुक्ति दी जाए और उसके काले हाथ और नीला मुंह कर गाँव में घुमाया जाए ताकि आगे से कोई ऐसी कार्यवाही न करे और अच्छी शिक्षा मिले।

मोहनसिंह ने मुझे वकील बनाया—फीस लेने का प्रश्न नहीं था। वे स्वयं इतने अधिक सेवाभावी थे कि उनसे फीस लेना अपना ही अपमान करना था। एक बात और बता दूं, गौरीबाई जैसी सेवाभावी महिला मैंने अन्यत्र नहीं देखी। वह बहुत ही अच्छी महिला थी। हर औरत या बच्चे की सेवा में लग जाती। मेरी माताजी के रोज सायंकाल हाथ पैर दबाने आती मालिश करती और मेरी पत्नी से माँ की सेवा के लिए स्पर्द्धा में लग जाती।

मैंने उत्तर तैयार किया और जवाब दावा प्रस्तुत किया। उस में यह तर्क दिया कि उदयसिंह की पत्नी को दावा करने का कोई अधिकार नहीं है

न ठाकुर की प्रतिष्ठा ही गई और न गौरीबाई विधवा को कानूनन कोई किसी के यहाँ रहने से रोक सकता है।

उदयसिंह की विधवा का वकील भी उनके ठिकाने का आम मुख्त्यार था। न कानून से जानकारी और न नीति सम्बन्धी किसी प्रश्न की जानकारी। मेरा जवाब दावा पढ़कर आग बबूला हो गया और बोला—वकील साहब को नयी हवा लग गयी है। एक दिन में इसे नहीं भगा दूं तो मेरा नाम बदल लूंगा। मैंने कहा—जी आपको जैसा अच्छा लगे कीजिए।

और उसने मूंछें खींची।

खैर, आयन्दा पेशी पर वादी के वकील ने दरख्वास्त दी कि इसमे किसी तरह की साक्षी की जरूरत नहीं है। इसलिए डिग्री दी जाए और गौरी बाई को सजा दी जाए।

हाकिम मेवाड़ का नामी हाकिम था। उसकी लाल किताब प्रसिद्ध थी। हर किसी को लाल किताब का डर बताकर रिश्वत खाता था। किसी के यहां पिता का मृत्यु भोज उसका लड़का कर रहा है तो थानेदार को भेजकर भोजनशाला पर ताला लगवा देता। पहले यह साबित करो कि मृत्युभोज करने वाला मृतक का लड़का है। तब तक कुर्की रहती। इसी तरह की अनेको बेवकूफी की बातें चलती रहती थी।

मैंने बहस की कि मुकद्दमा गवाही के लिए लगा वह भी मुद्दई की। यदि उसे गवाही नहीं देनी है तो वह बंद कर दे तब मेरी गवाही के लिए पेशी दी जाए। हाकिम ने कहा चूंकि मुद्दई साक्षी देना नहीं चाहता तब मुद्दायला से साक्षी मांगने का अदालत औचित्य नहीं समझती इसलिए दोनों ओर की साक्षी बंद हो।

मैंने कहा—बहस करना चाहूंगा।

अदालत ने कहा हम बहस जानते हैं। वकील साहब क्या कहेंगे वही जो जवाब दावे में लिखा है इसलिए बहस बंद

और फौरन डिग्री जारी कर दी और गौरी को गिरफ्तार करने का हुक्म भी।

मैंने कहा—मैं अपील करूँगा।

हाकिम ताव में था। आप अपील करते रहिए आप को कौन रोकता है। अदालत अपना काम करेगी और उन्होंने थानेदार को गौरी बाई को गिरफ्तार करने भेज दिया।

थानेदार घर गया। गौरी बाई ने फांसी ले ली और प्राणान्त कर गई।

जब मैंने सुना। मैंने कसम खायी कि ऐसी अदालत में कभी पैरवी नहीं करूंगा। गौरी बाई का शव मेरे मन में आज भी जिन्दा है।

पासवान

मेरे एक निकट मित्र अमृत राय लोढ़ा ने मैट्रिक फेल होकर पढ़ाई छोड़ दी और थानेदार बन गया। तब तक पुलिस का व्यवस्थित रूप बन रहा था। सबसे पहले वह गुप्तचर थानेदार (सी. आई. डी.) बना और मैं जब वकालात पास कर लौटा तो इन्सपेक्टर बन चुका था, लेकिन था फिर भी गुप्तचर विभाग में। मुझे याद है हमारे एक मित्र के दो रुपए चोरी चले गए। इन्सपेक्टर साहब थक गए तब मैंने एक चांटे से वह रकम चोर के जूते से निकलवायी थी और तब उसने लज्जा कर कहा—दोस्त तुम पुलिस में भर्ती होते तो मुझसे ज्यादा सफल होते—यों मुझे दरबार से कई इनाम मिल चुके हैं। जिस रहस्य का अच्छे से अच्छा अफसर पता नहीं लगा सकता, उसका मैंने चुटकी बजाते पता लगा लिया और अभी मुझे एक बड़े उमराव के महलों में एक साथ दस कत्लों का पता लगाने का काम सौंपा है। बड़ी अजीब घटना है। एक साथ दस कत्ल। राजघरानों के रहस्य बड़े विचित्र होते हैं। यद्यपि कई बड़ी डकैतियों का पता मैं लगा चुका हूं। इसका पता लगाया तो आप सच मानिए मैं पुलिस सुपरिन्टेंडेन्ट बन जाऊंगा।

राजपुरा एक बहुत बड़ा ठिकाना है। उसकी आमदनी 2 लाख वार्षिक से अधिक है। यों 4 लाख रुपये सालाना की आय है। एक तरह से

रियासत ही मानिए। भूतपूर्व राजाधिराज देवेन्द्रपालसिंह का स्वर्गवास दो वर्ष बाद हो गया। उनके पाटवी कंवर हरिहरदेव सिंह को उसी दिन किसी ने मार दिया। उसके दूसरे कंवर सुरेन्द्र प्रताप सिंह राजगद्दी पर बैठे। सुरेन्द्र प्रताप सिंह का विवाह गुजरात की एक रियासत में उनके गद्दी पर बैठने के एक माह में हो गया। दहेज मे-दो हाथी, 20 ऊंट 50 घोडे, 4 लाख नकद। एक हजार तोला सोना। 20 दास, दासियां मिली। सब एक दूसरी से ज्यादा सुन्दर है लेकिन अंजना नाम की दासी तो बहुत ही अधिक सुन्दर है। राजपूती सौन्दर्य का मोहक स्वरूप, यों रानी साहबा भी कम सुन्दर नहीं थी लेकिन अंजना देवी के नख लगाओ तो खून बह निकले। कोमलतम चमड़ी, गुलाबी रंग आंखों में नशा भरा नाक इतना मोहक था कि उसे देखते ही रह जावें। उम्र 17–18 वर्ष से ज्यादा नही है। राजाधिराज की दृष्टि मे वह चढ गयी और वह राजधिराज के खास महलों में बैठा दी गई। उसका विवाह राजपुरा आकर करना तय हुआ था लेकिन राजधिराज की मर्जी मे चढ जाने से उसका विवाह नहीं हुआ। रानी साहबा इस पर बहुत नाराज हुई। विवाह के एक वर्ष मे ही क्यों बस गत एक सप्ताह में दो दासियां दो दास, एक राजधिराज की बहन चुण्डावत जी, राजधिराज की राजमाता राजधिराज के दो छोटे भाई और उनकी दो भांजियां मार दी गई या उनका कहीं पता नही है। यह घटना एक ही रात की बताई जाती है। उन सबको महल की एक बुर्ज में जला दिया गया और उस पर पानी डालकर राख को नदी के अन्दर पहुंचा कर बहा दिया गया।

राज के पास यह सूचना कैसे पहुंची ?

रानी साहब का भाई गुजरात से सीधा दरबार के पास पहुंचा और उसने यह सूचना दी। दरबार को बड़ा क्रोध आया और आई. जी. पी. साहब और एक अन्य खूंखार ईमानदार एवं होशियार अधिकारी को यह मामला सौंपा गया। दरबार स्वयम् डर गये कि राज के अफसर इसका पता नहीं लगा सके तो ब्रिटिशराज राज पर अपना प्रबन्ध बैठा देगे।

एक तरफ गिराई के लोग कायम रहे हैं। बस आई. जी. पी. ने मुझे बुलाकर यह काम सौंपा। उनका कहना था कि गिराई के अधिकारी इसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि गिराई मारपीट कर पता लगाती है। इसमें बड़ा ठिकाना फँसा है। किसको मारे। आई. जी. का मानना है कि यह काम स्वयम् राजाधिराज ने कराया है या फिर रानी साहबा ने। इसका पता लगाकर जिन्होंने वास्तव में अपराध किया है उनका चालान कर दो। ठिकाने के बडो के हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे वह राजाधिराज हो या रानी साहबा।

मैंने कहा-राजाधिराज के साले साहब कहां ?

लोढा ने कहा—वे भी यहीं है।

मैंने कहा—आपने उनसे बातचीत की है। अंजना दासी और रानी साहबा से बात की है या उनके सम्बन्ध में कुछ पता लगाया है।

नहीं।

मैंने उनसे कहा—मुझे मालूम है, इस सारे घटनाक्रम का आदि स्रोत अंजना देवी है और मैं मानता हूं रानी साहबा का जीवन भी गिने दिनों का है। राणी साहबा ने यह सब कराया और अंजना का जीवन भी गिने दिनों का है—आप इसी दशा में आगे बढ़ जाइये।

उसी दिन सांझ को इन्सपेक्टर साहब राजपुरा जा रहे थे। मुझे जाते वक्त कह गए कि रानी साहबा नहीं रही। उनको भी मरवा दिया गया है।

आज ही आई. जी. पी. साहब का फरमान आया हैं कि मैं फौरन कार्यवाही करूं नहीं तो आगे क्या हो जावे।

चार दिन बाद थानेदार साहब लौट आए और बोले दोस्त ! मैंने पूरा पता लगा लिया है।

फिर तो पुलिस सुपरिन्टेंडेन्ट बनोगे।

जी हां आई जी साहब तो यही कहते हैं।

अच्छा।

क्या पता लगाया। कौन प्रेरक है ?

लोढा ने कहा—दोस्त मेरी राय है कि तुम अब भी पुलिस में नौकरी कर लो। तुमनें जो अन्दाज लगाया वही सही निकला। मैंने तफतीश की—हर कत्ल का कारण मालूम हो गया। केवल प्रारम्भिक कुछ तथ्य एकत्रित करने रह गये हैं। मुझे आदेश है कि ठाकुर साहब पर किसी तरह की आँच नही आए।

तुम्हारी तफतीश का क्या नतीजा है ?

लोढा ने कहा—मित्रवर, तुम किसी लेखक को जानते हो। लंदन कोर्ट के रहस्यों पर लिखा गये। राजाओं के जीवन के गुप्त रहस्यों पर कई उपन्यास रचे गये। ठिकानों के इतिहास भी कम रहस्यपूर्ण नहीं हैं। दोस्त सत्ता का मद ही ऐसा होता है। सत्ता जब उस पर धर्म, नीति, राजा, जनता किसी का अंकुश नहीं होता। वह निर्बाध होती है। उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती। तब वह इतनी घिनौनी बन जाती है कि उसकी बात कहने से मनुष्य का सिर शर्म से झुक जाएगा।

दरबार अपने राज्य में निर्बाध रहे हैं। उन पर बहुत कुछ लिखा गया है।

तुम्हारे मित्र ने एक उपन्यास लिखा था। उसी रहस्य पर, वह जला दिया गया और तुम्हारे मित्र को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। ऐसे ही कई और जगह लिखे गये। उनमें से कई विदेशों में गुमनाम से प्रकाशित हो चुके हैं। लेकिन मैंने जो तफतीश की उसमें नारी पात्र प्रमुख है। जनता ने जिस पुरुष को सत्ता सम्भलाई उससे नारी ने सारी सत्ता अपने हाथ मे ले ली और सत्ताधारी पुरुष को भी पंगू बना दिया। वह उसका सेवक बन गया है।

मैंने बताया कि राजाधिराज के विवाह में एक अंजना दासी आई थी। वही राजाधिराज के सिर पर चढ गई है। वह रखैल नहीं बनी। न किसी से

विवाह किया वह राजाधिराज के महलों में रानी बनकर रह रही है। ये सारे कत्ल उसी ने कराए हैं। राजाधिराज उसकी आज्ञा के बिना इधर उधर नहीं घूम सकते। नारी का इतना प्रभुत्व समझ में नहीं आया।

मैं हँसा—तुमने अबला का रूप देखा है। उस रोज तुम नही बता रहे थे। ये जानवर है। उनके न धर्म है न नीति न सतीत्व ही है और न काम के प्रति कोई आस्था। जो मिल जाए जो उसके शरीर को भोगना चाहे।

हाँ दोस्त, परसों ही थाने में एक नाबालिग लड़की के उड़ाने का केस दर्ज हुआ। थानेदार लडकी को पकड़ कर लाए। रात भर थाने में रखा—कहते हैं दस आदमियों ने उसके साथ काम तृप्ति की। न उसने इन्कार किया और न मजा ही लिया।

वही मैं कह रहा था। दूसरा रूप है। हमने ही कल्पना की है, दस हाथ वाली नारी की-हर हाथ में कोई न कोई अस्त्र है और फिर शेर पर सवार है। उस शक्ति स्वरूप-नारी को हम पहचानते हैं। वह एक हाथ से नही दस हाथ से मारती है। पुरुष को नचाती है। उससे अपना काम करवाती है। कितनी आख्या किए हैं नारी की शक्ति के बारे में। एक से एक बढ़कर हर गाँव में तुम कहानी सुनते होंगे। वीर चढी नारी की। जब वह आंख खोलती है तब सामने जो पड़ता है, वह सब सूख जाता है। पत्थर पड़ता है। तो उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। एक कहानी का दृष्टा मेरा एक मित्र है। जिसने स्वयम् देखा है कि वीर चढी नारी ने आँखे खोली, पत्थर चकनाचूर हो गए, लेकिन अंजना की क्या कहानी है।

तुम जानते हो वह दासी बनकर आई। अपने सौन्दर्य से उसने राजाधिराज को मुग्ध कर दिया और राजाधिराज उसके पीछे पागल हो गए। राजघरानों में रानीजी ऐसे सब प्रभाव बरदास्त करती हैं। वे जैसे पथरा गयी हैं, उनमें कहीं भी एकाधिकार नहीं रहता। लेकिन ज्योंही किसी ने सिर उठाया उसको समाप्त कर दिया। सबसे पहले राजाधिराज के भाई

को । उसने अंजना पर आपत्ति की, उसका विवाह वह अन्य से कराना चाहता था अंजना ने उसको मौत के घाट उतरवाया । उसके बाद उसकी बहन । फिर भान्जियां । सबकी इस चक्र में बारी आती रही—कुल मिलाकर 11 कत्ल हुए । दस पहले और ग्यारहवां रानी साहबा का ।

उनको कैसे और क्यों मारा गया ?

मेरी तफतीश में जो आया वह यह है । रानी जी सब बरदास्त करती रही । राजाधिराज कभी भी रानी जी के महलों मे नहीं आते । वह सधवा होते भी विधवा-सी रहने लगी । लेकिन भादों तीज को राजपूतों के सुहाग का दिन मनाया जाता है । उस दिन कहीं भी पुरुष होगा वह भागकर अपनी पत्नी के लिए पहुंचेगा । विलासी से विलासी राजकुमार की पत्नी के लिए वर्ष मे एक दिन सुहाग का होता है । जब वह पुरुष का प्यार पाती है । पति का स्नेह अर्जन करती है उस दिन वह प्रथम सुहागरात का सपना देखती है और अपने पति को पाकर नयी नवेली हो जाती है । मन मारी हुई नारी के पास और क्या उपाय । बस वह दिन मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है । उस दिन की तैयारी पहले से की जाती है । 8 दिन से लगातार सुगन्धित पानी से नहाती है, पीठी लगाती हैं । मेहन्दी रचाती हैं गीत गाये जाते है । ये सारी तैयारियां होती हैं—तीज में सुहाग सपने को पूरा करने—उस दिन खोटा से खोटा राजकुमार भी अपनी पत्नी को प्रसन्न करता है ।

मैंने कहा—यह प्रथम तीज थी ।

जी हां, विवाह के बाद प्रथम तीज लेकिन अंजना को विश्वास हो गया कि एक रात वह रानी जी के पास चला गया तो रानी जी उस पर जादू कर देगी । एक बात और मालूम हुई, अंजना राजा साहब से विवाह रचाने की बात तय कर चुकी थी । बस झगड़ा एक ही था कि उसका लडका यदि हुआ तो वह राज का उत्तराधिकारी कैसे होगा—इसी कारण राजा साहब अब तक उससे विवाह नहीं कर पाए—इसके लिए अंजना ने एक नई

कहानी का सृजन किया कि वह स्वयं राजपूत है उसे गरीबी के कारण दास-वृत्ति भोगनी पड़ी है।

राजा उसका दास है जैसा अंजना कहती है वैसा ही करता है।

मैंने प्रश्न किया—तुम अंजना से मिले हो।

थानेदार लोढ़ा हँसा। मिला तो नहीं उससे बात अवश्य की है। वह गुजराती है उसके पर्दा नहीं है।

वह कैसी लगती है?

लोढ़ा ठहाका मारकर हँसा—यार कैसी लगती है? क्या कहूँ, औरत जवान है, हर जवान औरत में जबरदस्त कशिश होती है और वह उसमें है।

बस।

नहीं इससे ज्यादा। उसमें एक लोच है, ओज है और प्रभुत्व भी, लगता है जैसे उसके चेहरे के चारों तरफ प्रकाश है जो उसके चेहरे से फूट रहा है।

तब तो वह महान देवी होगी—मैंने मजाक किया।

लोढा—देखो दोस्त! देवी है या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसने राजा को वश में कर रखा है। उस राजा को जो अपने राज्य के लोगों पर राज कर रहा है और अंजना ने उस पर, आखिर कोई न कोई बड़प्पन है या फिर जादू।

तुम पर तो जादू नहीं कर दिया।

लोढ़ा गम्भीर हुवा। एक बात बताऊं—मैं जैन हूं, मैंने कुछ कसमें खायी हैं। कंजर सांसी से रिश्वत नहीं लेता, कत्ल डकैती—फरारी नाबालगी में किसी तरफ से पैसा लेकर मुकद्मा नहीं बिगाड़ता और एक बात—थाना, ऐसा स्थान है जहां हमें सब तरह की आजादी है। औरतों को डर बताकर प्यार जता कर—नया बहाना बनाकर उसे भोगने की। हर थानेदार सिपाही

यह करता है। मैं थाने में आने वाली हर स्त्री को अपनी बेटी मानता हूं। कभी किसी को आज तक छुआ नहीं। मैंने आचार्य श्री से इन बातों की सौगध ले रखी है, बस। लेकिन अंजना को देखकर मन डांवाडोल हो गया और जब मैं बात कर रहा था तब मुझे साहस हुआ कि उसे गिरफ्तार कर थाने मे ले जाऊं। दोस्त इतनी स्वप्निल-मोहक कोमल नारी मैंने जीवन में कभी नही देखी। यह सही है कि अंजना ने रानीजी को कत्ल किया है, इसकी काफी साक्षी मिल गयी है। मुझे गिरफ्तार करने का अधिकार था। दरबार का हुक्म भी था लेकिन मन में कमजोरी बैठ गयी और मैं राजा साहब को कह आया कि अंजना को गिरफ्तार करना होगा उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्षी है। उनको रुकवाना हो तो दरबार का हुक्म प्राप्त करो।

ठाकुर ने मेरी तरफ देखा, क्रोध से उनके होठ कांप उठे-गिरदार जी, किसका ताप जो अंजना पर हाथ उठाए वह हमारी महारानी है।

लोढ़ा मौन हो गया। फिर कहा-भाई, यह मन बड़ा अजीब है। आज मेरे मन में कमजोरी नहीं आती तो मैं उसे गिरफ्तार कर लेता और तब चाहे राजा उसे छुडाने में मुझ पर गोली दाग देते तो मैं बरदास्त कर जाता। तुम्हें मालूम है न, डाकुओं के साथ मुठभेड में मेरे बाएं हाथ मे दो गोलियां लगी थी। पुलिस वाले का जीवन सदैव हथेली पर रहता है।

मैंने कहा-अब क्या करोगे ?

मैंने सारी बात आई. जी. पी. साहब को लिखकर भेज दी है। उनका आदेश चाहा है, वे चाहें दरबार से आदेश प्राप्त करें। मैंने यह भी लिख दिया कि अंजना को गिरफ्तार करना हो तो एक गार्ड भेज दें।

अंजना को गिरफ्तार कर ले आएं और तुम्हारा मन विचलित हुआ तो ?

लोढ़ा हंसा —भगवान मेरी सहायता करेगा। अब तक उसी ने मुझे शक्ति दी है कि अपनी सौगंध को निभाता रहा हूं!

मैंने कहा—बहुत सुन्दर है अंजना।

लोढ़ा—सुन्दर ही नहीं शालीन भी। मनुष्य को पागल बनाने की शक्ति भी है।

संस्कार

मैं मुकदमें में मात्र व्यावसायिक वकील कभी नहीं रहा जहाँ-जहाँ विवाद के मानवीय संघर्ष या विरोधाभास आते उनको मैं मुकदमे के दौरान यदि आवश्यक हुआ तो अन्यथा मुकदमें के निर्णय के बाद अपने मुवक्किल से समझने का प्रयत्न करता और उन सब अन्तर्विरोधों की सतह में पहुंच कर मान व मन में अपराध वृत्ति के लिए छिपी गुत्थियों का पता लगाता। मेरी मान्यता है कि अपराध की जननी मानव मन है और असंतुलन में वह उदय होता है। यह असंतुलन चाहे सामाजिक असमानताओं, व्यक्तिगत असंगतियों के कारण हुआ है, लेकिन अधिकांश संदर्भों में वासना का गतिरोध या प्रत्यावर्तन ही पाया है—

संक्षेप में एक व्यक्ति अपराधी क्यों बनता है-सामाजिक संदर्भ, व्यवस्था और वातावरण उसके लिए उत्तरदायी होते है। आदिम चोर क्यों बना, कंजर साँसी के जीवन का अध्ययन इसका उत्तर देगा। आज राज्य ने चोरी को अपराध घोषित कर रखा है। लेकिन दिन और रात में 5 बार कैम्प पर हाजरी होने के बाद भी वह चोरी करने लपक जाता है। मार खाता है, जेल जाता है और चोरी करता है जिस समाज में वह रहता है वह समाज

भी जानता है कि चोरी अपराध है। फिर भी वह चोरी करता है। शताब्दियो से समाज के नियम और मान्यताओं के होते हुए भी वह चोरी करता है। कजर सांसी जाति का हर पुरुष चोर होता है।

आजादी के बाद समाज ने इस जरायम पेशा लोगो को जुर्मो से दूर करना चाहा। कालोनी में बसाए गए। पुलिस का पहरा लगाया गया। बच्चों के पढ़ने के लिए शालाएं खोली गई—आजीविका के लिए खेती—साधन कुंए दिए गए। फिर भी वे चोरी करते हैं। पहले वे खानाबदोश थे अब वे बसाए जा चुके है। बस जाने के बाद उनकी संताने पैदा हुई—वे भी चोरी का ही प्रश्रय लेते हैं। बड़ी सुविधा से कहा जा सकता है कि संस्कारों का दोष है। पुश्तों से चली आई आदत सहज छूटती नहीं है। इसी कारण जिस समाज मे—वेश्यावृत्ति चली आ रही हो वे वेश्याएं गृहणी नहीं बन सकती। सौ कुंओ का पानी पीने वाला मनुष्य घर में बंद घड़े में भरे पानी से संतुष्ट नहीं होता और जहां इससे विपरीत होता है वहां हम मुग्ध हो जाते है। लोगों को यह कहते सुना कि चोरी कर आदमी अघा जाता है। वेश्यावृत्ति करने वाली नारी एक पति से बंध जाती है तब वेश्यावृत्ति से उसे घृणा हो जाती है। मानव ने आदर्श समाज की सरचना मे एक पुरुष एक नारी से सम्बन्ध को बताया है।

किसी विज्ञान ने नहीं, नारी से प्रताड़ित पुरुषों ने नारी में 8 गुनी काम वासना आरोपित की। जबकि अधिकांश नारियां एक पुरुष से अधिक के पास नहीं जाती और पुरुष जिसमें नारी के मुकाबले 1/8 काम वासना है वह एक नही अनेकों नारियों से भी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए विश्व के समस्त समाज शास्त्रियों ने पुरुष के लिए एक से अधिक पत्नी का प्रावधान किया और नारी के लिए एक पुरुष को आदर्श माना है। यह विरोधाभास क्यो ? दोनों में एक झूठ अवश्य है। लेकिन मैंने अपराधवृत्ति के मूल मे जिस तत्व को पाया, वह अधिकांश में 'काम' रहा है। काम का असतुलन आधिक्य, विपर्यय—मैं उपदेश की बात नहीं कहता और न समाज शास्त्रियो से अपने सिद्धान्तो अनुभवों आदि में परिवर्तन करने को कहूंगा। यह भी सम्भव

है कि मैं अपने निर्णय में सही नहीं हूँ—मेरे नतीजे भ्रान्तिमूलक हों। लेकिन यह बता दूं कि मेरे नतीजे न होकर उन लोगों के नतीजे रहे है जो ऐसे अपराधवृत्ति के शिकार रहे हैं, यह भी सम्भव है कि काम की आसक्ति क्षण स्थायी हो, मात्रपाशविकवृत्ति हो, जो हमारे शरीर से आगे मन के किसी कक्ष को न छूती हो।

यह कहानी मेरे वकालत की कहानी है। एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ 30 वर्षीय युवक द्वारा बलात्कार के मुकदमें में थानेदार द्वारा कही गयी थी। इस मुकदमें की तफतीश भी उसने की थी। मैं अभियुक्त का वकील था। थानेदार साक्षी में आया था। मैंने घुमा फिरा कर प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। खोजपूर्ण प्रश्न, तर्क से भरे प्रश्न--उत्तरदाताओं को भुलाने वाले प्रश्न और थानेदार चूक गया था। उस के प्रश्न उत्तर समान हो रहे थे और बिना सिर पैर के उत्तर आ रहे थे। प्रश्नों का मायाजाल व्यूह रचना इतनी जटिल थी कि थानेदार को मैंने मंत्र मुग्ध कर दिया था। अन्त में मेरे प्रश्नों के उत्तर मेरे चाहे अनुसार आ रहे थे। मैं आम जिरह में कभी पूर्णरूपेण सफल नहीं होता था लेकिन कई मामलों में मेरे प्रश्न जटिल बन जादू सा असर पैदा कर देते थे। मेरे एक सहज प्रश्न का उत्तर थानेदार यह दे गया कि अवयस्क रामप्यारी की मां को रामप्यारी अनेक बार अपने पिता या अन्य व्यक्तियों के साथ संभोग करते देखकर इस व्यभिचार लीला में फंसी थी यद्यपि रामप्यारी की स्वीकृति से इस मुकदमें के निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह अवयस्क थी और अवयस्क की स्वीकृति से बलात्कार समाप्त नहीं होता, लेकिन मैंने रामप्यारी के कथन और थानेदार के बयान से यह स्पष्ट कर दिया कि रामप्यारी को इस आयु में भी शौक लग गया था और वह इस अनजाने शौक की पूर्ति के लिए अभियुक्त के पास गयी थी।

थानेदार से लगभग साढ़े तीन घन्टे जिरह चलती रही। उसके ललाट पर पसीना चू आया था। वह घबरा गया था थकान अनुभव करने लगा था। उसकी आयु मेरी आयु के बराबर थी मेवाड़ का शासन समाप्त हुआ ही था।

थानेदार का नाम गफ्फार अली था। वह दसवीं कक्षा में मेरा सहपाठी था। मैट्रिक कर वह पुलिस में भर्ती हो गया और मैं वकालात में लगा। उसके बाद वह थानेदार हो गया था मुझे मालूम था कि वह वेश्या का लड़का था और पिता के नाम पर किसी का नाम रख लिया था जो संसार में नहीं था। वेश्या का पुत्र होने के कारण ही वह सीधा थानेदार नहीं बन सका था अन्यथा उन दिनों मैट्रिक पास कर लेने के बाद थानेदारी सहज मिल जाती थी। जिरह की शाम को थानेदार मुझसे मिलने आया। यह बता दूं तो अभिमान की बात नहीं मानी जाए कि मैं जहीन होशियार और अच्छा विद्यार्थी माना जाता था और गफ्फार गणित में बहुत कमजोर था वह मेरे पास गणित पढ़ने आता था। स्वभाव में कोमल, स्नेहपूर्ण था। पढ़ते-पढ़ते अक्सर छात्रावास में वह मेरे साथ ही सो जाता था और मेरे जिम्मे एक्स्ट्रा थाली का पैसा लगाकर भोजन कर लिया करता था। वह उन दिनों ही नहीं व्यावसायिक दिनों में भी मेरी बहुत कद्र करता था। वह पहली बार मेरे जिरह के ताव को देख पाया था इससे पूर्व वह मात्र सुनता था। आते ही झेंप मिटाते हुए बोला–वकील साहब आपकी जिरह के लिए मुबारकबाद।

मैं मुस्कराया–लेकिन लाभ ?

यह आप जानें। लेकिन एक बहुत बड़ा लाभ आपने अर्जित कर लिया।

मैंने कहा–वह क्या ?

गफ्फारअली संयत हुआ–आप मेरी जिन्दगी की दास्तान तो जानते है। वह आगे कुछ कह रहा था कि मैंने कहा–हां दोस्त बोलो चाय या काफी और अभी का भोजन तो मेरे साथ ही।

गफ्फार दब गया–जी भी। यह बंदा हाजिर है।

और मैंने नौकर को आवाज दी–दो काफी, हां मिठाई भी और अन्दर कह देना। गफ्फार साहब यहां ही भोजन करेंगे।

मैं उस समय अकेला बैठा था। कार्यालय में गर्मी बहुत थी बिजली बंद थी, नौकरानी लैम्प लेकर आ रही थी। मैंने गफ्फार से रोशनी की सलामी ली और उसने हँसकर नमस्ते कहा।

मैंने कहा—लेकिन तुम्हारी दास्तान से आज की जिरह का क्या ताल्लुक ?

गफ्फार गम्भीर हुआ–वकील साहब, बहुत गहरा ताल्लुक है। लेकिन वह ताल्लुक अजीबोगरीब है।

मैंने कहा–अजीबो गरीब है।

उसने कहा-जी हां, मैने जिरह मे एक बात कही थी। रामप्यारी ने अपनी मां को उसके पिता या अन्य पुरुषों के साथ संभोग करते देखा है।

मुझे याद है।

वकील साहब, यह सब सस्कारों का दोष है। समाज की रीति-नीति का दोष है, वातावरण का दोष है। बचपन में क्यों, पढ़ाई समाप्त करने के बाद भी मैं अपनी माँ को अन्य पुरुषों के साथ सोते देखता रहता था। इसमें कोई नयी बात नहीं थी। माफ करना, आपने अपनी मां को अपने पिता के साथ कभी ऐसी अवस्था में सोते देखा है या अन्य पुरुषों के साथ ? माफ करना यह कहना, आपका, आपके कुटुम्ब का, आपकी माँ का और पिता का अपमान करना होगा, लेकिन मेरे लिए, मेरे कुटुम्ब के लिए मेरी माँ के लिए अपमान। माफ करना वकील साहब मैं अपनी वाल्दा के लिए यह सब कह रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं कि आप जानते हैं। इससे मेरी जिन्दगी का बहुत गहरा ताल्लुक है। मेरी मां ने ब्याह नहीं किया इसलिए मेरा कोई पिता नहीं है। बचपन में मुझे छोड़कर मेरी मां अनेकों पुरुषों के पास जाती थी तो हमें कुछ नहीं मालूम होता था, लेकिन ज्योंही मैं पढ़ लिखकर थानेदार हुआ और ब्याह किया तो वह सब अटपटा लगने लगा।

इतने में कॉफी व मिठाई आ गई। हमने मिठाई खाई तथा कॉफी पी।

गफ्फार ने कहा–भाभी साहिबा नहीं बिराजती है क्या ?

मैंने कहा–यहीं हैं। शायद आज रसोइया नहीं आया इसलिए भोजन बना रही होंगी। नहीं तो तुम्हारा नाम सुनते ही वह चली आती।

गफ्फार अली दब रहा था अपने ओछेपन पर और जैसे मैं अपने बडप्पन को बताकर उसके व्यक्तित्व पर छा जाना चाहता हूं वह छोटा मैं बड़ा।

चाय समाप्त कर गफ्फार ने कहा-वकील साहब, इस सबका असर यह हुआ कि मैं भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। आप जानते हैं हमारे हकों में इन सब की कितनी बडी छूट होती है। फरारी नाबालिग, फरारी औरत, बलात्कार, औरत की इज्जत लूटने आदि सब मामलों में स्त्री का हमें संयोग मिलता है। हम एकान्त में मिलते हैं। मैं एक नही अनेकों स्त्रियो को भोगता रहा। घर में बन्द बुरकावाली का कभी वास्ता नहीं पड़ा। वह थानेदार की पत्नी थी। मैं मूंछों पर ताव देकर उस बेचारी के सामने सब दास्तानें उसी रूप में कहता।

एक नहीं अनेक औरतों से पाला पड़ा। थाने की जेल, किसी एकान्त मकान में। मैने किसी को नहीं छोड़ा, जैसे मेरी मा के पास मर्द आते, मैं अनेकों औरतों के पास बिना डर के जाता और यह मेरा सहज कारोबार हो गया। चुस्कियां लेकर मैं इन सारी दास्तानों को अपनी घरवाली से कहता। शेखी बघारता हुआ। यों बता दूं कि घर वाली भी हमीदा बानू की लड़की थी जिसको उसकी गृहस्थ मौसी ने पालकर मेरे साथ ब्याह दिया था। आपने उसकी मौसी को तो देखा था न ? लेकिन कयामत बर्पा हुई, भूचाल आया, तूफान मण्डराया। एक सांझ घर लौटा तो पलंग पर घर वाली की लाश पड़ी थी। खून का दरिया बह रहा था। छुरी उसके खुले हाथ से छूटकर जमीन पर पड़ी थी। दरवाजा मात्र अटका था। सिरहाने एक पत्र रखा था।

मेरे होश गायब हो गये। मैं भौंचक्का सा उसे देखता रहा। खत को खोला, उर्दू जबान में लिखा था—

'मेरे प्यारे महबूब !

आपकी शेखी भरी दास्तानें आपको मुबारक। शायद आपने अपनी वाल्दा को देखा है। मैने अपनी वाल्दा को भी उसी तरह देखा था और मैं नफरत से भर गयी थी। जानवर की तरह यह करतूतें, आदमी जानवर नहीं हैं लेकिन जिसने भी भगतन बनाया होगा वह आदमी नहीं जानवर होगा। मैं इससे दूर भागती गयी। मौसी की शरण ली और उससे आजीजी की कि वह मेरा उद्धार करे। मुझे इस दोजख से बचाले। उसने आपको थमा दिया। वाह रे मेरे भाग्य। आपकी दास्तानों को सुनकर मैं पागल हो गयी और अब इस पागलपन का इन्तकाम मेरी मौत है। मैं बरदास्त नही कर सकी, आप अपनी मां के रास्ते पर चलते रहें।

दो अलग रास्ते–मैं खुद जा रही हूं कि कयामत के बाद खुदा पाक जिन्दगी और पाक खाविन्द दे...... ।

यह एक हरकत थी, एक जिन्दगी की दास्तान लेकिन इसके साथ कहानी खत्म नही होती। यह सिलसिला है जो चलता रहा। बेगम के मरने से मुझे बड़ा धक्का लगा। मेरे जीवन का सिलसिला टूट गया। खुदा की कसम बेगम के मरने के बाद मैने ऐसे किसी मुकदमें की तफतीश नहीं की, जिसमें औरत जात हो-मुझे नफरत हो गयी। औरत जात से नहीं, लेकिन ऐसे खोटे काम से और थानेदार ठहरा-फिर भी कहीं न कहीं ऐसे साबके पड़ ही जाते जब मुझे ही जांच या तफतीश करनी पड़ी। उसमें मैंने इन कामों से परहेज किया। इस मुकदमे में रामकन्या नाबालिग ही नहीं थी वह इतनी छोटी थी कि अजीबोगरीब स्थिति में पड़ गया। मुझे लगा कि रामकन्या सिर्फ कद में बोनी थी इश्कमिजाजी में वह पूरी जवान थी और मैं फिसलते-फिसलते बच गया। बचा वह भी मेरे नऐ जिन्दगी के आयाम से।

गफ्फार का गला भर आया। वह एक क्षण रुका। गीली आखें हो गई। भावुकता पर काबू पाकर वह स्थिर हुआ। मैं उसके चेहरे पर बदलते भावों को देखता रहा।

गफ्फार ने सिलसिला आगे बढ़ाया। मेरी पहली बेगम के बाद ही मुझे नया निकाह करना पड़ा। नयी बेगम मेरी मौसी की लड़की थी। वैसी ही जैसा मैं था। निकाह करने के बाद मैंने नयी बेगम अजीजा से कहा था हम दोजख के कीड़े हैं उससे निकल कर बाहर आये है। अब खुदा के लिए फिर वापिस उसमें न पड़ें। पहली बेगम की मौत की दास्तान कह सुनायी। वह टुकर-टुकर सुनती रही। मेरी हर बात की हामी भरती गयी, लेकिन सारी जिन्दगी का दरिया था, जिसमें कीचड़ कूड़ा करकट भरा था। सड़ा हुआ पानी बह रहा था, वह भी बहती रही। वैसी ही बहती रही। घर पर काम करने वाला नारन्दा कान्स्टेबिल, खानसामा, नौकर, पड़ोसी, राहगीर-ओह। उसने किसी को नही छोड़ा। ये सारी दास्तान मेरे पास आती रही और मैं दरगुजर करता रहा।

बेगम को नसीहत देता रहा लेकिन नसीहत का कभी असर नही हुआ। वह चलती रही, बहती रही, उसी जिन्दगी में उसका मजा था। उसकी मां के यहां तो बंदिश रही थी इसलिए वह बंदिश नहीं थी यहां बंदिश थी। इसलिए वह बंदिश से दूनी आगे बढ़ी और बढ़ती चली गई। मैं अन्दर ही अन्दर जलता रहा। आखिर एक दिन हादसा हो गया। मैंने बाहर जाने का कार्यक्रम उसे बताया लेकिन कहीं गया नही। दिन के 3 बजे घर पहुंचा तो अन्दर से कीवाड बंद थे। मैंने खटखटाया तो दरवाजा खोला अन्दर उसका यार था जो उसके पलंग पर नंगा सो रहा था। बेगम के बाल बिखरे हुए थे। मैं आपा खो बैठा और जेब से पिस्तोल निकाला तथा बेगम की छाती में दाग दिया। उसका बेरहम यार नंगधडंग भाग निकला। मेरा दूसरा वार उसी पर था लेकिन वह ओझल हो गया। मैंने किवाड बंद किए, लाश को कपडा ओढा दिया वैसा ही फर्जी खत बनाया और फिर मैं रो पड़

जैसा पहले वाली बेगम की मौत पर रोया था और उसको दफना आये। मैंने कसम खाली कि अब किसी औरत जात से किसी तरह का वास्ता नही रखूंगा। वकील साहब, आप नहीं जानते, इतनी कमसिन उम्र में मैंने इतनी तेज इश्कमिजाजी नहीं देखी। इसी कारण मैं मानता हूं कि रामकन्या इश्कमिजाजी में गर्म है खुदा न कहलाये। मैं मुल्जिम से ज्यादा जवान हूं। जब तफतीश में मैं रामकन्या से सवालात कर रहा था। तब रामकन्या मुझसे भीख माग रही थी। इश्कमिजाजी की और वह मेरे लिपट गयी। बड़ी मुश्किल से उसे मैंने दूर किया। आपने एक बात और नोट की होगी। डाक्टरी मुआयना। रामकन्या के साथ यह पहला हादसा नहीं था। उसके अन्दर वीर्य मिला लेकिन खून नहीं। डाक्टर ने जिरह में बताया था कि यह पहला वाक्या नही है।

मैने कहा—क्या फर्क पड़ता है मुकदमें के वाकयात और नतीजे पर?

थानेदार ने कहा—जी हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता वह नाबालिग जो है। जितने वाकयात हुए सब जुर्म थे। कुछ पकड़े गए, कुछ नहीं पकड़े गए।

मैं आश्चर्य से सारी दास्तान सुन रहा था। एक बात आप नही जानते, नयी औरत की जब नथ खोली जाती है तब उसका त्यौहार मनाया जाता है। कोठे पर जाने वाले व इश्कजादे कमसिन लौंडियों को पसन्द करते हैं। आप मेरी बहन फातमा को जानते हैं न, उसकी नथ ग्यारह वर्ष की उम्र में उतराई गयी थी–और रामगढ़ के ठाकुर ने पूरे 20000) रु० दिये थे। उस दिन कोठों पर त्यौहार मनाया जाता है। बाजेगाजे तो होते ही हैं, सिरणी बांटी जाती है। नाम बदल कर ऐसी नाबालिगाओं के नथ उतारने का जलसा 10–15 दफा होता रहता है। यह आदत भभकती जाती है और इश्कमिजाजी का गहरा नशा चढ़ आता है। वकील साहब, एक बेगम को मेरी इश्कमिजाजी ने खोया और एक को मैंने कत्ल किया। क्या फर्क पड़ा —बस अब मैं मादरजात नंगा हो गया हूं। किसी भी औरत पर भरोसा नहीं कर सकता।

इतने में पत्नी अन्दर से आती हुई दिखाई दी।

गफ्फार उठा, उसने पत्नी के पैर छुए।

पत्नी ने गफ्फार के अन्तिम शब्द सुन लिए थे। औरत का भरोसा क्यों नहीं, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। बहू तो ठीक है न।

गफ्फार–मौन रहा।

मैंने ही उत्तर दिया–पहली बेगम साहब मर गई और दूसरा निकाह हुआ वह भी नहीं रही।

क्यों क्या हुआ ?

गफ्फार ने हिम्मत कर कहा–भाभी साहबा। हमारे घराने में यह रोज के वाकयात है। जुर्मों का गढ़ है। खासकर जब हम सही रास्ते पर चलना चाहते हैं।

पत्नी हंसी, वह हंसी बड़ी फीकी थी। बदलाव आता है तो जलजला होता है। धरती काँपती है।

गफ्फार रो पड़ा–वह पत्नी के सामने अदना था।

पवित्रता की मूर्ति–उसकी भाभी उसके सामने खड़ी थी।

कठोरता

यह विश्व समझौतो पर चल रहा है। फिर भी कई व्यक्ति इतने कठोर होते हैं कि किसी भी प्रभाव, दबाव या आकर्षण से वे टस से मस नहीं होते। वकालत के जीवन में कई ऐसे व्यक्तियों से पाला पड़ा है जिनको मैं पत्थर दिल कहता रहा हूँ।

एक वकील का किस्सा मैं कह चुका हूँ जिसे शायद एक डाकिये ने गाली दी। इसका उसने अभियोग किया। जब अभियोग सिद्ध हो गया तो डाकिया, उसके कुटुम्बी उसके पैरों में आ पड़े यदि दण्ड मिला तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन वकील साहब के जूं तक नहीं रेंगी और वे बिल्कुल नहीं पसीजे। पत्थर दिल ने सारे कुटुम्ब को पेट की ज्वाला में जलने के लिए विवश किया। वह दृश्य मेरे लिए असह्य था। दूसरा वाद था एक महाजन का, जिसको पुलिस ने तंग किया। झूंठा अपराध लगाकर मारा पीटा, तो कभी लड़ाई न करने वाला बनिया ताव पर आ गया और उसने मार पीट का अभियोग किया कि पुलिस हिरासत में उससे झूंठी कबूलियत हासिल करने के लिये मारपीट की।

बनिया मेरे पास आया और बोला—आप मेरे वकील बन जाइये। पुलिस वालों को नसीहत नहीं देंगे तब तक इनकी ज्यादतियां समाप्त नहीं होंगी

और निरीह जनता के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। मैं भी यही चाहता था कि पुलिस अधिकारी को सबक सिखाया जाए। मैंने मुँह मांगी फीस पर मुकदमा ले लिया।

पुलिस अधिकारी ने पहले तो कई तरह की धमकियां दीं लेकिन बनिया न हिला। बनिया नौजवान छैला था। रसिक दिल और मौजप्रिय भी।

खैर, मुकदमा आगे बढ़ा। न्यायालय में प्रथम पेशी पर थानेदार ने कई आपत्तियां कीं और वे सब आपत्तियां आधारहीन रहीं और उसके बाद की पेशी पर साक्षी प्रारम्भ हुई। मेरे मुव्वकिल का बयान हुआ। उसने सविस्तार बयान दिया। जिरह हुई, उसमें नहीं टूटा। डाक्टरी प्रमाण पत्र था कि उसे बेंतों से मारा गया था। सारी साक्षी समाप्त हुई। अभियोग भरा गया। दुबारा जिरह प्रारम्भ हुई तो थानेदार घबराया। एक सांझ वह मेरे पास आया और गिडगिडाकर कहने लगा कि वह माफी मांगने को तैयार है। मुक-दमें का राजीनामा करवा दूं।

मैंने कहा—पेशी के दिन अपने मुव्वकिल से बात करुंगा।

थानेदार निराश लगा। उसे इस बात का ज्ञान हो गया था कि अब वह नहीं बचेगा, फिर भी वह साहस रखे था।

पेशी के दिन थानेदार मेरे कार्यालय में आ गया। मेरे मुव्वकिल ने उसे मेरे यहां बैठे देखकर आश्चर्य प्रकट किया और बिना हील हुज्जत के बोला—आप यहां।

थानेदार दबा हुआ था। उसने कहा — मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं।

मेरा मुव्वकिल जोर से हँसा—मुझसे और अर्ज। आज सूर्य पश्चिम मे उदय हो रहा है।

मैं चाहता हूं कि आप मुझे माफ कर दें। मैं भविष्य में कसम खाता हूं कि कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करुंगा।

मेरा मुव्वकिल खिंच गया—"""और कर लिया तो """थानेदार ने तपाक से उत्तर दिया "आपकी जूती और मेरा सिर""" ।" थानेदार मौन हो गया और मेरे बीच बचाव की प्रतीक्षा करने लगा ।

मैंने कहा—"थानेदार साहब अपने कर्मों का प्रायश्चित करने आए हैं ।" "आपका लगा खर्चा सब देना चाहते हैं । आप इन्हें माफ करदें ।"

"और मेरा सिर गंजा हो गया, उसका क्या होगा ?"

थानेदार — जो भी आप एवजाना कायम करना चाहें मैं देने को तैयार हूं, गलती हुई उसका प्रायश्चित कर रहा हूं ।

मुवक्किल ताव में आ गया ... क्या खूब, यह धर्म कब से सूझा— मैं माफी तो क्या आग में जलते देखना चाहता हूँ । बस आप चले जाइए इसी में भला है .. ।

थानेदार बगलें झांकने लगा । उदासी चेहरे पर उतर आई थी ।

खैर, उसकी तरफ की सफाई भी समाप्त हो गयी थी । बहस की तैयारी थी । थानेदार बहस के दिन अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आ गया । उसकी पत्नी भी घूंघट में थी ।

उन सबने आकर मेरे मुव्वकिल के चरण पकड लिए और जोर जोर से रो पड़े ।

मेरा मुव्वकिल टस से मस नहीं हुआ । उसने लात मार कर पैर छुड़ा लिये । थानेदार की हालत दयनीय थी—इतनी बडी विवशता, निराशा अंतिम सीमा पर आती है । थानेदार भी रो पड़ा । दोनों हाथ मुंह में डालकर मुझसे याचना की —वकील साहब, गलती इन्सान करता है । मुझसे भी गलती हो गयी । मैं दया की भीख मांगता हूं । मुझे सजा हो गयी तो मैं ही नहीं मेरे ये सब बाल बच्चे कण-कण के मोहताज हो जायेंगे । आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो

मैंने अपने मुव्वकिल की तरफ देखा। उसमें मुझे कहीं भी अन्तर नहीं नजर आया। वह उसी तरह अडिग था।

इतनी बड़ी याचना पर मुझे बोलना पड़ा – भाई साहब, मनुष्य माफ करता है, मनुष्य जुर्म करता है। आज ये भीख मांग रहे हैं। आप समझौता कर सको तो ......।

बनिया जोर से फटा–नहीं वकील साहब, मैं इस जीवन में माफ नहीं कर सकता। ये भूखे मर जाए। इनको वह सब हो जाए, जो होना चाहिये तब भी मैं समझौता नहीं करूंगा। थानेदार ने अन्तिम बार मुव्वकिल के पैर पकड़े। उसने लात मार दी। थानेदार जमीन पर बैठा था। उसका सिर मुव्वकिल के चरणों में था और वह जोर से रो रहा था।

आखिर निराश होकर उसने बहस की। एक पेशी ली और बाहर गया और ऊंचे से ऊंचे वकील को लाया।

आखिर बहस हुई। उस दिन बाहर से आने वाले वकील ने एक बार मुझे और कहा कि मैं अपना प्रभाव डालकर राजीनामा करवा दूँ। यही नहीं उन्होंने हाकिम साहब से बहस समाप्त कर यह प्रार्थना की कि थानेदार की नौकरी चली गयी तो बच्चे दर दर के भिखारी हो जायेंगे।

हाकिम ने कहा – वकील साहब। आप राजीनामा करा सको तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप प्रयत्न कीजिए, मैं लम्बी पेशी दे देता हूँ।

मैंने कहा – मुझे सम्भव नहीं मालूम होता। उसके बाद थानेदार ने अधीक्षक पुलिस को मेरे पास भेजा। मेरे मुव्वकिल को मैंने बुला भेजा था। लेकिन मेरा मुव्वकिल एक इंच भी नहीं हटा

बहक रहा था। समझौता क्यों ? मैंने जो पीडा देखी वह आप नहीं समझ पाएंगे। थाने में बुलाकर बिना बात मुझे मारा। वह मार मैं भूल नही सकता। उस वक्त थानेदारजी की बारी थी। आज गेंद मेरे हाथ में है। थानेदार उस पीड़ा को भूल गया, जब अपने हण्टर से मेरी पीठ को नापता था। वकील साहब ! मैं किसी भी कीमत पर इनको माफ नहीं कर सकूंगा।

और यह कहकर वह चला गया।

थानेदार आखिर एक ऐसी महिला को लेकर आया जिसके प्यार के पीछे बनिया पागल था। वह उसे बहन कहता था और वह उसके राखी बांधती थी।

भाग्य से थानेदार के श्वसुर के साले की वह रिश्तेदार थी।

बनिया अगर किसी से दबता था तो उससे। उसका कहा कभी टालता नहीं था। वह पढी लिखी थी। उसे लेकर मेरे कार्यालय में पेशी के एक दिन पूर्व आया। उसका नाम देवी था। एक सुन्दर, स्वस्थ लड़की, जिसको देखकर आप आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते।

थानेदार ने कहा – ये सेठजी की राखीबंध बहन है। मेरी स्त्री इसे ले आई हैं। आप उनको बुलादें तो बडी कृपा होगी।

मै वस्तुतः समझौता चाहता था। किसी गलती की इतनी बडी सजा देना मै नहीं चाहता था। एक अपराध हो जाए तो वह क्षमा नहीं किया जाए, यह मैं सोच भी नहीं सकता। मैं सदैव भूलने के पक्ष में रहता रहा हूं।

मैंने कहा – आप सेठ के पास नहीं गई।

उसने कहा–उसकी पत्नी बडी कठोर है। पता नहीं वह उनके और मेरे सम्बन्ध में क्या क्या सोचती है। वे मेरे भाई साहब हैं। मैं राखी बांधती हूं। सेठानी यह समझती है कि यह ढोंग है। फिर भी वह हमारे स्नेह को नहीं रोक सकती। अगर हमारा स्नेह खोटा होता तो मेरे पति मुझे क्यों इजाजत देते ?

अच्छा मैं बुला देता हूं।

थोड़ी देर में सेठ आ गया। देवी मेरी पत्नी के पास बैठी थी।

देवी ने सेठ के चरणों में नमस्कार किया। सेठ के चेहरे पर मुझे भावों का बोझ आते दिखाई दिया। वह समझ गया कि यह समझौते के लिये लायी गई है।

देवी कुछ बोले उससे पूर्व ही सेठ ने कहा–बहन ! मैं तुम्हारे वचन नहीं तोड़ सकता लेकिन मेरे शरीर का अणु-अणु थानेदार की मार से दर्द कर रहा है। बस तुम और सब कहना इसके लिए मजबूर मत करना।

देवी – भाई साहब आई तो इसीलिए हूं।

पत्नी बोली – सेठ साहब ! क्षमा करना बड़ों का काम है।

सेठजी बोले – भाभी साहिबा, मैं उस सारी मार को नहीं भूल सकता जब थानेदार हिंसक बन कर मुझ पर टूट पड़ता था। मुझे विवश होकर कहना पड़ रहा है कि मैं अपनी उस बहन का कहना लोपूं और माता समान भाभी की बात टालूं। लेकिन सच यह है कि ऐसे नर-राक्षस को क्षमा कर दिया तो सत्ताधारी ये अधिकारी कभी नहीं सुधरेंगे।

देवी ने कहा – भाई साहब मैं क्षमा की भीख मांगती हूं।

सेठ–बस, वह मैं नहीं कर सकूंगा। दुनिया की और कोई बात मांगो, खड़ा-खड़ा सूख जाऊंगा लेकिन समझौता मैं नहीं कर सकूंगा।

पत्नी ने एक बार और सेठ की आंखों में देखा और वह अन्दर चली गई।

सेठ क्षमा नहीं कर सका और थानेदार को दो वर्ष की सजा हो गयी।

रखैल

वकालत जीवन के अनुभवों को न लिख पाऊंगा तो मेरा लेखन अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैंने याद आते-आते उन कथाओं को लिखा है। यह भी उसी समय की एक कथा है लेकिन उस समय की है जब हमारे राज्य में कानून लागू हो गया था और कानून के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी थी। दीवानी फौजदारी का काम केवल ऐसे हाकिमों को दिया गया था जो कानून पास थे। इसलिए साधारण अवहेलना के अतिरिक्त बहुत अन्याय की सम्भावनाएं नहीं थीं। कार्यवाही करने की पद्धति थी, कानूनी साक्षी चालू थी और साथ ही दण्ड विधान और दीवानी वादों से सम्बन्धित सब कानून लागू हो गए थे। द्वितीय अपील का प्रावधान भी था। हाई-कोर्ट बन गयी थी। जागीरदारों की महेन्द्राज सभा समाप्त हो गयी थी। यह महेन्द्राज सभा (महा इन्द्र सभा) उच्चतम न्यायालय था।

इन्हीं दिनों मेरे पास एक मुकदमा आया, अभियुक्त की तरफ से। अभियुक्त ठाकुर नरेन्द्र प्रसाद सिंह अनूपगढ़ में था। मरहूम दरोगे का नाम पन्ना था। उसकी पत्नी जागीरदार की रखैल थी। कहा यह जाता है कि आगी

रदार की पत्नी बहादुर बाई शक्तावत के साथ पन्ना का अनुचित सम्बन्ध था। जिसको ठाकुर ने एक दिन देख लिया। ठाकुर दोनों को मारना चाहता था लेकिन ठकुराइन भाग गयी और अपने महल को बंद कर बैठ गई। खिडकी से हल्ला किया। पुलिस आ गई और ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया।

पन्ना की पत्नी मोतीबाई, एक अन्य दासी सोनी और एक चाकर दमाराम उपस्थित था। प्रथम सूचना रानी की तरफ से गाँव के एक बनिये ने दी थी। उसका नाम गोविन्दराम था।

ठाकुर जब मेरे पास आया तो उसने एक अजीब कहानी बताई कि ठकुराइन ने पन्ना लाल को मारा है क्योंकि वह ठाकुर को औरतें पहुंचाने का काम करता है और पुलिस के गवाह इस बात की पुष्टि करेंगे।

राज महलों की घटनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। उनमें अधिकांश काम प्रेरक होता है—चरित्रहीनता, एकाधिकार, अन्यथा किसी रानी ने राजा के विरुद्ध कभी एक कभी अनेक औरतों को भोगते देखकर भी शिकायत नहीं की। जैसे ठाकुर का यह अधिकार था। रानी के साथ आयी दासियों में खूबसूरत दासी पासवान या रखैल बनती ही थी। रानी की वह दासी होती थी और राजा की रखैल।

इसलिए मैं इन उपरोक्त दोनों पक्षों को तोल रहा हूं। दोनों बातें पूरी तरह समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि पन्ना दरोगा का ताब नहीं था कि वह आपत्ति करे। उनमें एकाधिकार जैसे कभी रहा ही नहीं। वे तो वेश्याओं के लिए तथाकथित तबलची से हैं। इसलिए पन्ना को राजा साहब मारे, यह भी समझ में नहीं आ रहा था रानी साहबा के मारने का प्रश्न ही नहीं था।

—ठाकुर साहब की तरफ से कामदार आया था। उससे मैंने जानकारी की तो उसको सौ प्रतिशत विश्वास था कि पन्ना और रानी जी का किसी तरह का संबंध नहीं हो सकता। रहा रानी जी की शंका का कारण, वह भी नहीं हो सकता क्योंकि रानी स्वयं पतिव्रता सती थी और यह आम चर्चा थी।

मैंने जमानत का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। वह स्वीकार हो गया क्योंकि न्यायालयों पर यह प्रभाव तो था ही।

ठाकुर राणा साहब जब छूट कर आए, तो सीधे मेरे कार्यालय मे आए। यह पहला अवसर था जब 'राणा' उपाधिधारी व्यक्ति किसी के घर पर जाए। यों शायद वे मुझे बुला भेजते तो मैं जाता। मैं उनको लेकर बैठक के कमरे में चला गया। सम्मान किया। चाय नाश्ते के लिए पूछा वे कतई इन्कार हुए। वस्तुतः राणा साहब स्वभाव और मन से बड़े कोमल थे। नशीली आंखें, प्रशस्त ललाट, लम्बा कद और आयु तीस पार नहीं कर पाई होगी।

मैंने पहला प्रश्न पूछा—इस घटना के संबंध में आप कुछ कहेंगे। मैं सोचता हू राणा कुछ पढ़े लिखे थे। मेयो कालेज के विद्यार्थी रह चुके हैं। कुछ विद्वत्ता एवं संस्कृति की आभा उनके चेहरे पर विद्यमान थी। सामन्ती अक्खड़पन भी नही था। मेरे प्रश्न के शब्दों के साथ साथ ही उनके चेहरे पर विचित्र भाव प्रकट हो रहे थे—एक उदासी, अन्यमनस्कता। अजीब व्याकुलपन और अनजानी व्यथा—वे जैसे अपने अन्दर ही झगड़ रहे हों, एक अन्तर्द्वन्द्व चल रहा हो। वकील साहब, हम कुछ नहीं जानते। एक बात और बता दूं हमने यह अपराध नहीं किया। करने की सोचते तो कोई चिड़िया भी नही जान पाती। किस की मां ने सौंठ खायी जो यह सूचना देता और मुझे मारना ही होता वो पन्ना जैसे संजिदे नौकर को शिकार में साथ ले जाता और वहीं उसका काम समाप्त कर देता।

पुलिस ने यह लिखा है कि पन्ना का रानी साहब""""मैं आगे बोलूं कि ठाकुर साहब क्रोध से कांप गये फिर फौरन अपने आपको संयत कर बोले-बकवास है! हमने रानी साहिबा पर कभी शंका नहीं की। मारने का प्रश्न तो उठता ही नहीं-और सच! वकील साहब, हम अपनी आंखों से देख भी लेते तब भी पन्ना को मारने की बात नहीं सोचते।

"पुलिस ने ऐसा दर्ज किया है—" मैंने दुहराया।

झूंठ, सरासर झूंठ, यह उनका अन्दाजा है।

उसमें यह भी लिखा है कि पन्ना की पत्नी श्रीमान की रखैल है।

यह भी सफेद झूंठ! पूरा का पूरा झूंठ! सब ठिकानों को एक ही तराजू में तोला जाता है। लेकिन पुलिस यह भूल जाती है कि तराजू में तोले जाने वाली जिन्सें नहीं हैं, जीवित प्राणी हैं, उनके मन का तोल-मोल एक नहीं हो सकता। हमने आज तक रानी साहिबा के सिवाय किसी के हाथ तक नहीं लगाया। अलबत्ता ठिकाने में यह रिवाज है।

मैंने कहा-इत्तला गोविन्दराम ने दी है।

ठाकुर हंसा—हमारे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन यह कत्ल भी उसी ने किया है या कराया है। बनिया है लेकिन शौकीन है, औरतों का दास। बहुत बड़ा तीरदाज-औरतों के लिए, गोलीमार औरत पर। वकील साहब आप अपनी बात सोचें। लेकिन पुलिस ने हमारे विरुद्ध यह सब क्यों किया क्या सबूत है उनके पास?

मैंने उन सब गवाहान की सूची उनको बता दी।

देखकर वे स्तब्ध हो गए। फिर गम्भीर होकर बोले—या तो मैं पागल हूं या फिर पुलिस अधिकारी। ये गवाहान क्यों झूंठ बोलेंगे मेरे विरुद्ध जब कि मैंने कुछ भी नहीं किया।

मैंने बात काटी-आप गोविन्दराम के सम्बन्ध में कुछ कह रहे थे।

ठाकुर साहब की आँखें इधर उधर फिरी जैसे वे कुछ ढूंढ रहे हों

वकील साहब ! गोविन्दराम मोती बाई पर पागल था। वह अहर्निश मोती बाई के इर्द गिर्द घूमता रहता था। वह ठिकाने में भी आता जाता था। हमने उसे उस औरत के चक्कर लगाते देखा है। यही नहीं, एक दिन वह रात के अंधेरे में नाल में उसे रोके खड़ा था। इतने में हम आ गए बनिया छोड़ कर भाग गया।

मोती बाई के साथ प्यार के कारण उसके पति को क्यों मारा ? दरोगों में तो ऐसा होता आया है।

ठाकुर हँसा–नहीं वकील साहब, आपने यह रीति नहीं समझी है। यह ठीक है कि दरोगा की पत्नी–दासी होती है। रोटी कपड़े में रानी साहिबा के साथ दासी बनकर आती है। फिर हमारे नौकर के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। लेकिन वह ठाकुर की रखेल बनी रहती है। इसका आशय यह नहीं है कि वह वेश्या है या हर किसी की पासवान बन जाए। न मोती बाई इसके लिए तैयार थी और न उसका पति पन्ना भाई ही। आप नहीं जानते, पन्ना भी हमारा धाय भाई था अर्थात् उसकी माँ का मैंने दूध पिया है। इस सम्बन्ध को ठुकरा दूं, नहीं वकील साहब ! मैंने मोती बाई की तरफ कभी बुरी दृष्टि से नही देखा। वह मेरे भाई की पत्नी थी और इसी व्यवहार से मैं उसे मानता आया हूं।

मैंने साहस कर कहा–ठाकुर साहब पुलिस को यह साहस कैसे हुआ कि वह आप पर हाथ उठाये।

हमें कई रुतबे हासिल थे। एक हम भी था कि कोई हमें गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन वे सब समाप्त हो गये। फिर भी''''वे रुक गए।

गत वर्ष ठाकुर साहब ने सोन सागर पर डाका डाला था। पुलिस ने उनको गिरफ्तार तो किया लेकिन उनको महलों में रखा, जेल में नहीं।

ठाकुर गम्भीर हुये–वकील साहब, वह हमारे लिए मुश्किल नही था। लेकिन हमने माँगा नहीं। महाराणा साहब को निवेदन नहीं किया और हम नहीं चाहते कि जब हम अपराधी हैं तब हममें और साधारण आदमी में क्यों अन्तर बरता जाए।

—यह शुभ विचार है। मैं सोचता हूं पुलिस के गवाह यदि उसमे बताये बयान दें तो आप पर कोई अपराध नहीं है।

हमारा विचार भी यही है। वे बिना बात क्यों झूठ बोलेंगे।

—और ठाकुर साहब पेशी पर आये। उनके साथ उनकी पत्नी थी। मैने पूछा आपके विरुद्ध गवाहान आये हैं।

ठाकुर साहब ने बताया कि उन्होंने गवाहान से मिलने का ओछापन नहीं किया। पेशी के दिन गवाहान के बयान प्रारम्भ हुए। सब गवाहान ने बयान दिया कि उन्होंने कुछ भी नही देखा। पता नहीं पन्ना का कत्ल कैसे हुआ। यह सुना जरुर है कि उसका कत्ल गोविन्दराम ने किया है।

मोती बाई का बयान हुआ।

उसने घूंघट में ही रहना पसन्द किया। वह कंचुकी और कुर्ती पहने थी। शरीर इकहरा था। बड़ी बड़ी आंखे थी। उन आंखों में जैसे सपने भरे हों। वह एक बार सामने देखती फिर नीचे और ज्योंही उसकी निगाह नीचे झुकी कि जैसे सारा स्वर्ग उसके चरणों में बिछ गया। मेरी ही क्यों न्यायालय की आँखें भी नीचे झुक जाती जैसे उसके चरणों मे आ बिछी किसी वस्तु को वे अपनाना चाहते थे।

पतली पतली लेकिन मांसल बाहें, थी। इतनी सुन्दर कोमल नारि मैंने पहले कभी नहीं देखी। उसका खुला शरीर गुलाबकी पंखुड़ियों जैसा था

पैरोकार पुलिस ने पूछा–आप ठाकुर साहब को जानती हैं। उसने टञ्च् किया। वे आपको चाहते थे, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया।

आप उनकी रखैल थी।

मोती बाई की जबान खुल गयी। यह गलत है, मैं उनके भाई की पत्नी थी और वे हमेशा उसी दृष्टि से मुझे देखते थे।

आपका विवाह किससे हुआ ?

उसने नाम नहीं लिया। पेरोकार ने प्रस्ताव किया पन्नाजी से,

उसने कहा—हां ?

वे हैं ?

नहीं।

क्या हुआ ?

उनको मार दिया गया।

पेरोकार को जैसे नशा चढ आया। अदालत में एक नया वातावरण उठ आया। सब भौंचक्के से उसे देखने लगे। सबका स्वांस रुक गया। किसी को आशा नहीं थी कि वह ठाकुर साहब के विरुद्ध बयान देगी। लेकिन उसने जब कत्ल की बात कही तो सब स्तम्भित थे।

किसने ?

और मोती बाई रुकी, सहमी, उसने बड़ी बड़ी आंखों को डुलाया—सेठ गोविन्द राम ने।

सारे न्यायालय में तहलका मच गया। अदालत भी स्तब्ध थी। ऐसा लगा जैसे अदालत में कत्ल हो गया। एक नया शून्य छा गया अदालत में। जैसे पन्ना का गोबिन्द राम ने कत्ल किया हो और सब उसके गवाह हों। सबकी सांस रुकी थी। आगे के प्रश्न की सब प्रतीक्षा कर रहे थे। सिर्फ पेरोकार के चेहरे पर क्रोध भभक आया था।

उसने न्यायालय से कहा—गवाह अभियुक्त की रखैल है। वह अपने पूर्व बयान से मुकर रही है। मुझे जिरह की आज्ञा दी जाए। मोती बाई को जैसे किसी ने चप्पल मारी हो और अपने हाथ को उसके

शरीर में छोड़ दी—मैं एक अर्ज करना चाहती हूँ। ठाकुर साहब मेरे जेठ हैं, कुछ भी कहें दें पर इतनी हीन गाली न दें।

अदालत ने पुलिस का बयान पढ़ा और पैरोकार को जिरह की आज्ञा दी। पेरोकार के मुंह पर प्रसन्नता उभर आयी। उसने कहा—तुम्हारा पुलिस में बयान हुआ ?

नहीं, मेरा बयान कभी नहीं हुआ, न मुझे किसी ने कुछ पूछा। घटना के दिन मैं बावली सी घूमती फिरी। ठाकुर साहब से अर्ज की। ठाकुर साहब ने उसी समय पत्र लिखकर पुलिस के बड़े अफसर को भेजा।

तुम ठाकुर साहब से बोलती हो।

नही हुजूर। मैं कभी नहीं बोली। सिर्फ उसी दिन बोली।

पेरोकार जैसे पैरों पर नाचने लगा। कभी बांया, कभी दाहिना पैर वह उठाता और रख देता। मुकदमे की हलचल उसके शरीर में हो गयी थी। मैं मौन खड़ा सब देख रहा था। किसी गवाह ने ठाकुर के विरुद्ध कुछ नहीं कहा था।

पेरोकार चिल्लाया, जैसे फट पड़ेगा—सर, हर दासी ठकुराइन की दासी और ठाकुर की रखैल होती है।

मोती बाई—हाँ पेरोकार साहब ! आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे ठाकुर साहब ने सारे रीति-रिवाज बदल दिए हैं। इनके न रखैल है न पासवान।

थानेदार तुम्हारे पास आया था।

मोती बाई गम्भीर हुई—आया था '

कोई बातचीत हुई।

हुई थी।

क्या ?

वही जो मैं अभी बताने जा रही हूं ।

तो बताइये । आपने गंगा मां की सौगंध खाई है ।

हुजूर । सच बता रही हूँ, गोविन्दराम की मुझ पर आँख थी। वह मुझे पैसे से खरीदना चाहता था। वह मेरे पीछे-पीछे घूमता था। कभी क्या डर बताता, कभी क्या ? कभी लोभ देता, कभी सब्ज बाग दिखाता । गत वर्ष वह मेरे पीछे-पीछे घूम रहा था। मेरे पति को क्रोध आ गया। इन दोनों की जमकर लड़ाई हुई। पुलिस में इत्तला हुई और दोनों की जमानतें हुई- दोनों को जिन्दगी का खतरा था। हुजूर, पुलिस में कार्यवाही चली। अदालत में मेरा बयान हुआ। उसमें मैंने यही बयान दिए हैं। एक नयी खलबली मची, यह औरत नये-नये आम उगा रही है हथेली पर।

पेरोकार, पुलिस के चेहरे पर कालिमा पुत गयी।

मोती बाई ने कहा—हुजूर इन्हीं पेरोकार साहब ने मेरा बयान कराया था ।

अदालत ने कहा—पेरोकार साहब कौन सा मुकदमा है ?

पेरोकार मौन रहा, फिर रुककर बोला – याद कर अर्ज करुंगा ।

अदालत के अहलकार ने कहा – हुजूर मुझे याद है, मैं ले आऊं ।

जाओ ।

पेरोकार ने व्यर्थ ही प्रश्न पूछा। तुमने उस मुकदमे में गोविन्दराम के लिए क्या कहा ।

मोती बाई रो पड़ी—हुजूर कागज मंगाकर देखलें। मैंने यही बात कही जो आज कह रही हूं ।

पेरोकार – फिर बाद में क्या हुआ ?

मोती बाई – यह 6 महीने तक गढ़ में नहीं आया। एक दिन मैं बाजार में जा रही थी उसने मेरा पीछा किया हाथ जोड़े पैर पकड़ा

मैंने एक भी बात नहीं मानी। इसके कुछ साथियों ने पकड़ कर मुझे पीरबाबा की कब्र पर पहुंचा दिया। मुह में कपडे ठूंस दिये। वहां जब डाला तो मैंने उससे इशारे से प्रार्थना की, मुंह से कपडा निकालने की। ज्योंही कपड़ा निकाला, मैं चिल्लाई। पुलिस के दो सिपाही चाँदमारी कर लौट रहे थे।

वे दोनों लपक कर आये और ये सब भाग गए।

उनमें से एक सिपाही साधु व्यक्ति था, एक चालाक। साधु आदमी का नाम मोहनराज था। हजूर उसने थाने में इत्तला की। वह मुकदमा अदालत में चल रहा है। तीन माह पहले ही मेरा बयान हुआ है।

उसी अहलकार ने कहा – हुजूर मुकदमा अभी चल रहा है।

आज्ञा हो तो फाइल ले आऊं।

मजिस्ट्रेट नए-नए आए थे। अभी एक माह भी नहीं हुआ था, लेकिन पेरोकार तो लगभग 3 वर्ष से चल रहा है। वह सब स्थितियों से परिचित था। पुरानी घटनाओं से भी। इसलिए वह निराश होकर मौन हो गया लेकिन न्यायालय को चाव था, घटनाक्रम की पूरी कड़ी को समझने का।

फाइल आयी। उसमें से कुछ प्रश्न न्यायलय ने पूछे। उसके बाद की घटनाओं पर न्यायालय के प्रश्न थे।

हाँ आगे क्या हुआ?

– मोती बाई मौन हो गयी। स्मृतियों का अम्बार उसे विवश कर गया।

उसकी आंखों के आगे का घूंघट गीला हो गया उसने आंसू पूछे। वह रोती-रोती बोल रही थी। घटना के दिन वह आया, उसके साथ तीन–चार आदमी वे ही थे जो मुझे पकड़ कर पीरबाबा की कब्र पर ले गये थे। दूसरे दिन वापिस पधारे थे। ठाकुर साहब सुबह से ही बाहर पधारे थे

उन्होंने आते ही मुझे पकड़ा । मैंने हल्ला किया, मेरा पति भागा हुआ आया । गोविन्दराम ने उसके गोली मार दी और वे सब भाग गए ।

हुजूर हम दरोगे है । एक होती है वैसी सब नहीं होती । न हम जानवर हैं और न मशीनें ही, बस हुजूर मालिक है, लेकिन जो कहा वह सच है ।

यों मुकदमा पूर्णतः स्पष्ट हो गया था । ठाकुर साहब के विरुद्ध कहीं कोई सबूत नही था, फिर भी न्यायालय ने एक अन्तिम साक्षी ठकुरानी साहब का बयान लेना उचित समझा और वह भी उन्ही के महलों में । मैं भी अनूपपठ प्रथम सूचना में जो बात कही गई थी और ठाकुर साहब ने जो बताया उसमें बहुत विरोधाभस था । इसी विरोधाभास के लिए मेरा मन उतावला था । मजिस्ट्रेट से मेरी बात हुई थी । उन्होंने कहा था इस मुकदमे में इतना बडा विरोधाभास है कि न्यायालय के लिए रानी साहब का बयान होना जरूरी है ।

महल में पर्दा लगा दिया गया था । लेकिन ठाकुर साहब ने मजिस्ट्रेट को कहा कि इस पर्दे को वे स्वयं नहीं रखना चाहते । पुलिस को यह अवसर देना नहीं चाहते कि जो बयान हो रहा है वह रानी साहब का नही है ।

उन्होंने हमारे सामनें से पर्दा हटवा दिया । सामने गद्दे तकिए पर घूंघट निकाले राणी साहिबा बैठी थी । रंग श्याम था, हाथ भी अजीब नजर आ रहे थे । चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था । आसपास छः सात् दासियां बैठी थीं । सब एक दूसरे से अधिक खूबसूरत । रानी साहिबा का शरीर मोटा था, जिसको थुलथुल की सज्ञा दी जा सकती है ।

पेरोकार पुलिस के प्रथम प्रश्न पर ही राणी साहिबा ने कहा—मैं अपना बयान दे रही हूं । आपको किसी उत्तर की आवश्यकता हो तो फिर पूछ लीजिएगा । अभी मौन रहें ।

मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी—ठकुराइन पढ़ी लिखीं लगी । उसमें सज्जनता विद्वत्ता लगी, और साथ ही कुटम्ब तथा शिक्षा-दीक्षा का अभिमान भी ।

–पन्नालाल हमारे यहां नौकर था। उसका विवाह मोती बाई से हुआ था। पन्नालाल ठाकुर साहब का धाय भाई है। मोती बाई मेरी दासी है। मोती बाई मुझे डेढ साल से सदैव शिकायत करती रही है कि सेठ गोविन्द राम उससे छेड़खानी करता रहा है, एक बार उसे पकड कर भी ले गया।

दुबारा फिर साहस किया। मैंने ठाकुर साहब से कई बार निवेदन किया। गोविन्दराम ठिकाने का बलेटिया है। बापदादों से उसका यही व्यवसाय चला आ रहा है। मैंने उसे कई बार टोका, लताडा भी, लेकिन वह नही माना। उसकी पत्नि को बुलाकर कहा कि उसे समझाऐ, लेकिन पैसे वाले अपने अभिमान ही में रहते है। वे समझते हैं कि वे सबको पैसे से खरीद लेगे।

घटना के दिन, एक गोली चलने की आवाज जीने से आई और थोडी देर बाद ही मोतीबाई रोती हुई आई और उसने बताया कि गोविन्दराम और उसके साथ चार व्यक्ति आए, उसे पकड कर ले जा रहे थे। इस बीच पन्नालाल आ गया। बस पर पन्नालाल को गोली मार दी।

पेरोकार ने प्रश्न पूछना प्रारम्भ किया–ठाकुर साहब महल में ही थे।

ठकुराइन–जी नहीं। वे प्रातः से ही बाहर पधारे थे। दूसरे दिन वापिस पधारे।

घटना स्थल पर ही ठाकुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था?

ठकुराइन—नही, यह गलत है। अलबत्ता यह सही है कि वे बाहर से पधारे थे। महलों में आये, उससे पूर्व उनको पुलिस ले गई।

पेरोकार— आपका ... ...।

आगे पूछे, उससे पूर्व ही वह बोली—बहुत अच्छा सम्बन्ध है ठाकु साहब से। वे एक नारी ब्रह्मचारी हैं और मैं एक पुरुष ब्रह्मचारिणी हू हम एक दूसरे को पति-पत्नि की तरह प्रेम करते हैं।

और मोती बाई।

जी ! वह कभी उनकी रखैल नहीं रही। वह मेरी दासी है तो मे देवरानी भी।

❁❁❁❁❁
❁❁
❁

मनुष्य खूंखार है

स्मृतियों के अंधियारे में जुगनु के चमक प्रकाश में कुछ तथ्य पकड पा रहा हूं फिर भी स्पष्टत: कोई घटनाक्रम बनकर सामने नहीं आता। जितना पकड़ पा रहा हूँ, वह एक ऐसी कथा बनती है जिसमें जोड़ तोड़ बैठा कर कथा को पूरा करना पड़ रहा है। फिर भी इस ताने बाने से जो कथानक सामने आता है वह अपने में एक विशेषता लिए है। मैंने अपनी पुरानी पत्रावलियों को ढूंढा। लेकिन कहीं भी वह पत्रावली नहीं मिल पायी। जो वर्ष मुझे याद है उसके आस पास के चार पांच वर्ष ढूंढ चुका-सम्भव है, मैंने सारी पत्रावली कहीं भेज दी हो या मुव्वकिल स्वय ले गया हो।

1940 से 50 के बीच किसी वर्ष यह मुकदमा मेरे पास आया था। पति की तरफ से मैं वकील बना। वह जाति का गोस्वामी था। भगवा रंग का साफा बांधे मोटा शरीर, छोटी-छोटी आंखें, आयु 50 से अधिक की होगी। मैं अपने कार्यालय में बैठा मुकदमे तैयार कर रहा था। उस समय चार पांच वकील मेरे कार्यालय में का काम सीख रहे थे। हाथ में

5 फुट लम्बी लकडी लिए एक मोटा चौड़ा पुरुष आया और जोर से बोला– जै राम जी।

मैंने पत्रावली से आंख उठाकर देखा। इतनी जोर की आवाज थी कि मैं स्वयं सहम गया, जैसे किसी ने धमाका किया हो।

मैं चिढ़ता कि उसने दोनों हाथ जोड दिये।

—हुजूर पूरे आध घंटे से खड़ा हूं। आपका ध्यान खीचने के लिए जोर से बोला हूं, माफ करना।

मेरा क्रोध आते-आते उड़ गया। मैं मुस्करा दिया और बोला बैठिये, कहां से पधारे हैं ?

मुझे एक मुकदमे में आपको वकील बनाना है।

कुछ कागजात वगैरा हैं ?

नहीं, सब अब तैयार करने हैं।

बैठिये, और मैंने प्रशिक्षणार्थी वकील से कहा कि वह सारी कथा सुनकर मुझे बता दे।

उसने कहा—नहीं हुजूर। मुझे सब बात आपको बतानी है। नाम सुनकर आया हूँ।

मैंने कहा--अच्छा तो कहिए।

पूरा कलयुग है हुजूर। इस उम्र में मेरी औरत मुझे छोडकर भाग गयी बस उसे मेरे पास वापिस बुला दीजिये। अगर वह नहीं मिली तो मैं गोली मार लूंगा। हुजूर वर्षों चांदमारी की है। दो बड़े जंगों में हो आया हूँ। हजारों आदमियों को मौत के घाट पहुँचाया है। मुझमें दया, कर्म नहीं रहा। परन्तु यह तो मेरी ब्याहता औरत है। पैर की जूती, दासी, लौंडिया।

मैंने कहा — बात क्या हुई ?

हुजूर, बात क्या होती, हमारे बाल-बच्चे नहीं हैं। मेरी गाली देने की आदत फौज में जो पड गई, वह उसके भागने का कारण बनी। मैं उसको

चाहता और वह मुझे। एक बार अफवाह उड़ गई कि मैं लड़ाई में मारा गया तो उसने अन्नजल छोड़ दिया। सती तो हो नहीं सकती थी। लेकिन मैं बात-बात में कहता— रासकल, गोली मार दूंगा, बदजात कहीं की।

उसने इसको सही मान लिया और भाग गयी।

आप उसे वापिस बुला सकते हैं?

मैंने कहा —औरत सुपुर्दगी का दावा होता है अर्थात औरत को विवश किया जाता है कि वह अपने पति के साथ पतित्व के धर्म को निभाये।

कितने दिन में आ सकेगी।

मैंने कहा—आपको बहुत जल्दी है क्या ?

जल्दी तो है ही। इस उम्र में क्या नया खसम करेगी। मेरे ससुराल के आने वाले लोगों ने कहा कि उसका नया नाता होने वाला है। आप कृपया रुकवा दीजिये।

मैंने फीस तय की और वाद पत्र तैयार करने के लिए वकील से कहा।

उसने कहा—हुजूर यह काम पूरा आप करें। मैंने जो फीस मांगी उससे दुगनी रख दी। नहीं हुजूर, मेरी औरत मेरे पास आनी चाहिए। उसने मूछों पर हाथ फेरा। वह समझती थी कि मैं लडाई में आदमियों को मारता था, उसको भी मारुंगा। बेवकूफ कहीं की, मैं क्यों मारुंगा अपनी औरत को। कौन रहा है दुनिया में मेरा —न बाल न बच्चा न भाई न भोजाई, बस मैं और वह। वकील साहब, आदमी खूंखार जानवर से ज्यादा बदतर है। वह डरी थी जिस दिन मैंने उस पर बदूक तानी थी। क्यों तानी भरम जो हो गया था, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं बाहर से आया था। मुझे लगा मेरी आहट सुनकर अन्दर पैरों की आवाज हुई। मेरा सिर फटने लगा। मैंने कहा—बोल, अन्दर कौन है ? बदजात-यारी कर रही है। खोलती है कि नहीं, किंवाड तोड दूंगा।

—और वह किवांड खोलकर दरवाजे के सामने हटकर खडी हो गयी लो मारो तुम समझते हो ,तुम ही मर्द हो बाकी और कोई नहीं। अपनी कसम

देखी । अन्दर मेरा यार बैठा है चलो मिलना चाहते हो तो आओ अन्दर—एक क्यों दो को मारो । हम अन्दर गए । एक आदमी पीठ फेरे बैठा था । मैंने गोली मारी । वह भाग खड़ा हुआ । वह उसका भाई था । मेरा साला । ''''''''वह बोलता जा रहा था । मैं दावा लिख रहा था, ध्यानमग्न ।

मैंने दावा लिखकर उसको दिया । उसने कहा–वह पढ नहीं सकता । मैंने वकील को दिया कि वह पढकर सुनाये ।

सुनकर उसने कहा— आप इसमें ये सारी बातें लिखें और यह भी लिखें कि मैं आदमजात हूँ —जो औरतजात को पाकीजा देखना चाहता हू । जो राम भगवान बनता है और आग में कूदकर जीवित निकल जाने के बाद भी अपनी औरत को पाकीजा नहीं मानता । वकील साहब यह सब लिखिए ।

वकील साहब, मैं खूंखार जानवर हूँ, दरिन्दा हूँ । ऐसा जीव जो मैले पर जिन्दा रहना चाहता है और चाहता है उसकी घर वाली पाकीजा हो । वकील साहब आप दावे में यह भी लिख दें कि मैं माफी मांगता हूं ।

मैंने कहा—ये सब बातें तो पत्र में लिखनी चाहिएँ ।

पत्र में लिखता तो आपके पास क्यों आता । वकील साहब ! बस मेरी औरत आप मुझे दिलवा दीजिए । जो फीस माँगेंगे, दूंगा । मैं बेवकूफ का बेवकूफ रहा । वकील साहब, अब कसम खाता हूं कि अपनी घरवाली के लिए कभी शंका नहीं करूंगा । बस आप लिख दीजिए दावे में कि मैं माफी मांगता हूँ । अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, कभी नहीं, और वह बड़बड़ा रहा था । चौड़े चेहरे पर आंसू ढलकर उसकी छाती के बालों में उलझ रहे थे । बार बार वह आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा था ।

वकील साहब, वह कब तक आ जाएगी ।

यही चार छः महीने तो लगेंगे ।

चार छः महीने, वकील साहब, तब तक मैं जिन्दा रहूंगा ? माफ करना वकील साहब मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा ।

प्यार की पीड़ा

यह घटना उस समय घटी जब मै वकालात छोड़ चुका था फिर भी कई बार मन में यह ललक आती थी कि किसी अच्छे मुकदमें में बार-त्यौंहार वकील बनूं। मेरे सामने वकालात मात्र कमाई का साधन ही नहीं वरन् उस घटना के अन्तराल में छिपी सामाजिक मानसिक अन्तर्कथाएं है जो मुझे व्यक्ति और उस घटना से सम्बन्धित तथ्यों को समझने में मदद करती हैं और समाज शास्त्र की गुत्थियों को सुलझाने में सहायक होती हैं। इस कारण फीस से अधिक यह आकर्षण मेरे मन में अब भी ललक पैदा करता है।

मैं वकालात छोड़कर सम्पूर्ण रूप से राजनीति में लग चुका था। जिला प्रमुख बनने के बाद विधायक भी बन गया। विधायक बनने के बाद एक मुकदमा मेरे पास आया। मैंने फीस तय करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की क्योंकि मेरे पास उसे निकटतम मित्र द्वारा भेजा गया था दीवानी

वाद पत्र पढ़ कर मैंने प्रतिवादी से कुछ प्रश्न किए ।

मुहाइदा हुआ, आपने तोड़ा । जिस तारीख को मुहाइदे की तामील होनी थी उस दिन क्या भाव थे ।

पहले दो प्रश्नों का उत्तर हाँ में दिया, तीसरे प्रश्न का उत्तर था कि मुहाइदे के दिन के भाव और पालन तिथि के भाव में कोई अन्तर नहीं पड़ा इसलिए वादी को कोई हर्जाना नहीं हुआ ।

प्रतिवाद पत्र तैयार कर प्रस्तुत किया गया । बिना मांगे उसने अच्छी फीस दी । मैंने एक साथी वकील को और नियुक्त किया । वादी के बयान यदि हो सका तो मैं कराऊंगा, यह निश्चय हुआ ।

वादी से जिरह कर रहा था तो प्रतिवादी ने कुछ प्रश्न सुझाये । वे साधारण प्रश्न थे । आप प्रतिवादी को कब से जानते है ? किसने परिचय कराया ? कब कराया ? यह मुहाइदा कैसे हुआ, किसने आपको करने की प्रेरणा दी । प्रतिवादी इससे पूर्व कभी किसी मुहाइदे में शरीक नही हुआ था । आपके साथ यह पहला मुहाइदा था ।

मैं कुछ भी समझ नहीं सका कि वादी से इन प्रश्नों को पूछने का कारण क्या है ? और किस तरह इस मुकदमें में निर्णायक प्रश्न को हल करने में सहायक होगा ।

खैर उसी दिन प्रतिवादी के विरुद्ध दो वाद पत्र हो चुके थे ।

इन वादों मे मुहाइदा भंग करने के हर्जाने की रकम थी जो पहले वाले वाद पत्र में थी । इन वाद-पत्रों का आधार भी यही था जो प्रथम वाद में था । भाव गिरते जा रहे थे और इन वाद-पत्रों के वादीगण को भी कोई हर्जाना नहीं हुआ था ।

यही नहीं, इन्हीं दिनों बम्बई के तीन चार व्यापारियों के सूचना पत्र आए जिसमें प्रतिज्ञा भंग करने का दोष मढ़ कर हर्जाना मांगा गया था । इसी तरह का एक नोटिस दिल्ली से, तीन मद्रास से, दो पाण्डीचेरी से और चार

कलकत्ता से आए थे। उन सब को प्रतिवादी मेरे पास लेकर आया और मेरे सामने टेबल पर रखकर हँस पड़ा—साले नोटिस दे रहे हैं, दावे कर रहे हैं। वकील साहब इन सालों को किसी तरफ की हानि नहीं हुई। जिन दामों में मैंने इन लोगों को से वादा किया उससे कई गुना सस्ते दामों में आज बाजार में मिल रही है। यह अजीब सस्ताई का जमाना है, एक तरफा भाव नीचे जा रहे हैं।

मैंने कहा—फिर ये दावे क्यों कर रहे हैं? नोटिस क्यों दे रहे हैं? दावों में कोर्ट फीस, वकील फीस, मुंशी की फीस, टाइप आदि सब लगते हैं। और नोटिस देने में भी कोर्ट फीस के अलावा बकाया सब खर्चा होता ही है।

प्रतिवादी हँसा—साले बेवकूफ हैं।

मैंने कहा—तो आपने वे चीजें खरीद कर क्यों नहीं दे दीं। आपको तो लाभ ही था।

प्रतिवादी जोर से हँसा—वे साले बेवकूफ हैं और मैं भी उनको बेवकूफ बना रहा हूँ। ऐसा करने में ही तो मजा आता है।

मजा क्या आता है। मजा तो कमाई में आता है।

प्रतिवादी बड़े जोर से हंसा। फिर दोनों हाथ से ताली पीट कर बोला—मुझे कब कमाई करनी है। मेरे पास बहुत धन है। बाप-दादों का धन, कलकत्ते मे मेरे 7 बड़े-बड़े मकान हैं, मुझे 10 लाख रुपये साल की किराये की आमदनी होती है। इतनी ही रकम की पगड़ी। दिल्ली में चार बंगले है। जयपुर में लगभग 50 दुकाने हैं। मुझे क्या करना है? कमा कर रखूंगा कहाँ?

तो ये मुहाइदे क्यों करते हो?

प्रतिवादी स्थिर हुआ। उदासी उसके चेहरे पर उतर आयी। मेरे जैसे निठल्ले को क्या चाहिये। वह क्या करे और क्या न करे।

वकील साहब! सम्पदा ही सब कुछ नहीं होती। उसके अलावा भी आदमी की कई चीजें कीमती होती है।

हाँ होती हैं। आपकी कीमती चीज क्या है ?

वह अधिक उदास हुआ। मेरी कीमती चीज वह है जो मैंने खो दी, जो मेरे पास नहीं है। आदमी रोता है उसके लिए, जो उसके पास नहीं है या जिसे वह खो देता है। अभाव ही चीज की कीमत बढ़ा देता है।

क्या आप खरीद नहीं सकते। आपके तो बहुत बड़ी पैदा है।

हाँ है। बहुत पैदा है। मैं चाहूं जिसको खरीद सकता हूं। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, राज-सत्ता सबको खरीद सकता हूं। पैसा सबसे बड़ी वस्तु है, वह सबको खरीद लेता है। मैंने पूछा—फिर ऐसी क्या चीज है जिसकी कमी है और आप पैसे से नही खरीद सकते।

प्रतिवादी ने ठंडी आह ली—है, वकील साहब! ऐसी ही एक चीज जिसको मैं नही खरीद सका।

वह क्या ? मैंने प्रश्न किया।

एक लोंडिया या नौकरानी का प्यार। एक गुलाम का दिल।

मैं हँसा, नौकरानी का प्यार ? नौकरानी, प्यार नही दे सकी।

जी हाँ, मैं नही ले पाया। पैसे से नही, सारी सम्पदा दाव पर लगा कर भी। मै नौकरानी का दिल नही जीत सका। ऐसी कौन सी नौकरानी है जिसको आप नहीं जीत पाये। मैं खरीदने की बात नहीं कहता। सब खरीदा जा सकता है लेकिन प्यार नही, मोहब्बत नहीं, वह खरीदी बेची नहीं जा सकती। लेकिन नौकरानी का प्यार, वाह! खूब कहा।

वकील साहब! आप भी मानते है कि प्यार नहीं खरीदा जा सकता। मै भी खरीद नही पाया और इसी अभाव ने मुझे बार-बार वचन भंग करने का आदी बना दिया है। मै कुछ नहीं समझ पाया। ये सब दावे भी इसी कारण हो रहे हैं। वह प्रतिज्ञा भंग भी इसलिए करता हूं कि उस प्यार को नहीं खरीद पाया

मैंने चुटकी भरी—देखिये साहब ! विश्व में प्यार में कहीं सच्चाई होती है । वह भी स्वार्थ पर आधारित है । गरीब आदमी अमीर को प्यार करता है क्योंकि गरीब की आवश्यकतायें पूरी होती हैं । अमीर इसलिए गरीब से प्यार करता है कि गरीब का सौन्दर्य उसे मोहता है । नरकंकाल को किसी ने प्यार किया है । यद्यपि उस नरकंकाल में भी एक भावपूर्ण दिल होता है । दिल को कौन देखता है । बाह्य आवरण ही हमारे आकर्षण के कारण बनते हैं । पैसे की किसी को आवश्यकता नहीं रही और यह भी नौकरानी को, जिसको आप अपनी सम्पदा से, इस सुन्दर स्वस्थ शरीर से भी आकर्षित नहीं कर सके ।

मैं यहां बता दूं कि प्रतिवादी बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व रखता था। बड़ी-बड़ी कटोरे सी आंखें, गहरी भोहें, प्रशस्त ललाट, गौर वर्ण—मेरी मान्यता है कि कोई भी स्त्री इतने आकर्षक व्यक्तित्व को अपना प्यार सम्मोहन देने में नही हिचकती ।

प्रतिवादी ने तुरन्त उत्तर दिया—जी हाँ, नहीं कर पाया । सुनिए आप स्वयं निर्णय करले कि मेरा क्या दोष है ?

मैंने कहा—ऐसी महान् नारी कौन थी ?

वह दोनों हाथ फैला कर बैठ गया—तो सुनिए ! मेरे माँ बाप मैंने बचपन मे ही खो दिये । नौकरों ने ही मुझे पाला पोसा । बड़ा किया । एक दूर की भौजी मेरी देखभाल करती थी । मेरे यहां नौकर, नौकरानियों की कमी नहीं थी, लेकिन उनमे से एक मेरे घरेलू नौकर जिसे मैं दादा कहता था, उसकी एक लडकी थी—उस नौकर का नाम पन्ना था । यह पैदाइशी नाम है । उस लडकी का नाम सूरी था । ऐसी कई लडकियां थी, वे सब दरोगा कौम की थीं । जिनके सतीत्व नहीं होता । जिनका प्यार से कोई वास्ता नहीं होता । वे शादी किसी से करती है और पासबान किसी और की होती हैं । सूरी मेरे घर में ही पली और बडी हुई थी । वह बहुत ही ज्यादा सुन्दर थी ।

नूरजहाँ से भी ज्यादा सुन्दर, पद्मिनी से भी ज्यादा आकर्षक---ये दोनों नाम इसलिए लेता हूं कि ये दोनों नाम सौन्दर्य के लिए नामी रहे हैं।

हम साथ-साथ खेले और बड़े हुए। घर में कोई चीज आती तो मैं उसको अवश्य देता। उसका मन रखने के लिए अच्छी से अच्छी मंगाकर देता। उसके मां-बाप को कोई आपत्ति नहीं थी। जागीरदार का लड़का एक लौडिया को चाहे, इससे ज्यादा माता-पिता को और क्या चाहिए। वे प्रसन्न थे। सूरी भी मुझे प्रसन्न नजर आती थी, वह भी मुझे चाहती थी, ऐसा मुझे आभास मिला था।

मेरी सगाई के कई प्रस्ताव आए और मेरे मामू ने आखिर एक जगह सगाई तय कर दी। उस लड़की को मैंने देखा था, वह बहुत ही खूबसूरत थी लेकिन सूरी मेरी आंखों में चढ़ी हुई थी।

मैंने उसे टोका, जब तुम सूरी को इतना प्यार करते थे फिर अपनी सगाई और जगह करने के लिए क्यों तैयार हुए।

—सामंती में ठाठबाठ ऐसा ही होता है। राजपूत से ब्याह करे? दरोगन को तो पासवान रखा जा सकता है, हृदय में स्थान नहीं दिया जा सकता है। सूरी मुझसे कन्नी काटने लगी।

आपने उससे पूछा ?

जी पूछा, तो कहने लगी—मैं पासवान बनना नहीं चाहती, लौंडिया बनकर जिन्दा रहना नहीं चाहती।

उस दिन मुझे उसके चेहरे पर रणचण्डी का आक्रोश नजर आया। काली मां का स्वरूप नजर आया।

उसने सम्भलकर कहा प्यार के लिये सम्मान आदर सत्कार चाहिए। गुलामों से प्यार नहीं होता। गुलाम क्या देंगे? गुलामी—प्यार बराबरी से होता है।

उसने मुझे पूछा---आप मुझसे प्यार करते हैं ?

मैंने छाती पर हाथ रखकर कहा-करता हूं, भरपूर करता हूं ।

यह झूंठ है, कंवर जी । आपके ठिकानों में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती और फिर लौंडियों से कैसा प्यार ?

एक विवाहिता, दस पासवानें । आपको शरीर चाहिए, प्यार नहीं–सूरी रो पड़ी ।

मै ठिठका–नहीं सूरी यह गलत है मै पूरी तरह तुम्हें प्यार करता हूं ।

यह झूंठ है प्यार करते तो सगाई क्यों की । क्या यह हो सकता है कि सगाई किसी से करे और ब्याह किसी और से ! आप पहली सगाई छोड़ सकते है ?

मैं छोडने को तैयार हूं ।

यह झूंठ है । आपके लिए मैं योग्य नही हूं । मेरा प्यार आप नहीं पा सकते ।

और वह चली गई । एक सूनी दोपहर को वह भाग गई । डगर-डगर शहर शहर दस हजार का इनाम बोला । लेकिन कोई पता नहीं लगा । यह भी नही मालूम वह जीवित है या मर गई ।

मैंने सगाई छोड़ दी–अब प्रतिज्ञाए करता हूँ और भंग करता हूं । मुहाइदे करता हूं और तोड़ता हूं और वह रो पड़ा ।

नारी की ठोकर

यह कथा उस मुकदमे की अन्तरकथा थी जो मुझे मुव्वकिल ने बताई थी और जिस पर मैं आज तक एतबार नहीं कर सका। हर व्यक्ति अपना दोष दूसरे पर मंढने का प्रयत्न करता है और इसी सत्य को मानते हुए मैंने इस कहानी को सही नहीं माना, लेकिन आज जो नयी घटना घटी उसका मैं प्रत्यक्ष-द्रष्टा हूं, तब मैं विवश होकर उस अंतर्कथा को सही मानता हूँ।

मुकदमा छोटा सा था। अभियोगी ने अभियुक्त पर यह अभियोग लगाया था कि उसने अभियोगी को सच्च का झूठ बताकर उसके साथ दगा किया और वह इसलिए कि अभियोगी अपने जेवर को खो दे और अभियुक्त उसे प्राप्त कर ले।

साधारण तौर पर ताम्बे को सोना बताकर उसकी कीमत लेकर दगा किया जा सकता है। इसमें यह कहा गया कि अभियुक्त ने हीरे के हार को कांच का बताकर उससे ले लिया।

अभियुक्त ने यह स्वीकार किया कि उसने हार को कांच का बताया और लिया उसकी कीमत बाजार मे तय हुई और उसे लेकर उसने एक

स्त्री को दे दिया क्योंकि उसने उसे पसन्द किया था। उसने हीरे का हार जानकर कांच का नहीं बताया बल्कि वह हीरे और कांच में कोई अन्तर नहीं समझता था और साथ ही उसकी नियत दगा देने की नहीं थी। अन्य कोई थी। मैंने उससे यह जानने का प्रयत्न नहीं किया कि अन्य क्या नियत थी।

अभियोगी की साक्षी हुई। उसमें उसने दलालों को पेश किया जिनकी मार्फत सौदा हुआ था। उनसे मैंने कुछ ही प्रश्न पूछे। आप सब हीरे और कांच की पहचान कर सकते हैं। प्रतिवादी ने इसकी कीमत कांच जानकर बताई।

थोड़ा बहुत इधर उधर होकर कीमत तय हो गयी। उस समय अभियोगी ने यह नहीं कहा कि यह हीरा है—अभियुक्त ने जब उसको बेच दिया तो खरीददार ने विद्युत किरणों से परीक्षण कराया तो हीरा मालुम हुआ, तब तक इसको सब कांच मानते थे।

दलालों ने इन प्रश्नों का उत्तर हां में दिया। जानबूझ कर दगा देना सिद्ध नहीं हुआ और अभियुक्त बरी हुआ।

लगभग दो वर्ष बाद अभियुक्त एक अन्य मुकदमें में मेरा मुवक्किल हुआ। वह भी इसी प्रकार का मुकदमा था। यद्यपि पहले वाले मुकदमें में विद्युत किरणों की जांच के बाद हीरे को कांच मानने का आधार मुझे समझ में नहीं आया और अभियोगी के प्रति एक सहानुभूति हो गयी थी और अभियुक्त के प्रति घृणा। जिसको मैंने कभी व्यक्त नहीं किया। अभियोगी का कहना था कि सौदा समाप्त होने के बाद असलियत मालुम हो जाए तो अभियुक्त का फर्ज था कि वह असली वस्तु अभियोगी को लौटाता। यही जवाहरात के व्यापारियों में नैतिकता है। इसी तरह का व्यवहार होता आ रहा है। उस मुकदमें में जवाहरात के सब व्यापारियों की सहानुभूति अभियोगी के साथ थी और उनकी बात सुनकर मैं भी इसी निर्णय पर पहुंचा था लेकिन

मुव्वकिल की बात को सच्च मानते हुए मुकदमें मे प्रस्तुत साक्षी के आधार पर मैंने उसके लिए बरियत प्राप्त की, वह एक वकील की व्यावसायिक नैतिकता थी। यद्यपि अन्तर्द्वन्द्व अवश्य चलता रहा था। कानून की सच्चाई सामने थी और मैं पूर्णतया सफल हुआ।

इसी सफलता से प्रभावित होकर मुव्वकिल वैसे ही दूसरे केस में मुझे वकील बनाने आया। तब मन में घृणा हुई और पत्रावली अवलोकन कर मैंने मुकदमा लेना तय किया लेकिन अन्तर्द्वन्द्व के कारण सहज फीस से चौगुनी फीस माग बैठा कि मुव्वकिल इतनी फीस नही देगा और उसके सत्य असत्य से मुक्ति पा लूंगा लेकिन मुव्वकिल ने पूरी फीस टेवल पर रख दी। मैंने और टालने के लिए 1010 मुंशी की फीस मांगी वह भी उसने दे दी। फिर मुकदमा लेना पड़ा। मुझे विश्वास था कि जो दस्तावेज मुझे दिए उनसे कोई अपराध नही बनता था और यही मुकदमा लेने का आधार बना। न मेरे पास इसके आगे के सत्य को जानने की आवश्यकता थी और न साक्षी ही। केवल मानसिक उहापोह और असंतुलन में मैं व्यावसायिक नैतिकता को छोड़ने का साहस नहीं कर पाया और शायद यही वकील का फर्ज है। सम्पूर्ण सत्य न न्यायाधीश पाते हें और न अन्य कोई। मुव्वकिल जिस सचवाई को जानता है वह वकील की सच्चाई नहीं हो सकती और न मुव्वकिल उस सच्चाई को वकील के सामने प्रस्तुत ही करते हैं--यदि वे कभी करते हैं तो वरी होने के बाद। तब मन पीड़ा पाता है लेकिन व्यवसाय विवश करता है और मन की पीड़ा धीरे-धीरे गायब हो जाती है। फिर भी अन्तर्द्वन्द्व में मुव्वकिल के प्रति वकील की उदासीनता बढ़ती जाती है और उसके मन में मुव्वकिल के प्रति घृणा हो जाती है लेकिन यह सब अप्रमाणिक तथ्यों के आधार पर जो न आज का न्याय मानता है और न वकील की नैतिकता ही।

मैं बहुत बातें कह गया। सच्च यह है कि इस अभियुक्त के प्रति पहले ही घृणा थी, दूसरी बार आया तो लगा यह ऐसे अपराधों का आदी है इसलिए मेरे मुह से सहज ही निकल गया फिर आप अ फसे ब त क्या है

मुव्वकिल हँसा—वकील साहब, कोई व्यक्ति अपराध करता नहीं है। उसकी अपराध वृत्ति के पीछे गहरा कारण होता है। कभी-कभी सामाजिक परिस्थिति तो अधिकांश में उसके अन्तर्द्वन्द्व। मैं वकील नहीं हूं लेकिन मेरी मान्यता है कि कत्ल करने के पीछे-बदला होता है या फिर आकस्मिक संयोग। आत्महत्या जानकर नहीं करता, वह जब आपा खो देता है तब आत्महत्या कर पाता है। यदि ज्ञान हो जाए तो वह नहीं कर पाता। कुऐं में फांदने से पूर्व यदि वह आत्महत्या करने पर विचार करे तो वह कभी आत्महत्या नहीं करेगा। व्यावसायिक ठगों के अतिरिक्त कोई जानबूझ कर ठगी नहीं करता, यदि वह करता है तो वह स्वयं कहीं न कहीं ठगा गया है और जब जिस व्यक्ति के हाथ वह ठगा गया और उससे बदला नहीं ले पाता तो वह किसी अन्य पर आजमाता है। आपने गुस्से में आए बैल को देखा होगा वह उन सब को मारता है जो सामने पड़ जाए। तर्क पूर्ण बात मे मैं प्रभावित हुआ लेकिन मैं उसे क्या यह मानलूं कि वह भी कहीं ठगा गया, जिससे वह ठग रहा है। यह मुव्वकिल की प्रवंचना मात्र थी। इसलिए मैंने उससे कहा—आपने बड़ा लम्बा वक्तव्य दे मारा। हर अपराधी इसी तरह की बात करता है।

तो मुव्वकिल को जैसे ताव आ गया, उसने कहा—वकील साहब, मैं आदी नही हूं अपराध करने का, और न दगा देकर किसी को ठगने का। अलबत्ता मैं बहुत ही बुरी तरह ठगा गया हूं इसलिए अनायास ठगने की वृत्ति मुझमे जाग गयी। क्या करूं?

आप कैसे ठगे गए? क्या खोया - हजारों, लाखों या करोड़ों?

मुव्वकिल ने मेरी शक्ल की तरफ देखा, जैसे मेरी भावनाओं का अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहा हो, और तब एक आह ली और उदास होकर बोला— वकील साहब, लाखों करोड़ों नहीं अमूल्य निधि खोयी है। सब कुछ लुट गया। रह गया मै, शून्य में ताकता अकेला, नितांत अकेला, और अब जसे विश्व की कोई वस्तु उसकी पूर्ति नहीं कर पायेगी

मैंने कहा—आप बडे चतुर लगते हैं। भावनाओं में वैचारिक बुद्धिमता बडी सुन्दर लगती है। ऐसी क्या अमूल्य वस्तु थी जो आपने खोदी।

मुव्वकिल ने उसी व्यथा में कहना प्रारम्भ किया—वह अमूल्य निधि थी प्यार—स्नेह—सगाई। मनुष्य किसके बूते पर टिका है। यह पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र जिसके आधार पर लटक रहे हैं, आपसी आकर्षण जिसे विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण कहा है। पुरुष और नारी का संबंध—उसी गुरुत्वार्षण पर आधारित यह गुरुत्वाकर्षण प्रेम है, स्नेह है। वकील साहब मैंने एक नारी से प्रेम किया, खूब प्रेम किया उसके प्रेम में डूबा। अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर किया और मैं भी यही समझे बैठा था उसके व्यवहार से कि वह भी मुझे स्नेह करती है, उतना ही जितना मैं उसे करता हूँ। मैंने अपना सब कुछ उस पर वार दिया। धन, सम्पदा, इज्जत, मान मर्यादा सब कुछ।

मुझे मालूम पडा कि वह अन्यों से भी प्यार करती है। करे, मेरा क्या बिगडा। बस मैं भी प्रेम चाहता था, एकाधिकार नहीं, शुद्ध स्नेह—और आप माने न मानें मैंने कभी भी उससे शिकायत नहीं की, ईर्ष्या नहीं की, नफरत नही की। मैं मानता हूं कि प्रेम जब पराकाष्ठा पर होता है तब एकाधिकार नही होता वह बांटने पर बढ़ता है। एकाधिकार तो काम में होता है। लेकिन एक दिन वह मेरे पास आयी और बोली—देखिए, आप अंधेरे मे थे। मैंने कभी आपसे प्रेम नही किया और न आज ही प्रेम करती हूं।

—मैं मौन।

मैंने देखा कि मुव्वकिल रो पड़ेगा। उसकी आंखें तर हुई। संध्या का अंधेरा उसके चेहरे पर उतर आया। मैं उसकी व्यथा समझ पाया—लेकिन आगे कुछ नहीं पूछ सका।

थोड़ा संयत होकर बोला—वकील साहब उसने मेरा सब कुछ ले लिया आप विश्वास करिए, वह व्यवसाय से वेश्या नहीं थी बल्कि मेरे मित्र की एक बहिन—रूपवती कोमल भावुक। लेकिन मेरे प्यार की पराकाष्ठा के दिनो मे

जितनी कहानियाँ उसके सम्बन्ध में सुनता था, उससे मुझे अधिक आकर्षण हुआ था। वह प्यार बांटती फिरती है। प्रेम की देवी है, स्नेह की प्रतिमा है, लेकिन मेरे जैसे ही एक ठगे गए प्रेमी ने बताया कि वह मात्र शरीर है, मन उसके है ही नहीं। काम की मूर्ति, वासना की देवी? जो हो उसने मुझे कहा कि मैं उसके पास कभी न फटकूं। मैंने बहुत आरजू की। उस पर कोई असर नहीं हुआ।

मुव्वकिल रुक गया—उसके आंसू चू रहे थे, जो उसकी बड़ी बड़ी मूछों पर छितर गए थे।

मैंने कहा—बस आप संतोष कीजिए। मैं मानता हूं कि यह नारी का स्वभाव है कि पुरुष उसके पीछे पीछे जाता है वह उससे उतनी ही दूर भागती है और जो उसकी तरफ पीठ कर देता है वह उसके पीछे पीछे चलती है।

मुव्वकिल ने आंसू पोंछे और थोडा संयत हुआ, फिर बोला—मैं नहीं जानता प्यार में कोई आगा-पीछा होता है। कोई तौर तरीका, नीतियाँ या व्यवहार कुशलता। वह तो मात्र प्रेम होता है। शायद आप सही हों। मैं उसके भावों को पढ़ रहा था। सेमसन्स एवं डेलिलिया का किस्सा आपको मालूम हो तो मेरी बात की पुष्टि होती है और फिर एक सत्य है। मनुष्य आत्मा ही नहीं शरीर भी है जहां आत्मा की अनुभूति है वहां शरीर की भूख भी है और मैं तो मानता हूं कि प्रेम कितना ही हो शरीर की भूख भी उतनी ही उग्र होती है और जहाँ शरीर की भूख होगी वहां ईर्ष्या, द्वेष एकाधिकार, नफरत सब होंगे।

मुव्वकिल रो पड़ा। मैं आध्यात्मिक बना रहा और आज भी मानता हूं कि सच्चा प्रेम शरीर से परे होता है। यह मेरी भूल थी कि मैं शरीर को आध्यात्म मान बैठा, और उसी का परिणाम है कि मैं ठग बना हूँ। जाने अनजाने दगे का अपराध करता रहता हूं वकील सहाब, मैंने जितना बड़ा दगा खाया उसी का प्रतिफल यह है। आप उस दंश को नहीं समझेंगे। रात

–दिन वह शूल की तरह मेरे मन को बिंधती रहती है। क्षण-क्षण मुझे पीड़ा देती रहती है, पक्का फोड़ा बन गया है मेरे मन में।

खैर नए मुकदमे के हालात आवश्यक नहीं हैं। मैं कई बार सोचता हूं तो लगता है यह सब भ्रान्तियां है। नारी के प्रेम का अभाव ही मनुष्य को अपराधी बनाता है या यों कहूं कि पुरुष के प्रेम की पीड़ा ही नारी को डायन बनाती है तो लगता है मैं अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादती कर रहा हूं। हर आदमी अपने पाप को दूसरे पर थोपता है और मैं मानता आया हूं कि इसी कारण पुरुष सदैव अपना अपराध नारी पर थोपता आया है लेकिन मेरे निकटस्थ मित्र ने जो बात बताई उसको झूठ मान कर अपने प्रति और अन्याय करूंगा. नहीं, मैं अपने मित्र पर अविश्वास नहीं कर सकता। वह आज तक मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोला। वह बचपन से मेरा लंगोटिया है। अपनी हर बात मुझे बताता आया है। उसने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। किसी को गाली नहीं दी, किसी पर हाथ नहीं उठाया। वह आदमी एकदम कत्ल में फंसा। खैर बरी हो गया–लेकिन उसने मुझे बताया कि जिस स्त्री को वह प्रेम करता था उसकी प्रताड़ना ने उसका मानसिक असंतुलन कर दिया। वह विक्षिप्त सा रहने लगा। सब कुछ खो दिया। विडम्बनाओं और भ्रान्तियों से भरा एक पुरुष रह गया और एक दिन बंदूक उठाई और गोली चला दी। वह सामने जाते व्यक्ति की बांह पर लगी। उसने मुझे कहा था–दोस्त, जैन धर्म सही कहता है नारी मोहनी कर्म की प्रतिमा है जो उसके राग में डूबा वह विश्व–भ्रमण में डूबा रहा। चौरासी लाख योनियों में भरमाता रहा। उसके मोक्ष के द्वार बंद हो गये। इसलिए जैनियों में जो धार्मिक प्रावधान है कि स्त्री और पुरुष एक साथ न रहें, चाहे बाप बेटी हो। नारी के शरीर का आकर्षण ही सब पापों का मूल है।

मैंने उसे बताया कि यह उसकी भूल है, तो वह चिढ गया। मैं इसका ज्वलंत उदाहरण हूं। नारी की ठोकर ने मेरे जीवन के आयाम बदल दिये हैं।

और क्या नारी के लिए पुरुष आयाम नहीं बदल सकता।

वह हँसा और जोर से हँसा। इतनी जोर से कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए?

दोस्त! भुक्तभोगी जानता है। मालूम होता है तुम्हें नारी की ठोकर नहीं लगी।

नारी और वासना

कथा साधारण थी–विशेष कुछ भी नहीं था। छोटे भाई का बड़े भाई पर दावा था, सम्मिलित कुटुम्ब के बंटवारे का। मै वादी का वकील था। भाई-भाई में दावा होना साधारण बात तो नहीं है लेकिन इधर-उधर भटक जाने से न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। महाभारत भी तो भाईयों के बीच सम्पदा का विवाद था। यद्यपि कौरव सूई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नही थे। आपसी समझौता समाप्त हो गया तो महाभारत जैसा युद्ध हुआ, जिसमें भारत की उस समय की सारी संस्कृति, कला और विज्ञान समाप्त हो गया। लाशों के ढेर पर पैर रखते-रखते युधिष्ठिर स्वर्ग गये। जिसके लिए लड़े, वह अब ऐसी वस्तु नहीं रही जिसको अपनाया जा सके। जिस सम्पदा के लाभ ने महाभारत की रचना की उसी सम्पदा ने अर्जुन को आत्मग्लानि दी और गीता के कर्मयोग को जन्म दिया। कहते हैं इस युद्ध की पृष्ठभूमि में द्रोपदी थी जिसका भरी सभा में चीर-हरण किया गया। भाई ने भाई की पत्नि को नंगा करने का साहस किया।

इस कथानक के पीछे भी नारी का कोप रहा है। एक सम्मिलित कुटुम्ब में दो सगे भाई थे उनमें बहुत गहरा सम्बन्ध था। कभी हिसाब नहीं गिना गया।

एक दूसरे पर कुर्बान होने को तैयार थे। लेकिन बड़े भाई की पहली पत्नि का देहान्त हो गया, वह भी महान नारी थी। देवर को पुत्र समझती थी। उसके कोई लड़का नहीं था। देवर के दो पुत्र और दो पुत्रियां थीं।

भाभी के देहावसान पर वादी ने अपने बड़े भाई को विवश किया कि वह विवाह करले लेकिन वह हमेशा यह कहकर टालता रहा कि पता नहीं कैसी औरत मिले और हमारे घर को तोडफोड करदे, तेल लूमडे कर दे। आखिर छोटे भाई के आग्रह पर एक गरीब घर की लड़की से सगाई पक्की कर दी गई। लडकी की आयु 18 वर्ष की थी और बडे भाई केशवदेव की आयु 45 से ऊपर हो गई थी। कुछ पैसा लड़की के बाप को दिया गया और ब्याह हो गया। सब लड़की की तारीफ करते थे। घर मे आने के बाद भी उनका विचार यही था। लेकिन धीरे-धीरे उस लड़की ने केशवदेव को अपने वश मे कर लिया और वह अपने भाई के प्यार को भुलाकर पत्नि के मोह में पड गया। धीरे धीरे उसने अपने पति को पूर्णत. अपने वश में कर लिया और उसके बाद छोटे भाई और उसकी पत्नि को लेकर झगडा प्रारम्भ हो गया। एक दिन केशवदेव ने अपने छोटे भाई को बुलाकर कहा--तुम बहू को समझा दो, वह अपनी जिठानी का अपमान करती रहती है। उम्र में भले ही छोटी हो, पद से तो बड़ी है ही और अच्छा हो हम अलग-अलग भोजन शुरु कर दे।

इसके पीछे केशवदेव की पत्नि के पीहर की एक महिला का हाथ था, जो उसी गाव में ब्याही हुई थी। उसने कहा -बडी उम्र के लडके को ब्याही गई हो, कौन जाने कब क्या हो जाए ? उनके रहते हुए तुम्हारे साथ छोटी जैसा बर्ताव हो और जब वे नही रहेंगे तो इस घर में रह भी पाओगी या नहीं। और इसी बात ने उनके सम्बन्धों को कटु बना दिया। अपनी पत्नि के कहने में आकर केशवदेव ने अपने छोटे भाई को कुछ भी देने से इन्कार कर दिया।

सम्पन्न कुटुम्ब था। छोटे भाई रामदेव ने दस लाख की सम्पत्ति के विभाजन का दावा किया था। मैं भाईयों के बीच के विवाद को कभी आगे

घर पर आते हैं। वह भी ऐसे ही बुड्ढे से ब्याही गयी है।

मेरे बाल बच्चे हैं। मैं स्वयं कुछ नहीं करता, लेकिन बाल-बच्चों का पेट कैसे काटूं, लाखों की सम्पत्ति को पराये के पास जाते कैसे देखूं? लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि भाई साहब पर भाभी ने इतना जादू कर दिया कि वे अपने सब सम्बन्धियों को भूल गए। भले बुरे को भूल गए। बस वे है और भाभी है। ओह! वकील साहब, मैंने बड़ी गलती की, उसका नतीजा भोग रहा हूँ। अब क्या करूं—कुछ समझ में नहीं आता। भाभी के सम्बन्ध में एक बात भी वे सुनने को तैयार नहीं है। वह उनके लिए सती साध्वी सीता है, बहुत ही कोमल स्वभाव की।

मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। दावा, लम्बा दावा, जिसमें मेरा मुव्वकिल सम्पत्ति से महरुम होकर उसे पाने तक उकाब हो जाएगा।

सतीत्व का भूत

मैं वकील बना। एक निजी मित्र उसे लेकर आया था। फीस मांगने का प्रश्न नहीं था। निजी मित्र सचदेव ने कहा—भाई साहब! इस मुकदमे को जीत कर आप मुझे नयी जिन्दगी देंगे। मैं स्वयम् जैसे जिन्दगी की बाजी हार चुका हूँ। मेरा मुकदमे से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी कुछ तथ्य ऐसे होते है जिनमें आप इतने घुल जाते हैं कि उन तथ्यों का लेखा जोखा आपका होता है।

मैंने सचदेव से कहा—पैरवी करना मेरा काम है। अपनी सम्पूर्ण योग्यता लगाकर मुव्वकिल को लाभ पहुंचा सकूं यह मेरी वकालत का ध्येय है। जब आप इस मुकदमे से इतने गहरे चिपके हो तो मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं अपनी सारी ज्ञान, तर्क और बुद्धि को उसमें लगा दूं।

यही आशा मुझे है, इसीलिए मैं इसे लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। स्वयम् अपराधी भी यही चाहता है। बस एक ही बात है वह अपने आपको निर्दोष बताता है   में आपका कौशल उसे निर्दोष सिद्ध कर दे।

मैंने उनको कहा -- यह उनका भ्रम मात्र है। भाई साहब इस पर हंस पड़े --भाई, यह बात नहीं है। यदि तुम्हें भाभी लानी है तो फिर मेरी उम्र की कोई औरत तलाश करो।

मैंने कहा--हिन्दुओं में विधवा विवाह कैसे होगा।

भाई साहब बोले-तो जरुरत क्या है? इस अनमेल विवाह से जो परिणाम निकलेंगे वे हमें भुगतने पड़ेंगे।

मैंने कहा-भाई साहब, मैंने जो नयी भाभी ढूंढी है वह बहुत ही ऊंची, सरल एवं कोमल स्वभाव की है। मैं समझता हूं घर में पूज्या भाभी की पूर्ति करेगी।

भाई साहब उदास हंसी हंस दिये, कुछ नहीं बोले। भाभी इस घर में आकर क्या से क्या हो गयी। एक दिन मैं स्नान घर में था। मेरी पत्नि बाहर गयी हुई थी। मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। उसने किवाड़ को धक्का दिया और अन्दर चली आई व मुझे बाहों में भर लिया।

मैंने उन्हें धक्का दिया। भाभी यह क्या कर रही हो?

भाभी को रोष आ गया--वह क्रोध से बोली--यह विवाह तुमने कराया वे बुड्ढे, मैं जवान। वे अमीर मैं गरीब। पैसे से आपने मेरे पिता को खरीद लिया। लालाजी, मैं कहा जाऊं। मैं स्तब्ध सा उसे देखता रहा और उनके चरण छू लिए, वे गुस्से में आकर चली गई। उसके बाद उन्होंने नौकर से सम्बन्ध बढ़ा लिया। कहीं ना कहीं तो वासना-पूर्ति करनी। यही मेरी गलती है जो मुझे खा रही है।

तुम्हारे बीच में पड़ने वाला कोई नहीं है।

वह बोला--है क्यों नहीं, कई हैं। सबने कोशिश कर ली। भाई साहब पर किसी का असर नहीं पड़ा। बस उन पर केवल भाभी का असर है।

मैंने उनको कहा नौकर की कहानी आपने अपने भाई को कही या नहीं।

वे जैसे कट गए—हां, सबसे बड़ी गलती तो मुझसे यहीं हुई। उसी के कारण तो यह नतीजा भुगतना पड़ रहा है कि सम्पत्ति से महरुम होना पड़ा और अब अदालत की शरण लेनी पड़ी।

क्या बात हुई।

मैं भाई साहब से भाभी के लिए कुछ भी कहना नहीं चाहता लेकिन पत्नि ने विवश किया। बोली—तुम्हारी बात का असर अवश्य होगा। मैंने साहस कर भाई साहब को सारी बात बता दी।

भाई साहब आपा खो बैठे। शरम नहीं आती अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करते। खबरदार! जो दुबारा मुंह खोला तो। वह पति-परायण नारी है। बापदादों की सारी सम्पत्ति तो तुम पहले से हड़प चुके, अब रहा सहा भी लेना चाहते हो।

मैं स्तब्ध सा उनको देखता रहा। इतना बड़ा परिवर्तन। भाभी ने सोलह आने उनको मुट्ठी में कर लिया है। मुझसे गलती हुई जो उनको यह बात कही। बस उस दिन के बाद हम आपस में कभी नहीं बोले। दुकान पर मेरा जाना छूट गया। भाई साहब ने सारे कारोबार पर दखल कर लिया। जिस घर में मैं रहता था, उस घर और अपने घर के बीच दीवार खींच ली।

विवश होकर दावा करना पड रहा है। मैं भाई साहब के विरुद्ध न्यायालय में जाऊं, मुझे शोभा नहीं देता। वे सदैव मेरे पिता समान थे। लेकिन एक नयी बात और हो गयी। भाभी ने अपने भाई के लडके को बुलाकर अपने घर रख लिया है और अब उसे गोद लेना चाह रहे है। सुनता हूं, एक वसीयतनामा तो भाभी और उस लडके के नाम कर दिया गया है। अपने कुटुम्ब की सम्पत्ति को अन्य के पास जाते कैसे देखूं।

भाभी के पीहर में बात की।

जी, वह भी मैं कर चुका हूं। वह निपट ओछी औरत है। छिनाल का सैंकड़ों से ताल्लुक है कोठे पर नहीं बैठती लेकिन रोजाना कई पुरुष उसके

नही बढ़ाना चाहता था। मैंने रामदेव से कहा कि क्या आपसी समझौता या पञ्च फैसला नहीं हो सकता ?

रामदेव ने कहा कोई आशा ही नहीं। मैंने यहां तक कह दिया कि जो भी वे मुझे देंगे, मैं ले लूंगा और सब जायदाद की फारगती लिख दूंगा। लेकिन भाई साहब कुछ भी नहीं देना चाहते। कहते है, मैंने सम्मिलित व्यवसाय के लाखों रुपये दबा लिये।

मैंने कहा—ऐसे दावे वर्षों चलते रहते हैं और जो दावा करता है उसी को पछताना पड़ता है। मेरे पास बीस-बीस वर्ष से अधिक काल के ऐसे दावे चल रहे हैं। सम्पत्ति को जो भोग रहा है वह भोगता चला जाता है। जो भोग नहीं पा रहा है, वह विवश है।

उसने मुझे कहा— वकील साहब, क्या कहूं, यह मेरा ही दोष है। नयी भाभी के इशारे पर चलते हैं भाई साहब, अब मैं उनका भाई नहीं रहा।

आपका क्या दोष ?

वह कहने लगा—मैंने ही दूसरा विवाह कराया। भाई साहब बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। कहते थे, पता नहीं कैसी औरत मिले जो घर को तोड़ फोड़ कर दे।

पहले आपके कैसे सम्बन्ध थे ?

बाप बेटे जैसे। पहली भाभी थी, वह मुझे बेटा समझती थी।

और नयी भाभी ?

रामदेव रुका, फिर आह लेकर कहने लगा—अनमेल विवाह कभी सफल नहीं होते। वह युवा थी, भाई साहब प्रौढ़ ही नहीं, बुढापे में प्रवेश कर चुके थे। इस आयु मे पुरुष स्त्री का दास बन जाता है। वह पुरुष को अपनी अंगुलियों पर नाच नचाती है।

आपके भाई साहब कब बदले ?

बस, नयी भाभी के आने के दो महिने बाद ही। सच यह है कि भाई साहब भाभी को तुष्टि नही दे पाते और यह शर्म ही उनको भाभी का दास बना रही है। वह उनके इशारे पर चल रहे है।

मैंने कहा—और कुछ ?

जी साहब, मेरे घर पर एक दारोगों का लड़का रहता है, बस। एक दिन मेरी पत्नि ने उसको देख लिया। उसी दिन से यह झगड़ा प्रारम्भ हो गया।

आपने अपने भाई से कभी जिक्र किया।

नहीं, कभी नहीं किया। इसकी जरुरत भी नहीं पड़ी क्योंकि भाभी ने इससे पूर्व ही पाल बांध ली थी। उसी दिन भाई साहब ने मुझसे कहा कि हम अलग हो जाएँ।

मैंने पूछा—आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं किससे अलग होऊं ?

भाई साहब चिढ़ पडे—अलग घर का अलग बारणा। एक दिन अलग तो होना ही है, फिर आज क्यों नहीं ?

उस समय मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। रात्रि को पत्नी ने सारी कथा बताई तो मुझे लगा, भाभी ने भाई साहब का मन विषाक्त कर दिया। विश्व में नारी ही सारे झगडों की जड है। अच्छे से अच्छे कुटुम्बों का सर्वनाश नारी ने ही कराया है। मुझे स्वयं शरम लगती है। पूज्या मातेश्वरी समान भाभी को कैसे बुरी नजर से देखता।

मैं चकित हुआ—क्यों क्या हुआ ?

सब से बुरा काम तो मैंने किया कि मैंने भाई साहब को ब्याह के लिए विवश किया। उन्होने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। यह सारी बात वे बता रहे थे। बुढापे में जवान औरत से ब्याह करने से मर्द औरत का गुलाम हो जाता है।

मै गम्भीर हुआ। मित्र ! मैं अपने वजन से दबा जा रहा हूँ। यह मान लीजिए कि जब भी आवश्यकता अनुभव करुंगा किसी अन्य वकील को लगाने मे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाऊंगा—आप निश्चित रहें। मैं न्याय कराने में पूरी शक्ति लगा दूंगा।

मुव्वकिल रामदेव कलाल था। उसकी शराब की दुकान थी। लोग शराब पीने आते थे। शराब के नशे में सब कुछ खो बैठते थे। वे सब कुछ खो देते—जेबें खाली हो जातीं। शरीर पर पहना गहना उतार कर ले जाते थे। ठाकुर रणदेव सिंह घटना के दिन शराब पीने आए। जागीर चली गयी थी लेकिन पीने का शौक नही गया था। वह ज्यों का त्यों कायम था। शराब के पैसे मांगे तो उसने अपनी पत्नि के जेवर दे दिये कि उनको बेचकर रुपया जमा करायें। जेब में बकाया जेवर और था वह किसी अन्य ने निकाल लिया, जब वह शराब के नशे में बेहोश था।

राणदेव सिंह ने दूसरे दिन थाने मे इत्तला की कि रामदेव कलाल का ठकुरानी से अनुचित सम्बन्ध है। वह जब शराब पी रहा था और नशे में धुत हो गया तो रामलाल उसकी अनुपस्थिति मे उसके घर आया, पत्नि के साथ रात बिताई और सुबह उठकर जाते हुए उसकी पत्नि के जेवर उठा लाया।

थानेदार ठाकुर का भानजा था। वह फौरन रामदेव कलाल के घर पहुँचा तथा जेवर बरामद कर लिये। ठाकुर के घर जाकर रात भर रहने के बयान दो दासियों से करवा लिए। ठकुराइन से ठाकुर की बनती नही थी, वह चार पासवाने रखता था और गत पांच वर्ष से कभी रानी के महलों में नही गया। इसी कारण रानी के चरित्र पर इतना बड़ा कलंक लगाने मे वह पीछे नही रहा।

मेरे मित्र ने मुझे बताया कि ठकुराइन चौहान जी उसके ननिहाल के ठाकुर की लड़की है। ननिहाल ठिकाने में उसके नाना, मामा, कामदार रहते

आए हैं और ठिकाने में उसका भी आना जाना है। वह चौहान जी को अच्छी तरह जानता है। इतनी भली, पवित्र, सती साध्वी स्त्री पर इतना बड़ा कलंक लगा दे—इससे बड़ा और कोई अधर्म नहीं हो सकता। वह स्वयं ठकुराइन को जानता है।

मैने प्रश्न किया—आप उन्हें कब से जानते है ?

मेरा मित्र सहमा—रुका, फिर गला साफ कर बोला बचपन से हम साथ-साथ खेले है। वर्ष में गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल जाता, तो महलों में अवश्य जाता। चौहान साहबा का नाम प्रताप कंवर था। वह मुझसे दो वर्ष छोटी है। हमने सैंकड़ों बार आंख- मिचौनी के खेल खेले हैं। एक बार प्रताप की आंखो पर पट्टी बांधी गयी। दो तीन दासियां थीं और मैं था। वह हाथ मारती हुई मेरी तरफ आ गयी और ठोकर खा कर मुझ पर गिर पड़ी। मैं कांप गया। वह भी कांप गयी। उस दिन लगभग एक घंटा हम मौन बैठे एक दूसरे को देखते रहे हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते गये। मैं अब वर्ष में छुट्टियों में ही नहीं अन्यथा भी ननिहाल जाता और महलों में जाकर प्रताप के साथ चौपड़, शतरंज खेलता और घंटों वहीं बैठा रहता। कभी उठकर आने लगता तो प्रताप कंवर उदास हो जाती।

लेकिन इस सब लाग लगाव के बाद एक दिन मैंने साहस कर अपना मुंह उनके मुंह के पास ले जाना चाहा ताकि मैं उन्हें चूम लूं मित्रवर! उनकी आंखों में प्रेत खेलने लगे। वह क्रोध में बावली हो गयी और एक जोर का तमाचा मेरे मुँह पर मारा और फिर जोर से रो पड़ी।

मैं मुंह नीचा कर अपने घर आया। उसके बाद मैं नहीं गया तो प्रताप कंवर ने मुझे बुलाने भेजा।

मैं कुछ समझा नहीं, इस व्यवहार को। मैं विरोध मानूं फिर यह निमंत्रण कैसा ? मैं आखिर गया तो प्रताप कंवर ने मेरा बड़ा सम्मान किया। एकान्त पाकर बोली— नाराज हो गए। हमारी रेखाएं हैं। उनको

साहसहीन

यह मुकदमा ऐसी घटना से सम्बन्ध रखता है जिसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी है। लाख याचना करने पर भी मैं उन तथ्यों को भुलाकर उसकी पैरवी करने को तैयार न था।

वकील की नैतिकता का तकाजा था कि वह मुव्वकिल की सच्चाई को माने और बल दे। लेकिन मैं स्वयम् उन तथ्यों को नहीं भूल सकता जो मेरी जानकारी में थे, और मुव्वकिल की सच्चाई को झुठला रहे थे। इसलिए मैंने मुकदमा नहीं लिया। मुव्वकिल मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसने कई असर डलवाये, लेकिन मैं उन सब प्रभावों को भुला गया।

श्रीचंद गांव का धनाढ्य व्यक्ति था। उसका प्रभाव भी था। वह सबके काम आता था। दुखदर्द में निम्न से निम्न व्यक्ति के घर जाकर उसकी सेवा सुश्रुषा करता था। मेरा निकट का मिलने वाला व्यक्ति था। उसके यहां सुबह से शाम गांव वाले बैठे रहते। अफीम का सेवन करते रहते। दिन में दो बार घड़े में चाय बनती थी, जो सब पीते।

मैं कई बार उस गांव में गया और उनके यहां ठहरा था। उनकी विधवा लड़की माधवी बड़ी सरल और सौम्य स्वभाव की थी। कभी मैंने उसकी नजर को ऊपर उठते हुए नहीं देखा। सदैव नीची नजर किये रहती। हर मेहमान का आतिथ्य उसी के जिम्मे था और मेरे चाय, भोजन आदि का प्रवन्ध वही करती। कोई कसर नहीं रह जाये, इसलिए माधवी ही मेरे कमरे की सफाई, समय पर चाय, भोजन आदि का ख्याल रखती थीं। मुझे याद है, घटना के लगभग एक माह पूर्व वह मेरे पास आई और चरणों में बैठ गयी। ऐसा कभी नहीं होता था।

मैं चौक कर बोला—माधवी जी ! यहां नीचे क्यों बैठ गयीं।

माधवी ने गला साफ किया और फिर बोली मेरे करम फूट गए हैं। उस लम्बी कहानी को कहकर मैं बचना नहीं चाहती लेकिन यह सच है कि मेरी इच्छा के बिना मेरे साथ बलात्कार किया गया और आज मुझे चौथा महीना चल रहा है। मैंने पिताजी से कह दिया है। वे इस गर्भ को गिराने के लिए विवश कर रहे हैं। मैं गिराना नहीं चाहती।

मैं तरह मौन रहा। मुझे नहीं मालूम ऐसे क्षण में क्या कहा जाए और ऐसे तथ्यों पर क्या राय दी जाये।

वह चुप हो गई और मेरे उत्तर की प्रतीक्षा करती रही।

इस का मौन बड़ा भयंकर होता है। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिर टालने के अंदाज में बोला—समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए आपके पिताजी विवश कर रहे हैं।

माधवी ने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा—पाप हो या पुण्य, आगत जीव का क्या दोष ! वह गलत तरीके से संसार में आ रहा है। पुरुष जागेगा या नहीं लेकिन वह मेरे रक्तमास में पनप रहा है। वह मेरे शरीर का अंग बन गया है। मैं उसे मार कर एक नया पाप नहीं मोल लूंगी। भ्रूण हत्या

वकील साहब, आप जैसा सोचें ये बैठे हैं। मुझे अच्छी तरह जानते हैं। कलंक मिटेगा नहीं, आप चाहे हारें या जीतें। जहां जाती हूं वहां एक ही बात सुनती हूं कि मैं कलाल से प्यार कर उसे जेवर दे बैठी।

मैंने टोका—यह सब झूठ सिद्ध कर दूंगा।

प्रताप हंसी आप झूठ सिद्ध कर देंगे। लेकिन सब जगह जो कलंक मुझ पर लगाया जा रहा है, उसे आप धो सकेंगे ?

प्रताप कंवर रो पड़ी। वकील साहब, जिस पवित्रता को रखने के लिए मैंने इन पर हाथ उठाया था। आज मेरा हाथ खून से सना है। अब मैं उस खून को धो देना चाहती हूं। प्यार आध्यात्मिक रखकर मैं पवित्रता रखना चाह रही थी। शरीर को अलग कर मन में लीन थी, लेकिन अब इस कलंक ने मेरी आंखें खोल दी। शरीर और मन को अलग नहीं किया जा सकता।

ठाकुर साहब से न मुझे शरीर मिला और न मन ही। न आध्यात्मिक में मैं जी रही हूं और न भौतिक में। वकील साहब, आप मुकदमा जीत जाएंगे, लेकिन मेरे कलंक को नहीं धो सकेंगे। ओह! मुझे न माया मिली और न राम ही। यह बदकिस्मती मैं स्वयं बना रही हूं। आपके मित्र ....। प्रताप कंवर मौन हो गयी। उसकी अश्रुधारा उसको प्लावित कर गयी।

मैं मौन सब सुनता रहा।

वह उठी, माफ करना, मैं चाय तक के लिए न पूछ पायी।

दासियों ने चाय, पकौड़ी, हलवा, सूखा मेवा हमारे सामने सजा दिया।

हमने थोड़ा बहुत खाया और प्रतीक्षा करते रहे लेकिन प्रताप कंवर नहीं आयी।

सत्यदेव ने दासी को कहा कि वह बाई साहबा को बुला दे। हम जा रहे हैं।

दासी ने कहा आप पधारे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सचदेव को बड़ी कठिनाई से मैं उठाकर अपने साथ लाया। वह, रातभर तड़पता रहा।

सुबह मैं उठकर अपने कार्यालय पर आ गया। सचदेव वहीं रहा। चार बजे सचदेव मेरे पास आया और बोला –भाई साहब, अब मुझे मुकदमे से कुछ लेना देना नही है। आप चाहें उसे लड़ें, आप चाहें उसे छोड़ दें।

और सचदेव रो पड़ा। प्रताप कंवर जहर खा कर मर गयी। आप रवाना हुए, उसके बाद मुझे सूचना मिली। मैं गाडी लेकर डाक्टर के साथ पहुंचा। उसे सांसें आ रही थीं। उसने हाथ जोड लिए। मैंने उसकी नाडी देखनी चाही तो वह रो पडी। नहीं, भाई साहब, अब मेरे हाथ न लगाएँ मुझे माफ करना।

मैं दूर बैठा बैठा उसकी अन्तिम श्वासों को देखता रहा और मेरे सामने ही वह चल बसी। मैं उसे नहीं बचा सका। सचदेव फूट-फूट कर रो पड़ा।

लांघ नहीं सकती । मैं विवाहित हूं, शरीर मेरे पति का है और उस पर किसी तरह का आक्रमण मैं बरदाश्त नहीं कर सकी । लेकिन क्या मैं तुमसे दूर हो गयी । यह कैसे जान लिया । लम्बे काल से जो पाला पोसा है वह एक थप्पड मिटा देगा और वह रो पडी ।

मैंने कहा—प्रताप जी मुझे माफ करना, हम पुरूष बड़े कमजोर होते है । आप मुझे सदैव अपने निकट पाएंगी । उत्तेजना में जो गलती हो गयी, उसके लिए क्षमा करे ।

प्रताप हँसी । मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मेरा .... वह तरल हो पड़ी । रुकी और फिर साहस कर बोली— मन, वचन सब आपका है और तन लेना चाहो तो यह भी तुम्हारा है । परन्तु हमारी मर्यादायें हमें बाध कर चलती है । मैं उनसे ऊपर कैसे उठूं, नहीं जानती। मेरी मजबूरियां है । कुटुम्ब की विशेषताऐं हैं । शताब्दियों के संस्कार हैं और एक बात—एक बार इसे पा लोगे तो घृणा प्रारम्भ हो जाएगी। इसलिए प्रेम की पवित्रता के लिए हम बस आकर्षण से बधे रहे । उसकी पूर्ति न होने दें । मैं देवी नही हूं, एक साधारण स्त्री हूं ।

और आज तक मै उसको स्पर्श नही कर पाया । मेरा लगाव आकर्षण सदैव बढ़ता जा रहा है । ठाकुर को क्या सूझी कि वह इतना बडा कलंक उस नारी पर लगावे, जिसकी पवित्रता ने मुझे पवित्र बना दिया ।

मैंने कहा - ठाकुर ने यह अपराध इसलिए लगाया कि ठकुरानी का बयान ही न हो और इतने बडे कलंक को वह न कभी स्वीकार करेगी और न यह कह पाएगी कि मैं उस जेवर को ले आया ।

और अगर यह कह देगी तो बयान को चुनौती देने के लिए कलंक पर्याप्त है ।

मैंने कहा— दो दासियों का बयान है ।

वह बोला—यह तो है ही, यहीं तो आपका कौशल काम करेगा। बस मैं अपने आपको झूठा मान सकता हूं लेकिन प्रताप को कभी झूठा नहीं मानूंगा। उसके चरित्र पर कभी शंका नहीं करूंगा। हाँ एक बात और है। ठकुराइन और मेरे प्यार की बात वह जानता है और इसी कारण वह इतना बड़ा कलंक लगा गया है।

मैंने उसे आश्वासन दिया कि न्याय दिलाने में मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। रामदेव कलाल से बात हुई तो उसने यह कहा कि यह जेवर ठाकुर उसे शराब की कीमत के एवज में दे गया है।

उससे अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं थी और न ही सचदेव की दी गयी कहानी से उसका कोई सम्बन्ध था। उसने अपने पुत्र की कसम खा कर मुझे कहा कि वह केवल एक बार रावले में गया है, पैसा मांगने। उसने ठकुराइन को कभी देखा तक नहीं। दासियों ने उसे कभी नहीं देखा। अदालत में वे पहचान भी नहीं पायेंगी।

खैर मुकदमे की तीन पेशियां पड़ गयीं। एक भी गवाह का बयान नहीं हुआ।

इसी बीच प्रताप कंवर पीहर गयी थी, उसने सचदेव को बुलाया और कहला भेजा कि वह मुझे भी साथ लेते आवें।

मैं और सचदेव दोनों साथ साथ गये। हम दोनों सचदेव के ननिहाल में ठहरे। दो घण्टे बाद हमें प्रताप कंवर ने बुला भेजा। पहले सचदेव को और उसके बाद मुझे भी।

हम दोनों जब साथ साथ प्रताप कंवर के घर पहुंचे तो वह एक पर्दे के पीछे बैठी थी। उसने दासी के साथ मुझे पुछवाया कि मैं उसके सम्बन्ध में क्या सोचता हूं।

मैंने सहज ही उत्तर दिया—अभियोग सर्वथा झूठा है।

उसके बाद पर्दा हटा दिया गया। दासी दूर चली गयी।

सबसे बड़ा पाप है और पव जन्म के किसी ऐसे ही कुकर्म ने मुझे छोटी उम्र मे ही विधवा बना दिया। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।

मैं सहमा --माफ करना, यह हुआ क्यों ?

वह गम्भीर हुई, उसकी आंखें भर आयी। उमस को रोककर बोली-यह जानकर क्या करेंगे। आप मेरे पिताजी के मित्र हैं। इसी तरह एक मित्र और हैं। उनके बचपन का साथी, निकटतम मित्र। एक शरीर दो आत्मा। बस उसी के कारण यह हुआ। वह रोजाना आता था। एक दिन पिताजी बाहर चले गये थे। वह रात्रि मे आया और नींद में सोती हुई के साथ बलात्कार किया। मैं छटपटायी, लेकिन न चिल्ला सकी और न रो सकी। अब तो लगता है जैसे मै स्वयम् आत्म समर्पण कर चुकी हूं। इस सबसे कोई अन्तर नहीं आता। बस मै उसको मरने नही दूंगी। पिताजी से आप कह दीजिये। उनकी वेइज्जती होती है तो मैं इस घर को छोड कर चली जाऊंगी।

मैं यह कहकर टाल गया कि मै उनसे बात करूंगा, तब कुछ निश्चित रूप से कह सकूंगा।

माधवी ने मेरे पैर पकड लिए और उस पर सिर रखकर रो पडी। मेरे पैर में जो कम्पन था लगता था उसकी वेदना की प्रतिगति थी। मैं स्वयं हिल गया। मैं उसे उठाना चाहता था लेकिन उसे छूने का साहस नही हुआ। उसके छूने में जो भय था, वही स्पष्टत: मुझे कंपा रहा था। आपकी मवेदना स्वयं दुषित न हो जाये। आप स्वयं दूसरा पाप न कर बैठें। इसलिए मेरे फैले हाथ रुक गए। मैंने कहा --माधवी जी ! उठो, रोना बद करो। यह उचित नही है। मैं प्रयत्न करूंगा कि गर्भपात न करवाना पडे।

वह रोती हुई बैठ गई। मैं आतंकित, विचलित, व्याकुल बाहर चला आया। लगा, चारों तरफ जैसे सहस्त्रों हिंसक जीव मुझे खाने को दौड़ रहे हैं। मैं गाडी में बैठकर अपने गांव चला आया।

सेठ की मुझ पर बड़ी कृपा थी। वह साल में लगभग दस-बारह हजार के मुकदमें मुझे दिलाता था, और हर बार इसी टोह में रहता था कि कोई मुकदमा जो उसके ध्यान में आये, वह मेरे पास ही आये। इसके लिए वह मेरी कीर्ति गाने मे पीछे नहीं रहता।

एक मुव्वकिल ने मुझे आकर कहा था—सेठ साहब ने भेजा है। वे कह रहे थे, इस जिले मे तो क्या अपने प्रान्त में आप जैसा यशस्वी बुद्धिमान वकील दूसरा नहीं है। आपके नाम से न्यायालय कांपते हैं। आप कहते है, उसपर गौर करते हैं। आप मेरा मुकदमा ले लीजिए और मुझ पर दया कीजिये।

मैं अपनी कीर्ति से गद्‌गद् हो उठा और सेठ के प्रति कृतज्ञ भी।

उस गांव से लौट आने के बाद मुझे सूचना मिली कि माधवी को उसके पिता ने मार दिया है। उसका गर्भ गिरवाने के प्रयत्न में असफल हो गये, तो गला घोंट कर मार डाला।

पुलिस में इत्तला हुई, उसके पूर्व ही लाश को दफना दिया गया था। इस तरह की कोई साक्षी नहीं थी कि हत्या गला घोंट कर की गई। यद्यपि पुलिस ने दूसरी साक्षी पैदा कर ली थी, एक ऐसा गवाह पुलिस को मिला जो पड़ौस की छत से उसके गला घोंटने को देख रहा था। मुकदमा स्वयं सेठ और उसके मुनीम के विरुद्ध था। चर्चा यह थी कि माधवी गर्भवती थी और उसके गर्भ गिरवाने में असफल होने के कारण ही उसका कत्ल किया गया था। गर्भपात की कोशिशें करने की गवाही हेतु नायन, दायी आदि को पुलिस मे पेश किया गया था।

सेठ ने मुझे विवश किया और कहा कि ये सब साक्षी एक भी उसके विरुद्ध नहीं आएंगी, सब झूठी, बनावटी हैं।

मैंने कहा— बस भाई साहब, इस मुकदमें में मैं वकील नहीं बन सकूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं।

वे नाराज हुए। कोई गवाही नही है। इसके आगे मेरे सारे व्यवहार पर पानी न फेरिये, जो मैं जिन्दगी भर आपके साथ करता आया हूँ। मैं अच्छे से अच्छे वकील को कर लूंगा लेकिन आपके प्रति जो आकर्षण है, आपकी बुद्धिमता पर जो मेरा भरोसा है, उस भरोसे को झुठलाने मत दीजिये।

मैंने उन्हें कहा—भाई साहब! मैं इस मुकदमें की पैरवी नहीं कर सकूंगा।

वे बोले—आखिर क्यों ?

मैं क्या कहता। आखिर विवश होकर यह कहा कि मैं सोच लूं, फिर कल उत्तर दूंगा।

मैं बडे संघर्ष में पडा। माधवी का रोना, उसके कथन का प्रतिकम्पन मेरे शरीर को छेड़ रहा था। मैं अपने में विवश था। क्या करता। माधवी की याचना जैसे मेरे मन पर हथोडा पटक रही थी।

दूसरे दिन सेठ आते ही बोला—वकील साहब आप मुकदमा लीजिये।

मैं क्या कहता। माधवी की रोती शक्ल मेरे सामने थी। मैंने दोनों हाथ जोड दिए—भाई साहब, मैं इसमें पैरवी करने की क्षमता नहीं रखता। बेटी माधवी मेरी आँखों में है।

सेठ बोला—मेरी आँखों में नहीं है मेरे अंग अंग में बसी है।

मैं क्षमा चाहता हूं। चलिए, मैं अच्छे वकील से मिलवा देता हूं।

उन्होंने कारण जानना चाहा। मैंने कुछ भी नहीं कहा। उनको एक अन्य अच्छे वकील को सौंप आया। माफी मांग ली। घर लौटा तो पत्नि को सारी कहानी कह सुनाई।

वह सेठ को जानती थी। हम दो बार उनके मेहमान बन चुके थे। वह माधवी को भी जानती थी। उसके चरित्र पर उसका भरोसा था। उसने

मुझे कहा—आपने अच्छा किया। माधवी निर्दोष थी। वह महान थी। सिर्फ बदनामी को रोकने के लिए वह अपने खून की हत्या नहीं कर सकती थी। यह उसके चरित्र की महानता थी। लेकिन यह पाप हुआ कैसे ?

मैंने जितना माधवी से सुना था उतना कह सुनाया।

पत्नि रोष में आ गई। पुरुष बडा हीन होता है। घर में भरोसा कर प्रवेश करते हैं। पिता, काका बनते हैं, लेकिन मृत्यु के दिन तक वासना की भट्टी से बाहर नहीं निकल सकते। अपनी बेटी के साथ बलात्कार! मालूम होता है कोई नरक का कीड़ा होगा।

ओह! यह सब तो हो गया। मैं माधवी के मेरे पैर पकड कर रोने की व्यथा को नहीं भूल सका। उस पर उसने जिस रक्षा की मांग की, उसे मै नहीं दे सका। यही पीडा मुझे खाए जा रही है।

आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आपने पहले कहा होता तो मैं माधवी को अपने यहाँ बुला लेती, किसी अच्छे नर्सिंग होम में भेज देती और दोनों जीवों को बचा लेती।

मै टुकर-टुकर पत्नी के साहस को पहचान रहा था, जिसका मुझमें अभाव था।

विवाह का अन्त

यह मुकदमा मेरे वकालत जीवन का एक अच्छा मुकदमा था। जिसमें मुझे अपनी तर्क–कौशल से कामयाबी मिली। वकालत का प्रारम्भिक जीवन था और मैं मुव्वकिलों की किस्मत पर वकालत का कार्य सीख रहा था।

मुकदमा था एक नाबालिग की फरारी का। ब्राह्मण कुल की राम कन्या नाम की लडकी को एक ब्राह्मण सुदर्शन उड़ा कर ले गया। सुदर्शन की पत्नी का देहान्त हो गया था। उसके दो लड़के और दो लड़कियाँ थीं। खेती पर काम करता था। जाति में दूसरे विवाह की बात चलाई तो कोई लडकी नहीं मिली। अन्त मे दुखी होकर तेरह वर्षीय रामकन्या को पकड़ कर अपने घर में ला बैठाया। राम कन्या गरीब पिता की लड़की थी। आठवें वर्ष मे उसका ब्याह हो गया और दसवें वर्ष के प्रारम्भ में उसके पति की सांप काटने मृत्यु हो गयी और वह विधवा हो गयी, तबसे अपने पिता के घर पर ही थी।

ब्राह्मणों में पुनर्विवाह (नाता) नही होता। लेकिन गरीबी के कारण कई लडकियों ने ऐसा करना उचित समझा। उनको जाति बाहर कर दिया गया था। मुकदमा चार वर्ष चला। राम कन्या की आयु सतरह वर्ष की थी और वह गर्भवती हो गयी थी।

जब राम कन्या का बयान होने वाला था तब मैंने उससे कुछ जानकारी करनी चाही।

पेरोकार पुलिस ने मुझे बताया कि उसकी हालत बहुत खराब है। पिता ने भी घर से निकाल दिया। अब तक तो अलग और अकेली रहती है। गांव वाले न कोई काम देते है और न इज्जत करते हैं। पेरोकार पुलिस का कहना है कि उसके बयान से मुकदमे में कोई हेरफेर नहीं होगा। उसकी इन्कारी या कबूलियत बेमानी होगी।

मैंने कहा फिर भी मैं अपने मुव्वकिल से पूछ लूं कि वह गर्भवती विधवा को रखना चाहता है।

मैंने सुदर्शन से पूछा – राम कन्या गर्भवती हो गयी।

सुदर्शन ने कहा - हां, वह जानता है और यह भी जानता है कि वह गर्भवती क्यों हुई। उसके बाप ने ही पैसा कमाने के लिए घर में अड्डा खोल रखा था। प्रारम्भ मे जबरदस्ती की गई, औरत जात ठहरी विवश होकर उसमें रम गयी। मुझे परसों मिल गयी थी। भीख मांग रही थी—मुझे शरण दो और नरक की पीड़ा से बचालो ....।

तुम क्या चाहते हो।

सुदर्शन उदास हुआ—मैं एक साथी चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम ये पहले वाले लडके–लडकी मेरे है। दिनभर खेत पर काम करने वाली औरत को कब कौन पकड ले और उसके गर्भ रह जाऐ। मेरी पहली वाली औरत ने मेरे सामने कबूल किया। उससे भी यह बात साबित होती है औरत और चिलम की पवित्रता क्या? चिलम हर मुंह पर चढ़ती है और औरत – वह

जोर से हँसा। वकील साहब, ये अमीरों के चोंचले हैं--गरीब की स्त्री की पवित्रता से क्या लेना देना--मैं उसे रखूंगा, जरुर रखूंगा। वह आने को तैयार है। पहले मैं उडाकर लाया तो वह थर-थर कांप रही थी। मुझसे भीख मांगी कि उसे वापिस उसके पिता के घर पहुंचा दूं।

आप उसे बुला सके तो।

मैंने पेरोकार को सूचना दी। उसने फौरन उसे मेरे कार्यालय में भेज दिया। राम कन्या घूंघट में थी, घाघरी फटी हुई थी, ओढ़नी गल गई थी। फटी कंचुकी में उसके उरोज बाहर निकल रहे थे। पेट बढ़ा हुआ था। शायद पाँचवा छठा महीना चल रहा होगा।

मैंने सुदर्शन से कहा कि वह बात कर ले।

सुदर्शन ने अलग ले जाकर राम कन्या से बात की। मुझे आकर सूचना दी कि वह तैयार है। सुदर्शन जोर से हंसा—वकील साहब, न उसे कोई और ठौर और न मुझे ही—न मेरा जात से कोई मतलब न उसका। बिगडे ब्राह्मणों की कमी नहीं है। बेटे-बेटियों का ब्याह हो जायेगा। हमसे पहले कई औरतों ने विधवा-विवाह किया है। उन सबकी नयी जात बन गयी है। मैं पंच गौड़ बन जाऊंगा, अभी शुद्ध गौड़ हूं। कोई हमें कुछ कहेगा, और कोई कुछ। फिर भी हमारी जाति अनादि से चली आ रही है व चलती रहेगी। पवित्रता कहा है, मैं नहीं जानता।

मैंने टोका—पण्डित जी! अपने काम को अच्छा कहने के लिए सारे जगत को बदनाम न करो। आखिर विवाह पद्धति बनी है, उसके लिए कुछ लक्ष्मण रेखायें होनी चाहिएँ। वे नहीं रहीं तो विवाह संस्था समाप्त हो जाएगी।

राम कन्या मौन बैठी थी।

उसने मेरी बात सुनकर कहा—साब! गरीबी उन रेखाओं को मिटा देती है। आपके समस्त घेरे समाप्त हो जाते हैं। आप रह जाते हैं बिना

किसी मर्यादा के और वहीं से मानव का कल्याण प्रारम्भ होता है। मैं सब घेरे तोड़ कर आई हूँ। मेरे पिता ने तुड़ाये, मेरे समाज ने खत्म किए, और मैं मां बनने जा रही हूं। कर्ण-कबीर, सभी तो इसी बन्धनहीन समाज के जीव थे।

मैंने कहा–– तुम सुदर्शन के यहां रहना चाहती हो।

जरूर! मेरे पास और कोई घर नहीं है। औरत के एक घर जरूर होना चाहिये। यों कोठे और घर में कोई फर्क नहीं है। वह हंसी, इतने जोर से हंसी कि उसकी आंखों में आंसू निकल आए।

खैर! उसका बयान हुआ। उसने बिना किसी जोर दबाव के बयान दिया था। बयान में उसने कहा कि वह छुपी-छुपी इनके यहां आई थी उसे कोई पकड़ कर नहीं ले गया।

न मैंने जिरह की और न न्यायालय ने। न्यायालय ने एक प्रश्न अवश्य पूछा––तुम्हारी उम्र क्या है?

राम कन्या ने कहा––बीस-बाईस के लगभग।

दूसरी पेशी पर डाक्टर का बयान होना था। डाक्टर ने बयान में कहा कि राम कन्या की आयु उस वक्त तेरह वर्ष की थी। वह अवयस्क थी। मुझे अन्य प्रश्नों से कोई सरोकार नहीं था।

वह एक तेरह वर्षीय लडकी साथ लाया।

मैंने डाक्टर से पहला प्रश्न पूछा - आप उस लडकी को पहचानते हैं?

डाक्टर ने बडे अभिमान से कहा––जी, अवश्य। उसके कई निशान थे।

डाक्टर ने प्रमाण पत्र में कोई निशान नहीं लिखे थे। वह बगलें झांकने लगा।

मैंने कहा – आपको बताऊं तो पहचान लेंगे।

जरूर पहचान लूंगा ।

मैंने दूसरी लडकी जिसकी इस वक्त आयु 14 वर्ष की थी, पेश किया। वह घूंघट में थी । मेरे कहने पर उसने घूंघट उठा लिया ।

डाक्टर ने गौर से देखा और बडे विश्वास से बोला—यही वह लडकी है जिसका मैने प्रमाण पत्र दिया है ।

मजिस्ट्रेट उछल पड़ा और आगे एक शब्द नहीं बोला । डाक्टर कटघरे से बाहर आया, तो मजिस्ट्रेट ने कहा · डाक्टर साहब ! आपने लडकी को बिना देखे प्रमाण पत्र दिया है और मुझे कहा · वकील साहब, चूंकि रामकन्या की आयु का प्रमाणपत्र नहीं है इसलिए मैं मुल्जिम को छोडता हू ।

मैं प्रसन्न था । वकील साहबान, जो न्यायालय में थे, भौचक्के से मुझे देख रहे थे और मेरे कौशल पर मुग्ध थे ।

मै बाहर आया । सुदर्शन और रामकन्या दोनों मेरे साथ घर आये ।

मैंने पत्नि को बुलाया । उसे रामकन्या से घृणा थी । कोठे पर जबरदस्ती बिठाई गई, वह क्यो बैठी । मर जाती तो ज्यादा अच्छा था । वह कई बार मुझे कह चुकी थी । पाप हम करते हैं, उसको थोपते दूसरे पर हैं ।

रामकन्या ने पत्नि के पैर छुए । पत्नि प्रसन्न नहीं दिखाई दी । जब वे दोनों चले गए तो मैंने पत्नि से कहा—आप रामकन्या से बहुत घृणा करती हैं ?

जी करती हूं ।

उसकी बेबसी और असहाय स्थिति की आपके पास कोई कीमत नहीं

पत्नी हंसी—यह सब ढोंग है ।

अब वह सुदर्शन के घर रहेगी । नाता करेगी और पत्नि बनकर रहेगी ।

पत्नि बोली—आपका व्यवसाय पाप फैला रहा है। एक दिन संसार इतना विषाक्त हो जायेगा कि रहने योग्य नहीं रहेगा।

आप रामकन्या की मजबूरी नहीं जानतीं।

पत्नि ने कहा—मै भारतीय नारी हूँ। यहां की संस्कृति मेरे अणु-अणु में समायी है। मैं पूछती हूं, आप मुझे जबरदस्ती ये सब काम कराये तो मैं करुंगी ? मै उससे पहले मर जाऊंगी। शरीर बेचना सबसे नीच धंधा है।

वह मैं जानता हूं।

आप यह जानकर भी उसकी पैरवी कर रहे थे ?

जी कर रहा था, और अब कोठे से हटाकर सुदर्शन के घर भी मैंने बिठाया है।

पत्नि ने बड़ी व्यथाभरी दृष्टि से मेरी आंखो में झांका और फिर जबरदस्ती मुस्करा कर चली गई।

पाप और पुण्य

छः अभियुक्त थे। उनमें पाँच एक जाति के थे और एक दूसरी जाती का था। अभियोग यह लगाया गया कि एक बाला 'अ' को अन्य जाति के लोग उड़ाकर ले गये और उन्होंने उसकी शादी उनमें से एक आदमी के साथ कर दी। दूसरी जाति का अभियुक्त उस गिरोह में केवल उसी जाती की लड़कियों को उड़ा लाने के लिए रखा गया था। इस घटनाक्रम के पीछे कतिपय कुटनियां अवश्य थी लेकिन उनमें से एक का नाम भी सामने नहीं आया। 'अ' की आयु बीस वर्ष से अधिक थी। उसका पति अभियोगी बनकर नहीं आया। केवल जाति के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सारी जाति के लोग उमड़ गए थे और थाने को चारों तरफ से घेर लिया। इस पर शासन ने केवल शांति कायम रखने के लिए तफतीश प्रारम्भ की और 'अ' को तलाश कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। कुल छः ही अभियुक्त अपने में निश्चिंत थे। उनको मालूम था कि उनपर किसी तरह का अपराध नहीं था। वे ही मेरे पास आए थे और मुझे वकील बनाया था।

'अ' भी उनके साथ थी। आयु मात्र से निश्चिन्तता रखना उचित नहीं था पुलिस में 'अ' का बयान हुआ। उसमें यह लिखा था कि रात्रि के बारह बजे

एक औरत उसके पास आयी और यह कहा कि उसकी माँ सख्त बीमार है, पीहर से एक आदमी आकर खबर दे गया है। मैं रो पड़ी। ऐसी खबर प्राय. मौत की सूचक होती है। मै रोती-रोती घर से निकली। मेरा पति खेत पर था। गांव के बाहर पहुंची तो ये छः अभियुक्त जीप लेकर खड़े थे। मै रोती जा रही थी तो इन्होंने कहा—क्या बात है, रो क्यो रही हो। मैंने अपनी माँ की बीमारी की बात उनसे कही। इस पर उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे पीहर छोडते चले जायेगे, हमे उसी रास्ते जाना है। रात का वक्त था। रास्ता पहचानने मे नही आ रहा था, जब सुबह हुयी तो मैंने पूछा कि मेरा पीहर कहां रह गया। इस पर उन्होने मेरा मुंह बद कर लिया और एक पर्दा लगाकर हाथ पैर बाब दिये और मुझे जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद दुपहर को मेरा ब्याह रचाया गया। मुझे डर बताया कि विरोध करुंगी तो मार दी जाऊंगी। जिसके साथ नाता किया उससे इन लोगों ने 5000) रु० लिए मैं कही भी अपनी मर्जी से नही गयी। सब जगह जबरदस्ती ले जायी गयी।

इस बयान के होते हुए बड़ा मुश्किल था की वयस्क होने मात्र से अभियुक्त बच जाते। इसलिए 'अ' का बयान खत्म करना था।

मैने 'अ' को बुलाकर पूछा कि उसका क्या कहना है ?

'अ' ने बड़े साहस से उत्तर दिया आप क्या जानें, औरत की जिन्दगी क्या होती है। मेरा पति रोज मुझे पीटता था। बस जिस दिन भाग कर मै आई, उस दिन वह मुझे बिल्कुल मार डालना चाहता था। वह छुरी लेकर मेरे पास आया और बोला, रण्डी तैयार हो जा! बस अब देर नही है। तेरे यारों को खबर होने से पहले ही तू मर जायेगी।

मैने उसको रोका—तुम्हारा पुलिस में बयान हुआ है ?

हुआ है साहब।

वहां तुमने क्या बयान दिया ?

वह हंसी— वही बयान दिया जिससे मैं राही सलामत अदालत में पहुंच जाऊं।

सच क्या है?

वह जोर से हंसी। सच कुछ भी नहीं है। मैं इनके साथ गयी। यह सच भी है, झूठ भी है और आज एक बात कह दूं —मैं वापिस आ भी जाऊं तो कौन रखने को तैयार होगा? मेरा पति, सास-ससुर, भाई, जात-पांत वाला? कोई भी नहीं रखेगा—तब क्या करूंगी। बस जहां हूं वहां ठीक हूं। यह भी कब तक ठीक रखेंगे मैं नहीं जानती। बना जितना साथ, बिछुड़ गए तो बिछुड़ गए। कोई कुछ करता धरता नहीं। कोई किसी के आड़े नहीं आता। औरत तो आपकी दासी है। उसका शरीर ठीक है तब तक वह आदमी को अच्छी लगती है। वकील साहब, मैं खुशी-खुशी गयी। आपने यह पता लगाया कि मेरा खाविन्द आदमी भी है या नहीं, औरत इतना तो चाहेगी ही। आखिर ब्याह शादी क्यों होते हैं।

मैंने कहा— तुम तो बडी-बडी बातें कह गयीं।

वह उदास हुई। वकील साहब, ये बडी-बड़ी नहीं हैं, छोटी से छोटी बात है—कम से कम कीमती। मैं सीता सती की बात नहीं कहती। तप जप में लगी महान साध्वियों की बात नहीं जानती। मुझे रोटी खाने को चाहिये, कपडा पहनने को और इसी तरह की शरीर की जरूरतें पूरी हों बस यही तो चाहती हूं। उसके आगे कुछ भी नहीं।

तो तुम क्या बयान दोगी?

यही बयान दूंगी। मैं खुशी-खुशी गयी। जातवालों को क्या लेना देना। मेरा पति कभी आया और पूछा कि मैं कहां हूं? मैं छिनाल हूं और वे आदमी नहीं होते हुए भी कितनी औरतों के यहां रोते फिरते हैं। दो बार पडौसी की औरत को प्यार करने घर फांद कर गये। पुलिस ने पकड़ लिया और दो वर्ष की सजा हो गयी। अपने बाड़े बना रखे हैं। घेरे डाल रखे

है। मैं किसी से डरती नहीं, न जात वालों से न भगवान से, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया।

मैंने घूर कर उसकी आंखों में झांका।

अब तो जात वाले क्या कहेंगे ? वह जोर से ताली पीट कर हंसी आप क्या जानो ? लोग कहेंगे जात छोड़ दी, धर्म छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, पीहर, ससुराल सब छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया लेकिन औरत का धर्म नहीं छोड़ा।

मैंने कहा—वह धर्म क्या है ?

'अ' बोली—वह धर्म है पुरुष को पालना, प्यार करना। मैं बराबर प्यार करती आ रही हूं और प्यार करती चली जाऊंगी। एक पुरुष से बंध जाऊं जो मुझे बांधना नहीं चाहता, यह दुनिया की रीत है। मछली पानी में रहती है। मैं प्यार में रहती हूं। जहां पानी सूखा मैं छोड़ भागूंगी, जहां पानी मिलेगा वहां चली जाऊंगी, यही जिन्दगी है।

मैंने कहा—तुम उपदेश की बहुत बातें कह गयी।

अबला की आंखों में आंसू आ गये थे, जो उसके गालों से बहकर आंचल पर बिखर रहे थे।

❁❁❁❁❁❁❁❁
❁❁❁❁❁❁
❁❁

नारी का मंगलमय रूप

मेरी मान्यता है कि मनुष्य मनुष्य को मारता है तो वह ज्ञान के क्षणों में नहीं होता, वह भूल जाता है कि वह कत्ल करने जा रहा है।

ऐसे पूर्व निर्णित कत्लों में भी कत्ल करते समय वह कत्ल करने के कृत्य से अनभिज्ञ हो जाता है।

एक विभाजन और कर दूं। सौ कत्लों में से केवल पांच ही पूर्वनिर्णित कत्ल होते हैं बाकी तो मात्र आकस्मिक घटनायें होती है और हो जाने के बाद मनुष्य स्वयं प्रायश्चित्त करता है और अपना अपराध स्वीकार करता है। कत्ल सिर पर चढ़ कर बोलता है। यह अलग बात है कि उनमें सजा नहीं होती है। साक्षी के अभाव में कत्ल के मामले मे मात्र स्वीकारोक्ति पर दण्ड नही दिया जाता। एक कत्ल के केस में मुझे यही अनुभव हुआ।

ठाकुर रणवीर सिंह अभियुक्त था। उस पर अपराध यह लगाया गया कि समुद्र कंवर का उन्होने कत्ल किया है। पैरवी की कथा के अनुसार समुद्र कंवर उनकी पावसान थी। वे उसका कत्ल करेंगे, यह सम्भव ही नहीं था। कोई कारण नही दिया गया कि कत्ल के पीछे क्या प्रेरणा थी। सिर्फ घटना

यह बताई जाती है कि ठाकुर रणवीर सिंह ने अपने नौकर के द्वारा बाजार से जहर मंगाया था और उसे पिला दिया। दूसरे दिन वह मरी हुई पाई गई। बात फैलते देर नहीं लगी और पुलिस ने लाश का परीक्षण कराया तो पेट में जहर मिला। वही जहर, जो रणवीर सिंह ने बाजार से मंगवाया था।

रणवीर सिंह समुद्र कंवर को बहुत प्यार करते थे। उनकी ठकुरानी इसको बर्दाश्त नहीं करती थी। पुलिस का कथन था कि ठाकुर ने इसी कारण जहर देकर मार डाला कि कुटुम्ब का स्नेह न टूटे। वह पत्नि को भी नाराज नहीं करना चाहते थे।

मैंने ठाकुर रणवीर सिंह से बात की तो उन्होंने जो घटनाक्रम बताया वह इस प्रकार था।

रणवीर सिंह का उनकी पत्नि श्रीमती चौहान जी से अच्छा सम्बन्ध था। रिवाज था कि पुरुष विवाहित पत्नि के साथ एक पासवान भी रखता था। समाज में यह अनादर का विषय नहीं था। वह बल्कि साधिकार रखता था। न कभी पत्नी एतराज करती और न पासवान ही।

रणवीर सिंह कोमल स्वभाव का व्यक्ति था। द्वन्द्व और विडम्बनाओं में जीने का साहस नहीं था। दो स्त्रियां रखकर उन्होंने कभी द्वन्द्व नहीं पाला। पासवान को भी महल में एक कमरा दे रखा था। बारियां बंधी हुई थीं। महीने में पन्द्रह-पन्द्रह दिन की। इस महीने में जब ठकुराइन की बारी थी तो ठाकुर साहब उदयपुर नौकरी पर चले गये और जब लौटे तो पासवान की बारी प्रारम्भ हो गयी थी।

ठकुराइन ने ठाकुर साहब को बुलवाया और कहा कि उसकी इज्जत रखनी हो तो पासवान की बारी बंद कर उसके साथ रहें।

ठाकुर ने सहज ही कहा—मैं समुद्र कंवर से बात करलूं।

इस पर ठकुराइन को गुस्सा चढ आया और उसने कसम खायी कि वह कभी भी ठाकुर से नहीं मिलेगी। आखिर विवाहिता स्त्री को इतना अधिकार तो है ही। इस पर ठाकुर अजीब परिस्थिति में पड़ गए। उन्हे लगा कि वे अब इस विकट परिस्थिति को नहीं उठा सकेंगे। उन्होंने ज़हर मंगवाया कि वे खाकर सो जायेंगे और इस द्वन्द्व को समाप्त करेंगे।

समुद्र कंवर को मालूम हुआ तो उसने कहा कि वे ठकुराइन के पास रहें। उसके पास न आवें। जहर स्वयं ने लेकर छुपा लिया, रात को वह स्वयं खा गयी और झंझटों से मुक्ति पा ली।

ठाकुर ने सारी कहानी बताकर कहा—वकील साहब, समुद्र कंवर दरोगन थी। मेरे नौकर रामसिंह की पत्नि और मेरी पासवान। ऐसी ऊंची औरत आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वह ऐसी औरत थी जिस पर मेरी पत्नि को नाज था। समुद्र कंवर दिन भर मेरी पत्नि के पास रहती थी। नौकरानी की तरह दिनभर सेवा करती। मेरा इतना प्यार और सम्मान पाकर भी वह कभी इतरायी नहीं। मेरी पत्नि और राजमाता की सेवा में लगी रहती थी। दिखने में बडी सुहावनी थी, लाखों में एक। स्वभाव में मुझे ऐसी सीधी सादी औरत आज तक देखने को नहीं मिली। मैंने स्वयं अपनी आत्म हत्या करने के लिए जहर मंगवाया था और वह हमारे कौटुम्बिक द्वन्द्व को समाप्त कर स्वयं उत्सर्ग हो गयी। मेरे और मेरी पत्नि के सम्बन्धों को मृदुल बनाने के लिए प्राण त्याग दिये। वह मर कर अवश्य स्वर्ग गयी होगी। अब आप पूछेंगे कि वह मेरी पासवान क्यों बनी। वह अपने पति को प्यार करती थी, खूब प्यार करती थी। उसके सुबह-शाम दर्शन करने के बाद भोजन करती। समाज ने पासवान का निर्माण किया, वह पासवान बन गयी। लेकिन वह सम्पूर्ण नारी थी, महान औरत। हम भूल जाते है, कभी-कभी सतीत्व और नारीत्व के अन्तर को। नारीत्व उसका अपना गुण था जो भगवान ने उसे दिया था, सतीत्व समाज द्वारा रचा हुआ एक चक्रव्यूह है, घेरा है, जिसमें हमने कई अबला नारियों को पशु की तरह ला बैठाया है।

रणवीर सिंह की आंखों में पानी भर आया—वकील साहब, समुद कंवर को खोकर मैंने अपनी माँ खो दी है। एक ऐसी नारी को खो दिया —जिसका दूसरा रूप देखने को नहीं मिलेगा।

मैंने उससे एक दिन पूछा— तुम अपने पति से प्यार करती हो?

हाँ।

कितना?

उसने सहज ही उत्तर दिया—जितना एक माँ अपने बच्चे को, पत्नि अपने पति को।

और मुझे?

आपको! आपको भी मैं उतना ही प्यार करती हूं। नारी का जीवन उत्सर्ग का जीवन है, त्याग का जीवन है, तपस्या का यज्ञ है और मेरा यह प्यार ही मुझे रानी साहिबा की सच्ची सेविका बनाता है। आपके पास सच्ची पासवान और अपने पति के पास अच्छी पत्नि। यह प्यार नहीं हो तो नारी न मां बनेगी और न पत्नि ही।

आज मुझे उसका कथन याद आ रहा है। वह मर गयी, मुझमें एक ज्योति जला कर, जिसकी रोशनी में मैं समुद्र कंवर की महानता देख रहा हूँ।

पूर्ण नारी

यह अपने ढंग का एक अजीब मुकदमा था। मन की व्यथा में आज तक उसकी दी गई वेदना घुली हुई है। कुछ घटनायें एकाध दिन में भुला दी जाती हैं। कुछ घटनायें समय के साथ याद आ जाती हैं। लेकिन यह घटना ऐसी थी जो मेरे मानस पटल पर अभी तक एक पीड़ा के रूप में उजागर है और मवाद बनकर अन्दर ही अन्दर घुल रही है। यों भाई का बिछोह चौबीस घंटे साथ नहीं रहता, लेकिन जब भी याद आ जाता है उसका अभाव बिजली सा कौंध जाता है। स्मृतियों के अंधेरे में भटक जाता हूं। इसी तरह 35 वर्ष पुरानी यह कहानी मेरे स्मृति पटल पर आज भी उतनी ही ताजी है जैसे आज घटित हो रही हो, और मैं स्वयं इतना व्यथित हो जाता हूं जैसे यह मेरी अपनी कहानी हो।

मेरा स्थाई मुव्वकिल एक लड़की को मेरे पास लेकर आया और कहा कि यह जो कहे उसका शपथनामा तैयार कर मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करा दूं।

मैंने कहा—बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। उसके मुंह पर घूंघट था और उपर ओढ़नी इतनी मोटी थी कि उसके चेहरे का कोई भाग दिखाई नहीं दे रहा था।

मैंने मुव्वकिल से, पूछा—इसका नाम क्या है?

वह हँसा और उसने उस लडकी से कहा—अपना नाम बताओ।

लडकी ने खांसा, गला साफ कर बोली—बेला।

मैंने प्रश्न किया—बेला बाई! आप कुछ कहना चाहती हो। अगर आपत्ति नहीं हो तो घूंघट खोल दो।

उसके शरीर का कम्पन, मैं कपड़ों के स्पन्दन में देख रहा था।

मेरा मुव्वकिल बोला—वकील साहब तुम्हारे पिता के समान हैं, सब साफ-साफ खुल कर कहो, मैं बाहर बैठता हूं—कहता हुआ वह चला गया।

उसने घूंघट हटा दिया। वह आंखे नीची किए हुए थी। इतनी सुन्दर औरत मैंने नहीं देखी। बिल्कुल गुलाबी रंग, उभरे गाल, लम्बी-लम्बी आंखें, पतले-पतले होठ। उसका निगाह नीची किये हुए बैठना, उसके सौंदर्य को और भी बढ़ा रहा था।

मैंने कहा—क्या कहना चाहती हो?

मैं औरत ठहरी। मै क्या कहूं, वही बात जो आप कहलाना चाहेंगे। वे कह गए कि हैं आप मां बाप है।

लेकिन मैं वह बात नहीं कहलाना चाहता, जो तुम न चाहो।

बेली ने आंखे ऊपर उठाई—सच्च-सच्च बात!

हां।

बेली रो पड़ी—वकील साहब! मैं गूजर हूं और नातायत कौम की हूं। मेरे खाविन्द हर रोज बदलते हैं। हमारे ब्याह मे पण्डित भले ही सात फेरे फिरा कर शंकर-पार्वती की कहानी कहता हो, जन्म जन्मान्तर के

सम्बन्धों की बात कहता हो, लेकिन वे कहानियां मेरे जीवन में कुछ वर्ष चली हैं। मेरा ब्याह हुआ, तब मैं दो वर्ष की थी, पति बारह वर्ष का था। हम छः बहिनों का ब्याह एक साथ हुआ। मुझसे छोटी बहन और थी जिसकी आयु नौ माह की थी। शादी होकर विदा हुई कि मेरे पति को सांप ने काट खाया, वह मर गया। खैर! न मुझे शादी की याद और न विधवा होने की। बारह वर्ष बीत गये। मेरा नाता मेरी उम्र से डेढ़े आदमी से हो गया। उसके पहिले से तीन औरतें थी। जो हो, इस तरह मेरा सातवां विवाह हो गया, और अब यह आठवां नातायत है।

अभी तुम्हारी उम्र क्या है?

मैं क्या जानूं साब! मेरे मां बाप जानें। हां, एक बात है, यह भी छठा नाता करेगा, तीन घर में हैं और दो मर गईं। कहता है, मैं बहुत अच्छी लगती हूं। हमारी जात का है, पैसे वाला है, बीप सामदे है, पचास भैंसे, सौ गायें और चार सौ भेडे हैं। मुझे कहता है कि वह मुझे पाटवी बनाकर रखेगा।

मैंने कहा—तो यह बयान सही है।

बेली ने चेहरा उठा कर कहा—वकील साहब, मेरे गांव में एक नायक का लडका है वह मुझे बहुत चाहता है। न मेरा बाप न मेरा पहलेवाला पति ही वह बर्दाश्त करेगा कि मैं उस नायक के घर जा बैठूं। न उसकी हालत है कि वह झगडे के रुपये चुका दे। वकील साहब, मैं उसके साथ रहना चाहती हूं। जातपांत का झगड़ा जातपांत निपटेगी। मुझे क्या लेना देना। वह लडका मेरे मन में बैठा है। बस आप कृपा करो तो उसे बुलाकर मुझे सुपुर्द करदो।

उसका नातायत बाहर बैठा अधूरी बात सुन रहा था। उसने आवाज दी—आप ने पूछ लिया हो तो मैं आ जाऊं।

मैंने कहा—ठहरो!

बेली रो पड़ी और मेरे पैर पकड़ कर बोली—हुजूर, माई बाप हैं। मैंने सुना है हुजूर दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। वकील साहब, आपने किसी को प्यार किया है ?

मैं चौंका—क्यों ?

कुछ नहीं साब ! यों ही पूछ लिया। बस मैं जिसे प्यार कर रही हूं उसमें समा गयी हूं, मैं और वे एक हो गये हैं। अलग कौन करेगा। आप ऐसी मदद दें कि हमें कोई अलग नहीं करे। वह मेरी छाती पर बैठा है। साब ! वह मेरे साथ चलता है, रात दिन मेरे साथ रहता है। बस साब, मुझे उससे अलग मत करिए।

मैंने कहा—भला मैं क्यों अलग करुंगा ?

मेरा नातायत पांच हजार रु० लाया है और कहता है कि मुझे देगा और मैं उसे उसको न्यायालय से दिलाऊंगा।

वह मेरे चरणों में पड़ी थी और मेरे पैर उसके आंसुओं से भीग रहे थे।

मैंने कहा बेली ! मैं ऐसे रुपये पर लात मारता हूं। तुम्हारा बयान मैं नहीं कराऊंगा और न अदालत से तुमको इसके सुपुर्द होने दूंगा। एक बात और ! मैं तुमको कानूनन नायक को नहीं सुपुर्द करा सकता, तुम खुशी से जाना चाहो तो बात अलग है।

मैंने हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा, लेकिन साहस नहीं कर सका। बस जबान से कहा—उठो मैं उसे कहता हूं कि कल इतवार है, परसों आना तब बयान करा दूंगा। उस लडके का नाम क्या है, मैं उसे बुला लेता हूं, फिर तुम जाना चाहो तुम्हारी मर्जी।

लडके का नाम उसने रामा रामदेव बताया।

मैंने कहा का नाम ?

उसने कहा—मैं नहीं जानती।

कौन से गांव का ?

बतनपुरा का।

अच्छा।

मैंने उसके नातायत को बुलाया। आज अदालत बंद हो रही है, कल ईतवार की छुट्टी है, परसों बयान करा देंगे।

उसने पूछा—फीस ?

परसों लेंगे।

तीसरे दिन मैंने रामदेव नायक को बुला लिया। नातायत को अदालत जाने को कहा। बेली से कहा वह जाना चाहे तो उसकी मर्जी।

वह रामदेव के साथ चली गई। घंटे भर बाद खबर सुनी कि दोनों को पकड़ लिया गया। नायक को पत्थर से मार दिया और प्राणान्त कर दिया और पुलिस बेली को लेकर अदालत में बयान कराने आयी।

मैं अदालत में बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा और बोली—साब! और भरी अदालत में गले में साड़ी का फंदा डालकर खींच लिया और निष्प्राण गिर पड़ी। उसकी आंखें तर थीं।

न्यायालय ने पूछा—आप जानते है ?

मैं मौन रहा।

सायंकाल घर पहुँचा तो पत्नि ने कहा—बेली नीच जात के लड़के के साथ भागती हुई पकड़ी गयी थी।

मैंने कहा—हाँ।

किसने छुडाया ?

नातायत ने। फिर बेली अदालत में फांसी खाकर मर गयी क्योंकि नीच जात वाला मर गया था।

पत्नि ने कहा—शादी होती तो सती होती, अब लोग कहेंगे छिनाल।

और आप क्या कहेंगी ?

पूर्ण नारी ! सम्पूर्ण औरत !!

सतीत्व

सती का अर्थ है जीवन में केवल एक पुरुष को पुरुष समझना । दूसरे पुरुष के किसी गुण को देखने का प्रयत्न नहीं किया जा सकता और सहज ही कभी दूसरे पुरुष की तरफ भाव नहीं जागे, ऐसे पति की पत्नि को सती कहते हैं । पुरुष की बहुत बडी कामना होती है कि उसे ऐसी पत्नि मिले जो सती हो और ऐसी सती नारी यह कामना करती है कि उसका पति भी किसी अन्य नारी को नारी न समझे, वह सम्पूर्ण रूप से अपनी ही पत्नि में समाहित हो ।

इस नैतिकता का उदय हुआ पुरुष प्रधान समाज के कारण, जहाँ सन्तान का नाम पुरुष पति के नाम से चलता है । विश्व में सब जगह पुरुष प्रधान समाज है लेकिन सतीत्व की परिसीमा केवल भारतवर्ष में ही रही । अन्य देशों में नहीं ।

हिन्दुओं के उच्च वर्ण में विधवा विवाह प्रचलित नहीं है । इस देश में विधवा विवाह है फिर भी विवाह डोली में जब स्त्री जाती है तब उससे यह

आशा की जाती है कि वह डोली में इस घर में आई और जनाजे में ही घर से निकले।

मेरे पास वकालत के प्रारम्भ में एक ऐसा मुकदमा आया था जो इस नैतिकता का पारदर्शी स्वरूप प्रस्तुत करता था । वादी ने वाद किया था स्त्री सम्बन्धों की स्थापना का, अर्थात् पति पत्नि के सम्बन्ध बनाए रखने का। पुरुष द्वितीय विश्व युद्ध में एक हाथ आंख खो चुका था । वह जाति का गोस्वामी था। उसकी पत्नि मुसलमान थी । उसने निकाह किया और अपने घर लाकर सप्तपदी करली। जाति वालों ने इस स्वीकार नहीं किया। मुसलमानों में उसकी इज्जत चली गयी, तब एक दिन वह ससुराल से दुखी होकर चली गयी । उसके भाई ने उसे शरण दी। लडके की उम्र सत्ताइस वर्ष थी और लडकी की उम्र बीस वर्ष की रही होगी ।

जवाबदावे की प्रथम पेशी पर वह नहीं आई। न्यायालय ने एकतरफ लगाना उचित नहीं समझा । एक पेशी और दी। दूसरी पेशी पर स्त्री आ गई। उसका नाम सकीना था और हिन्दू नाम सोजीबाई। उसने जवाबदावा पेश नहीं किया। अदालत उदार दिल की थी और ऐसे मामलों को बीच बचाव कर निपटाना चाहती थी । उसने शकीना से पूछा कि क्या बात है। शकीना रो पडी थी—हुजूर ! मेरा निकाह वादी के साथ हुआ है। मैं लगभग एक वर्ष उसके साथ रही थी। मेरा ममेरा लड़का मुझसे मिलने आता था। वह इनको पसन्द नहीं था। इनका कहना था कि मुसलमानो मे मामे के लडके के साथ विवाह हो जाता है। तुम उसे प्यार करती हो। मैंने उसे सपने में भी प्यार नही किया। अलबत्ता यह सही है कि मैंने उसे सदैव भाई माना था। सगे भाई सा। मेरी मां मर गयी थी और मेरी मामी ने मुझे पाला पोसा था। मैं उस समय एक वर्ष की थी और मेरा भाई डेढ वर्ष का। मामी का एक बोबे का दूध मैं पीती और एक मेरा भाई । जाति मे चाहे मामे के लडके के साथ ब्याह हो वह तो मेरा सहोदर ही तो था। बस मैं मामी के पेट से नहीं जन्मी अन्यथा मामी का दूध मेरे और भाई के शरीर

मे है। मैंने इसे बहुत समझाया। यह गलत है कि जात वाले मुझसे नफरत करते थे। इसलिए मैं चली गयी। इनको पुछिये हुजूर यह दावा क्यों किया ? मैं अगर खोटी हूं तो इनके घर आकर खरी नहीं हो जाऊंगी।

अदालत ने मेरे मुव्वकिल से कहा—वह औरत को रखना चाहता है ?

मेरा मुव्वकिल गम्भीर हुआ—हुजूर ! लडाई में हाथ और आंखे खो दी। न मेरे भाई, न भोजाई। मैंने इससे कभी भी नफरत नहीं की और न शका ही। अलबत्ता इसका ममेरा भाई आता था। उससे मैं दुखी था। क्यों ? नही जानता। मन में कहीं न कहीं यह कांटा था कि वह शकीना को प्यार करता था। लोगों में यही चर्चा थी।

शकीना ने घूंघट खोल दिया—और अब ?

वादी बोला—अपना घर सम्भाल।

शकीना—हुजूर ! सपने में भी पराये पुरुष को नहीं चाहा। मेरे गांव के ठाकुर का लड़का मुझे चाहता था। कई बार वह कहला भेजा कि एक गांव मेरे नाम कर देगा। लेकिन मैं दोनों धर्मों को मानता हूं और अपने पति को परमेश्वर समझती हूं, इस जन्म में मेरे ये पति हैं और आयन्दा जन्मों में भी ये पति रहेंगे।

वादी तरल हुआ—अरे भली मानस ! फिर घर छोड़कर क्यों गयी ?

अपने मन को पूछिए। मैं दो वर्ष से पीहर में हूं। मेरा भाई ब्याह कर चुका। हम गरीब ठहरे। मैंने आज तक ऊंची आंख कर किसी पुरुष को नहीं देखा। ठाकुर का लडका कई बार आया कि तुझे तेरे पति ने छोड़ दिया, अब क्या डर है ? मैंने एक ही जवाब दिया कि खोटे हैं, खरे हैं, वे मेरे पति हैं।

न्यायालय ने मुझसे कहा कि—मैं दोनों को बाहर ले जाकर समझा दूं।

मैं बाहर गया तो मेरा मुव्वकिल वस्तुतः रो पड़ा—मैंने तुममें कभी खोट नहीं देखा और न तुम्हारे भाई पर शंका की लेकिन लोग कहते हैं

तो मैं क्या करूं ? मैने तुम्हें हमेशा यह कहा कि लोग ऐसा कहते हैं।

लोगों का कहना तुम्हारे मन में था। इसी कारण तुम मुझे कहते थे।

अब कभी नही कहूँगा । मुझे तुम पर नाज है।

शकीना ने मुंह फेर लिया, फिर बोली—वकील साहब, आप इन्हें समझा दीजिए कि सीता माँ ही सती नहीं है दुनिया में कई औरतें सती हैं जिन्होंने जिन्दगी में कभी किसी पराये पुरुष को सपने में भी नहीं चाहा।

मेरे मुवक्किल ने कहा—दावा उठा लीजिए। घर आये तो पत्नि ने शकीना से पूछा कि साथ रहते है तो बर्तन टकराते हैं, तुम्हें जाना नही चाहिए । तुम्हारा खाविन्द रोज मेरे पास आकर रोता था।

शकीन ने बड़े अदब से कहा—भाभी साहबा ! मैं हिन्दू हूं वे मुसलमान। इस देश में आकर सस्कार हो गए। कायमखानी, मेव और कादयानी कितने मुसलमान हैं. जिनमें सारे हिन्दू रिवाज चले आ रहे हैं। उन्होंने केवल धर्म बदलाए हैं मैंने न धर्म बदला न नाम—गरीब आदमी ठहरे। सीता मां मुझे बहुत ऊंची लगती है ऐसी मैया को मैं अपने मन में बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा कर चलती हूं । उनकी कहानी सुनकर कभी किसी पुरुष को देखा तक नहीं। आप इनको समझा दीजिए कि ये अब किसी के कहने से मुझे घर से नहीं निकालें। सीता माता को जंगल में भेजने वाले भगवान राम थे। न ये राम हैं और न मैं सीता लेकिन सीता माता का रास्ता मेरा रास्ता है।

निर्मला जी ने बादी को कहा कि शंका न करें। उसने दोनो हाथ जोड़े। दोनो साथ-साथ रवाना हुऐ।

पत्नि ने उनको आशीर्वाद दिया ।

मेरी बैठक की सामने की सड़क पर शकीना और उसका खाविन्द चले आ रहे थे। संध्या उतर आई थी, सूर्यास्त हो रहा था । सूर्य की

लालिमा पृष्ठभूमी पर दो प्राणी एक पुरुष और एक नारी, पति और पत्नि चले जा रहे थे।

पत्नि और हम दोनों उनको देख रहे थे। पत्नि ने मुझे कहा—हाँ, आज आपने एक कमाल का काम किया कि एक घर को उजड़ने से बचाया। पति पत्नि को मिला दिया। आपने पति को मारने वाली औरत को बरी कराया। पत्नि को जहर देने वाले पुरुष को छुड़ाया। तब मैं सोचती थी कि आप अन्याय दे रहे हैं आज सबसे बड़े न्याय की प्रतिष्ठा की है कि सीता जैसी को अपने पति से मिला दिया। जो काम वाल्मिकी एव तुलसी नहीं कर सके, वह अपाने कर दिया। सुनहरी रोशनी मे वे पदचिन्ह छोड़ते चले जा रहे थे।

— ——— —

अविश्वास

मैं पति का वकील था। अभियोग यह था कि उसने अपनी पत्नि की हत्या की है। तथ्य इस प्रकार बताये जाते हैं कि उसने अपनी पत्नि के गले पर छुरी चलाकर उसे मार डाला। घर में पति पत्नि के अतिरिक्त और कोई नहीं था। पति की आयु पैंतीस वर्ष और पत्नि की आयु अठारह वर्ष थी। प्रथम सूचना दो व्यक्तियों द्वारा दी गई थी, एक पड़ौसी रामधन द्वारा और दूसरी स्वयं पति द्वारा। रामधन की सूचना इस प्रकार थी - मैं रात्रि को सिनेमा देखकर घर लौटा तो मुझे मृतक राधा के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और अपराधी पति मोहनराज उसे गालियां दे रहा था। फिर चिल्लाने की आवाज बंद हो गयी तो मोहनराज की अंतिम आवाज आई—किये का फल भोग! भावी जीवन में किया तो . . . .आगे आवाज नहीं आई। यह सूचना पांच बजे प्रातः दी गई और मोहनराज ने छः बजे सूचना दी कि रात को खुशी-खुशी वे सोये। सुबह उठा तो राधा को खून में पड़े देखा, हाथ लगाया तो पाया कि वह मर चुकी थी. उसकी गर्दन कटी हुई थी

पडौसी रामधन द्वारा दी गई सूचना का आधार नहीं मिला। पुलिस ने कुछ साक्षी प्रस्तुत की थी कि रामधन मोहन की अनुपस्थिति में राधा के पास आता था और घटों बैठा रहता था। जिस दिन मोहन बाहर जाता, वह राधा के पास ही रहता था। पडौस की औरतों ने मोहन को कई बार कहा कि रामधन की अनुपस्थिति में आना जाना उचित नहीं है। कई बार मोहन ने रामधन को घर आने से टोका था। कई बार वह राधा से लड़ा है। घटना के दिन जब राधा चिल्लाई तब रामधन मकान पर गया था। मोहन और रामधन के बीच बोलचाल हुई थी। दिसम्बर का महीना था, सब अपने-अपने घर में सो रहे थे। उपरोक्त साक्षी ने जो कहा, वह बाहर खड़ा-खड़ा देख रहा था। इसी तरह की साक्षी के आधार पर मोहन पर कत्ल का अपराध लगाया गया था।

मैंने मोहन से बातचीत की तो लगा कि यह सारी कहानी गलत है, वह राधा को बहुत प्यार करता था। उसके चरित्र पर किसी तरह की शंका नहीं थी और मेरे सीधे प्रश्न के उत्तर में वह जोर से रो पड़ा। आंसू उमड पडे, हिचकियाँ बंध गई। उससे कोई जवाब देते नहीं बना। जब मैंने ढाढस बंधाया तो रुका, मुंह धोया, पोंछा और फिर कहने लगा- वकील साहब, मैं और राधा एक ही फल के दो फांक थे। मैं प्राणों से उसे चाहता था और वह मुझे। इसके साथ वह फिर रो पड़ा। मेरी ढाढस के बाद भी वह रोता रहा, मुझे लगा कि वह अपनी पत्नि के बिछोह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है।

दूसरे दिन बोला---मैं उसके साथ ही जल जाता लेकिन लोगों की कानाफूसी से वैसा नहीं कर सका। पडौसी रामधन बदजात और बेईमान है।

मैंने इसी बीच फिर प्रश्न किया---रामधन तुम्हारे यहां आता था?

जी हां, आता था। मेरा मित्र है, मैंने कभी उस पर अविश्वास नही किया। पडौसियों के अविश्वास से क्या होता जाता था। मुझे राधा पर नाज था, उसके सतीत्व पर अभिमान था। वकील साहब, ऐसी

नेक सज्जन औरत आपको दूसरी नहीं मिलेगी। वह फिर रो पड़ा। थोड़ी देर बाद फिर बोला—वकील साहब, सुबह उठती तो मेरे दर्शन करती, आंखें बंद किये रहती, खोलती तो केवल मेरे दर्शन के लिए कहती थी। जिस दिन सबसे पहले मैं नजर नहीं आता, उसका दिन अच्छा नहीं निकलता था। सुबह मेरे ढोक देती। रात को सोते वक्त मेरे पैर दबाती। जिस दिन मैं भोजन नहीं करता, वह उपवास करती। फिर वह रो पड़ा और बहुत देर तक रोता रहा।

मैंने कहा—अब सब भूलना होगा। बस एक बात बताओ, मेरे लिए वही जरूरी है कि क्या तुमने उसको मारा है?

मोहन दहाड़ मारकर रो पड़ा फिर जल्दी ही आंखें पोंछ कर बोला—मैं अपने आपको मारता। वह मेरी आत्मा थी और मैं उसका शरीर, पड़ौसी बेईमान हैं।

मैंने कहा—पड़ौसिनों ने तुम से रामधन के सम्बन्ध में कभी शिकायत की थी।

हां, की थी। करती रहें क्या फर्क पड़ता है? मै उसे प्यार करता था और वह मुझे। मैं इतना कमजोर नहीं था कि मेरी अनुपस्थिति में वह घर आये तो मेरी पत्नि के लिए। मैंने कई बार रामधन ही नहीं अन्य मित्रों के साथ उसे बम्बई, पूना, मद्रास घूमने भेजा है—और वह मौन हो गया।

रामधन द्वारा दी गई सूचना का मेरे मन और बुद्धि पर असर था लेकिन फिर भी मैंने मोहन को सच्चा मानकर सफाई की वकालत की। यह सब बातें पूछ इसलिए रहा था कि मैं रामधन को जिरह में झूठा सिद्ध कर दूं क्योंकि वही एक ऐसा गवाह था जो उसी मकान के दूसरे हिस्से में रहता था और जिसके द्वारा दी गई सूचना को अर्थहीन मानना कठिन था।

रामधन से जिरह कर रहा था, केवल उसकी अतिशयोक्तियों को सामने लाने के लिए कि वह जोश में उबल पड़ा—वकील साहब, आज राधा

नहीं है और मैं उस पर किसी तरह का लांछन लगाकर अपमानित नहीं करना चाहता, लेकिन राधा मोहन की पत्नि थी और मेरी बहन और कह दूं कि मैं उसे प्यार करता था। उसके शरीर को पाना चाहा लेकिन उसने कभी हाथ नहीं लगाने दिया। वह सती थी और मोहन ने उसे चरित्रहीन मानकर मारा है। हम एक ही घर में रहते है। मैं दूसरे दिन अपनी बहन के कहने से घर छोड़ रहा था, बस यही सूचना मैं देने आया था। मोहन ने मुझे उससे बात करते देख लिया और उसे मार दिया। मेरा उससे किसी तरह का शारीरिक संबंध नहीं था। सच यह है कि मैं उससे वह सब चाहता था जो एक पति चाहता है। लेकिन उसने कभी हाथ लगाने नहीं दिया। घटना के एक दिन पूर्व मैंने अपना हाथ उसके गाल पर लगाना चाहा वह चिढ़ पड़ी - पापी मैं दूर हट गया। उसके बाद वह रो पड़ी बोली सात फेरों ने मेरा शरीर बेच दिया। माफ करना, इस जन्म में तुम्हें वह सब नहीं मिलेगा जो चाहते हो भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में हम पति पत्नि बनें।

मैं राधा की पूजा करता था। मोहन ने चरित्रहीन पत्नि खो दी और मैंने प्रेमिका।

मैंने न्यायालय से निवेदन किया कि यह सब वह अपने आप कह रहा है, उसे निकाल दिया जाए या यह लिख दिया जाए कि वह अपने आप बोला।

मैंने आगे जिरह नहीं की।

इसी एक साक्षी पर मोहन को फांसी हो गयी। फांसी की सजा को न्यायोचित कराने के लिए हाईकोर्ट में जब मोहन को ले जाया जा रहा था तब उसने मुझे बुलाकर कहा—वकील साहब ! अब झूठ बोलने से भी क्या फायदा ? राधा को मैंने ही मारा है। मैंने रामधन के साथ उसके किसी व्यवहार को अभद्र रूप में नही देखा। बस वह आता था। यह मुझे बर्दाश्त नहीं था। साला कमजोर भाग निकला नहीं तो उस दिन उसको भी मार देता। पहले उसको मारना चाहा लेकिन डरपोक भाग गया बहुत बहादुर

बनता था और अदालत में बहक गया क्या करता। मैं कटघरे में था इच्छा हुई कि इसका गला दबा दूं ताकि बोल न सके। मुझे कत्ल का जनून चढ़ आया था। मुमकिन है गमघन गही हो। क्या हर पति अपनी पत्नि को अन्य से बात करते भी नहीं देख सकता। वह कौनसी पवित्रता थी जो मैं चाहता था। आप कोशिश यह करें कि फांसी की सजा बनी रहे ताकि जो दंश मुझे चुभ रहे हैं उनसे मुझे मुक्ति मिल जाये।

मैं भालों की नोकों पर हूं—नीचे ऊपर, दाए, बाए। वह पवित्र हो सकती है लेकिन मैं पवित्र कभी नहीं था। उसके रहते कितनी औरतो के यहां मैं जाता था, कोठों पर, गलियों में।

वकील साहब ! अब मेरे आंसू अन्दर ही अन्दर सूख गये हैं। मैं राधा के लिए कभी नहीं रोया। अपने लिए रोया था और सदैव स्वांग किया था राधा का। मुझे नहीं मालूम पति पत्नि का सम्बन्ध इतना ढीला है। इतना कमजोर कि वह पराये पुरूष से मात्र बात करने में टूट जाये जबकि सप्तपदी में सात जन्मों को बांधते हैं। पार्वती मां और सीता मैया की कहानी बेकार हो जाती है। भगवान राम को क्या कहूं, मैं साधारण सा मनुष्य हूं।

मैं मौन सारी बात सुनता रहा। क्या जवाब देता। दुखी मन जेल से घर लौटा।

पत्नि ने पूछा—अदालत बंद हुए बहुत देर हो गयी, कहां रह गये ?

राधा के पति से जेल में मिलने गया था। पहले राधा के लिए आंसू बहा रहा था। अब वैराग्य आ गया। आज स्वीकार कर लिया कि कत्ल उसने ही किया था।

मैं पहले न कहती थी कि पुरुष बड़ा शक्की होता है। आप मोहन का विश्वास करते थे।

पत्नि का पराये पुरुष से बात करना पति को बर्दाश्त नहीं होता। चाहे वह नफरत करने की बात हो। समाज को नहीं बदलेंगे तब तक ये कत्ल होते रहेंगे। पुरुष सदा चाहता है, शरीर की पवित्रता। और आगे छोडिये यह रोज की कहानी है, संस्कृति नही बदलेगी तब तक यह चलता रहेगा।

अन्याय

आज से लगभग पच्चीस वर्ष पूर्व एक ब्राह्मण युवा शिक्षक को भंगी बस्ती में पढाई के लिए सामुदायिक विकास विभाग ने रखा।

लगभग दो माह बाद हरिजन मंत्री दौरे पर पधारे। शाला की तरफ से उनका स्वागत किया गया। शिक्षक स्वयं कवि था और गायक भी। उसने बच्चियों को स्वागत गीत तैयार करवाया। सुरीले, मधुर कण्ठों से गाया गया स्वागत गीत मंत्री को ही नहीं स्वयं शिक्षक महोदय को भी मोहित कर गया।

धन्ना भंगी की लडकी रामुडी सुहावनी, आकर्षक और सुन्दर थी। आयु लगभग तेरह वर्ष की होगी। उसका विवाह हो चुका था। शिक्षक रामानन्द लडकी पर आकर्षित हो गया। उसके बाप को कहकर उसे गीत का पाठ पढाने लगा। इस बहाने रोजाना दो-तीन घंटे साथ रहने का अवसर मिलता। धीरे-धीरे वे आपस में खिंचते चले गए। एक दिन आर्य समाज मंदिर जाकर विवाह कर लिया। आर्य समाज पण्डित को यह

बताया गया कि वह अविवाहित है और वयस्क है । बाप ने ही नहीं श्वसुर ने भी अवयस्क लड़की के साथ विवाह करने का अपराध लगाया ।

स्कूल बंद हो गया । कोई बालक पढ़ने नहीं आता था । एक दिन भंगियों ने मिलकर मास्टर को इतना पीटा कि उसकी हड्डी पसली एक हो गयी । सिर के चार टांके आए । दो पसलियां टूट गयीं ।

इस मुकदमे में लड़की के बाप धन्ना, उसके श्वसुर रामा, उसके पति हीरा और तीन अन्य रिश्तेदारों पर धारा 307 का अपराध लगाया गया था। लड़की को जाते वक्त वे अपने साथ लेते गये ।

औरत का क्या भरोसा ? सच और झूठ से उसका कोई वास्ता नहीं। वह वही बयान देगी जो उसे कहा जाएगा ।

मैं एक अन्य मुकदमे के अतिरिक्त इस मुकदमे में पैरवी का वकील बना, अन्यथा मैं सदैव अभियुक्त की तरफ से रहता था । मैंने रामानन्द से पूछा कि लड़की क्या बयान देगी, तो उसने बड़े हौसले से उत्तर दिया—जो सच है, वही कहेगी ।

मैंने कहा औरत का सच उसके खाविन्द या मां-बाप का सच है । जिसके साथ रहती है, उसी के हक में बयान देती है, मैं सहस्त्रों मुकदमों में आजमा चुका हूं ।

रामानन्द हँसा—आप ठीक कहते हैं लेकिन रामुडी पर मेरा अनन्त भरोसा है । मैंने उसको पूरी तरह प्यार किया है । मन,वचन और काया से । मेरा प्यार इतना गहरा है कि उसे झूठ नहीं बोलने देगा ।

मैं हँसा—फिर भी बोल गयी तो ?

बोल जाये, उसमें मेरे प्यार का क्या लेना देना । वह अमर है, अटूट है । इन छोटी बातों से टूटता नहीं है ।

अच्छा ! देखें,तुम कहां तक सही हो ।

आखिर रामुडी बयान के लिए न्यायालय में आई । उसने दोनों हाथ जोडकर मुझे नमस्कार किया । गर्दन हिलाकर मास्टर को प्रणाम किया । बयान प्रारम्भ हुआ । अपना नाम बताया, पति का नाम पूछा तो उसने हाथ से इशारा कर कहा—ये मेरे पति हैं ।

पैरवी की तरफ पेरोकार पुलिस था । मैं साथ में बैठा था । सफाई पक्ष का वकील झुंझलाया । उसने रामुडी को आंखों से इशारा किया तो रामुडी ने कहा—वकील साहब, मेरा इनसे ब्याह हुआ, इसको कैसे इन्कार करुं ।

इसके बाद का प्रश्न था—तुम कहां रहती थीं ?

उसने स्पष्ट उत्तर दिया—इनके साथ ।

फिर क्या हुआ ?

मेरे मां बाप, ससुर यह बर्दाश्त नहीं करते थे ।

सफाई के वकील को संतोष हुआ । उसने टोक कर पूछा —ससुर कौन है ?

उसने इशारे से बताया कि इनके लड़के के साथ पहले मेरा विवाह हुआ था ।

फिर दुबारा ब्याह ?

हमारे छोड़ छुट्टी हो गयी और जात के झगडे में रुपये चुक गये ।

किसने दिऐ ?

मास्टर साब ने दिये ।

फिर तुम कहां रहती थीं ? अपने बाप के यहां ?

रामुडी ने उत्तर दिया —नहीं साहब, मैं मास्टर साहब के साथ रहती थी ।

ये ब्राह्मण हैं, तुम भंगी हो ?

और रामुडी की बड़ी-बड़ी आंखों में उमड़ता आंसू प्रवाह भर गया। हां साहब, ये ब्राह्मण थे। इन्होंने ब्राह्मण धर्म छोड़ दिया और भंगी बन गये और मैं ब्राह्मण बन गयी। दुनिया मे इतना बड़प्पन कहां होता है वकील साहब। आप मुझे छुओगे तक नहीं और इन्होंने मुझे अपनी पत्नि बनाया।

सब झगड़ा निपट गया लेकिन जात वाले नहीं मानें। उनकी क्या इज्जत थी जो चली गयी ? उनका क्या रुतबा था जो खत्म हो गया ? एक पंचायत हुई और सबने मिलकर मास्टर साहब को मार डालना चाहा। मैं भागी और इनको खबर दी कि वे गांव छोड़ कर चले जायें, लेकिन मास्टर साहब नही माने। मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे और थोडी देर में सब आ पहुचे। मास्टर को लकड़ियों, कुल्हाड़ियों, छुरियों से मारा, राम ने बचा लिया नहीं तो इनकी इतनी मार थी कि ये बच कैसे गये ? कटघरे में खडे अभि-युक्तगण दांत पीस रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वे इसको भी मार देंगे। बयान समाप्त हुआ और रामुडी मास्टर साहब के पास चली गई। चलिए अब इस गांव में रहने से कोई मतलब नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। कहीं न कहीं दो जून पेट भरने को मिलेगा ही।

मास्टर गद्‌गद् था ।

मैं रामुडी के साहस पर विभोर था—भंगी की लडकी में इतना नैतिक साहस, जो विरलों में ही होगा।

बुझदिल

बुझदिल वह है जिसका दिल बुझ गया हो, जिसका चिराग गुल हो गया हो और मन के अन्तरालों में अंधेरा ही अंधेरा भर गया हो। उसके आंखें होती हैं, वह दिन के प्रकाश में और रात्रि के अंधेरे में देख सकता है लेकिन मन के पर्दे में अंधेरा ही अंधेरा भरा रहता है और वह दिन रात इसी अंधेरे में भटकता रहता है।

एक ऐसे ही मुव्वकिल से मेरा पाला पड़ा जो अन्तर्मन में अंधेरा समेटे बाहर फैले प्रकाश के गीत गाता था।

हर समय वह बहाने बनाता रहता। अपने प्रभावों के लिए किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराता। अन्दर फैले अंधेरे को बाहर की चकाचौंध बताता। आप बहुत तेज प्रकाश को नहीं देख सकते। आंखों में अंधेरा भर जाता है। वस्तुत वह अंधेरा मन के अन्तरालों मे भरा होता है।

घटना के तथ्य बहुत साधारण थे। उस पर एक महिला पर आंख मारने का अपराध था ऐसा छोटा मुकदमा लेने की मेरी इच्छा नहीं थी

फिर एक महिला, संभ्रान्त महिला, यह अभियोग लगाये और अभियुक्त मात्र इन्कार करे तो उस महिला के कथन को माना जायेगा और अभियुक्त को दण्ड भोगना पड़ेगा। लेकिन मेरे एक निकटस्थ मित्र ने उसको मेरे पास भेजा था और आग्रह किया कि मैं उस मुकदमे को अवश्य लूं। बाकी सब बात वह तय कर लेगा। तथ्यों पर भी वही प्रकाश डालेगा। मुझे अभियुक्त के कथन को सच मानकर मुकदमा ले लेना चाहिए।

खैर! मुव्वकिल की सच्चाई को मानते हुए मैंने मुकदमा ले लिया।

दूसरे दिन पेशी थी। मेरा मित्र नहीं आ सका तो मैंने मुव्वकिल से पूछा—आज अभियोगी का बयान होगा, आप कुछ कहना चाहेंगे, मैं उससे क्या जिरह करूं?

मुव्वकिल ग्रेज्युएट था। कहते हैं आई० ए० एस० की लिखित परीक्षा मे पास हो गया लेकिन जबानी परीक्षा में वह नहीं जा सका। विदेशी सेवा मे भी वह प्रथम आया लेकिन उसने नौकरी नहीं की। यह बता दूं कि मैंने आई० ए० एस० एवं आई० एफ० एस० का नाम इसलिए लिया कि उस व्यक्ति का पूरा परिचय नहीं देना चाहता, अन्यथा सत्य है कि वह निजी व्यवसाय में इतनी बड़ी नौकरी में जगह पा चुका था, लेकिन नौकरी नहीं कर पाया।

पेशी के दिन उसे मेरे मित्र के घर पर जाना था। वह आधे रास्ते से ही लौट आया कि शायद वह न मिले।

मुव्वकिल ने बस एक ही बात कही कि उसने कभी किसी महिला के के सामने आंख नहीं दबाई और यदि ऐसा कानून है कि जिससे महिला को किसी का आंख दबाना बुरा मालूम हो तो उसे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। महिला का नाम दमयन्ती ठाकुर था। वह पढ़ी लिखी महिला थी। न्यायालय में पहुंचा तो सामने दमयन्ती जी खड़ी मिलीं। मैं उनको जानता था। वे कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में मुझसे मिल चुकी हैं

मैं उनके पास गया और बोला—आपने यह दावा किया है। मेरे मित्र के कारण मुझे आपके विरुद्ध लेना पड़ा है, आप क्षमा करेंगी।

दमयन्ती ने मेरी तरफ झांका भी नहीं। उसने मुंह और फेर लिया। मेरा व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा और शीघ्र ही वह वहाँ से हट गई।

मुझे भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। मैं भी दूसरी तरफ चला गया।

आवाज हुई। वह कटघरे में जाकर खड़ी हो गई। मैं सामने अभिमान से खड़ा हो गया। उसकी तरफ मैंने देखा तक नहीं। उसका बयान प्रारम्भ हुआ तो वह कई अनर्गल बातें बोल गई, जिनसे मुकदमें का कोई सम्बन्ध नहीं था। मैंने बीच में बोलना चाहा, लेकिन दमयन्ती के प्रारम्भिक व्यवहार के कारण मौन रहा। वह उटपटांग बोलती जा रही थी, बेसिरपैर की की बातें जिनका अभियोग पत्र में कहीं वर्णन नहीं है। मैं थक गया तो मैंने आपत्ति की।

दयमन्ती ने रोष भरी दृष्टि से मेरी तरफ देखा—बयान मेरा हो रहा है, आपका नहीं।

मुंसिफ मजिस्ट्रेट युवा थे। बयान के तर्ज को देखकर वे स्वयं आपत्ति करना चाहते थे लेकिन उन्होंने मुझपर छोड दिया। मेरे आपत्ति करने पर उनको कुछ कहना चाहिए, उसके स्थान पर गवाह के जवाब पर वे हंस पडे और टालते हुए बोले— चलने दिजिये! कब तक चलेगा यह।

मैं फिर मौन हो गया।

दमयन्ति कह रही थी मैं घर से निकली, राज मर्ग पर आई, अकेली थी। दुकानों पर लोगों की भीड़ थी। वस, कार, तांगे, रिक्शे आदि आ जा रहे थे। आकाश में हवाईजहाज उड़ने की आवाज आ रही थी। एक दुर्घटना हो गयी। एक कार के नीचे एक लडकी दब गई खून बह निकला और वह वहीं मर गई मैं उधर नहीं गयी जहां थी वहीं खड़ी रही दो

औरतें भागकर उधर गयीं, जैसे मरने वाली लड़की उनकी बच्ची हो। उनके चेहरे पर हवाईयां उड रही थीं लेकिन वह उनका भ्रम मात्र था। वे लडकी की शक्ल देखकर लौट आईं। मैंने उनको डांटा—शर्म नहीं आई।

उन्होने कहा—हमें ख्याल आया कि कहीं वह हमारी सम्बन्धी तो नहीं है

मैंने कहा—न भी हो तो एक बच्ची तो थी ही। नारी हो, इतनी दया भी नहीं है तुम में।

जी हां, नहीं है। दुनिया में ही क्यों, इसी शहर में सैकडों दुर्घटनाएं होती हैं। कई मरते हैं। किस-किस को बचायें। उन औरतों ने मुझसे अधिक बात करने के लिए रुचि नहीं दिखाई। वे चली गईं, तो मैं रपट करवा आई, उस लडकी को उठाया और एक तरफ रखा। इतने में पुलिस आ गयी और लडकी की लाश को अपने कब्जे में ले लिया और मुझसे डांट कर कहा—तुमने इस लडकी को इस तरह सडक पर क्यों छोडा ?

मैं बौखला गयी —मेरा लडकी से कोई वास्ता नहीं।

पुलिस वाला बोला— तो फिर रपट लिखवाने क्यों गईं ?

मैंने कहा—क्योंकि मैं औरत हूं।

तुम झूठ बोल रही हो।

मैंने कहा—मैं क्यों झूठ बोलूंगी। कभी नहीं बोलूंगी। जो सच है, वही तो कहा है।

पुलिस ने डांट कर कहा—आजकल की औरतें बड़ी निर्दयी हो गयी हैं। उनको सन्तान से कोई मतलब नहीं।

मैं थक गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वर्तमान मुकदमा किसी दुर्घटना का था या एक पुरुष के विरुद्ध नारी का यह अभियोग कि उसने उसकी तरफ आंख दबाकर अपमान किया है इसलिए मैं झुंझला कर

बोला --न्यायालय को अनर्थ प्रलाप को रोकना चाहिए। अभियोग पत्र में ये सब बातें कहीं भी नहीं हैं।

मुंसिफ मजिस्ट्रेट हंसते रहे। बयान अहलकार लिख रहा था। उनके सामने एक खूबसूरत महिला थी जिस पर उनकी नजर गड़ी थी। मेरे कई मुकदमें दूसरे न्यायालयों में चल रहे थे, उन मुकदमों के अभियुक्त मेरे पास आने लगे थे।

मैं क्या करता।

इतने में दमयन्ती ने ही उत्तर दिया --वकील साहब ! घबराइये नहीं। आपको इस तरह टोकने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जल्दी ही इस विषय पर आती हूं। उसी से सम्बन्धित घटनाऐं तो बता रही हूँ।

मैंने न्यायालय से निवेदन किया कि मेरे दो मुकदमे खारिज हो चुके हैं। दो में भारी खर्चा लग चुका है। दो में अभियोग की साक्षी चालू होकर बयान खत्म हो चुके हैं। मैं सौचता हूँ इस मुकदमे को किसी ऐसे दिन रख दें जिस दिन मेरे पास ही नहीं, न्यायालय के पास भी अन्य कोई मुकदमा न हो।

अदालत मंत्र मुग्ध थी। नारी का माधुर्य उसे प्रभावित किये था। सौभाग्य यह था कि उन्होंने मेरी बात मानली और मुकदमें की पेशी बदलने का आदेश दे दिया यद्यपि दमयन्ती उसका विरोध करती रही।

मेरे सिर की नसें फूल रही थीं, इतना छोटा मुकदमा और उसमें भी आधारहीन तथ्यों पर इतना समय !

शाम को घर गया और अपने मित्र को फोन किया। उन्हें सारी बात बताई और उनसे माफी मांगी कि यदि उन्हें आपत्ति न हो तो यह मुकदमा मैं किसी साथी वकील को सौप दूं।

वे हस पड़े मैं माता हू

थोडी देर बाद वे आ गये । आज के तीन घंटे बर्बाद हो गये थे, उसका मुझे अफसोस रहा और मैं उन्हें अपना कोप बताने में नहीं चूका ।

देखिये भाई साहब, धंधे में इस तरह हुआ तो मुझे कटोरा लेकर तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने आना पडेगा ।

वे जोर से हंस पड़े—क्यों क्या हुआ ?

मैंने सारी कहानी कह सुनाई । दमयन्ती के उटपटांग बयान की सारी दास्तान कह सुनाई ।

मेरे मित्र बड़े संजीदा थे । वे कपडे के व्यापारी थे । अपार सम्पदा तथा कई हवेलियों, दुकानों के मालिक थे । कई न्यासों के कर्त्ता थे । मैं भी उन न्यासों में सदस्य था । वे पढे लिखे थे और मेरे सहपाठी थे । हम बहुत निकट के मित्र थे । हमारा बचपन का स्नेह था । इसलिए रोष जताने के साथ ही साथ उनकी हर बात का पालन करना मेरा कर्तव्य था ।

वे बोले—मुझे सुबह ही क्यों नही बुला भेजा। मैं सारी दास्तान बता देता, तो आपका कष्ट नहीं उठाना पड़ता । मैंने बताया कि उनके आदेश से ही मैं सब मुकदमों को छोड़कर उस में लगा रहा और वह ऐसी बेसिरपैर की बातें कर रही थी, जैसे पागल हो ।

वे हँसे -- यह मैं पहले से जानता हूं । आपको नहीं मालूम, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है । आप डाक्टर रविबाबू को जानते हैं ?

जी हां ! जानता हूँ ।

बस ! उनके पीछे वह पागल हो गयी । रवि बाबू को दमयन्ती बिल्कुल पसन्द नहीं थी । वह भूले भटके भी उसकी तरफ नहीं देखते थे । आपका मुव्वकिल रवि बाबू का भतीजा है, सगा भतीजा, बल्कि रवि बाबू तो उसे अपना लडका ही मानते हैं ।

दमयन्ती रवि बाबू को नहीं पा सकी । मैंने बहुत प्रयत्न किया, रवि बाबू ने मुझे कहा कि वह किसी अन्य महिला को प्यार करते हैं, वे दमयन्ती को प्यार नहीं दे पायेंगे

एक दिन दमयन्ती उनके घर जा पहुंची। रास्ते में एक लडकी दुर्घटना में समाप्त हो गई। वह हकीम रफीक साहब की लडकी थी। दमयन्ती उसे जानती थी, वही कहानी वह कह रही थी। वह कहती ही जाती। कभी भी आपके मुकदमे की बात पर नहीं आती, आप ही प्रश्न पूछते तो उसको याद आता कि उसने अभियोग लगाया है। दमयन्ती अच्छे घर की लडकी है, पढी लिखी है लेकिन मानसिक कमजोरी से पीड़ित है। तुम्हें नही मालूम, वह बेबात हंसती है, बेबात गुस्सा करती है। उसे कभी टोको मत ! वह बात करते-करते भूल जायेगी। जो याद रहेगा वह उसकी यादों की वादी में चमकते खयालात हैं, वहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। कभी-कभी जुगनू की तरह चमकने वाली यादें उसे परेशान करती रहती हैं।

मैं थक गया था-मित्रवर ! मुझे मुश्किल लगता है कि उसका बयान मैं सुनता रहूं।

अच्छा अब यह करना कि अपने जूनियर को भेज देना, जब तक उसका बयान चलता रहे। जिरह का समय आ जाए और आप मुल्जिम के खिलाफ कुछ कहना चाहे तो कहना, अन्यथा बंद कर देना।

मैंने कहा —मित्र ! न्यायालय भी उसको नहीं रोकता है।

मेरे मित्र ने कहा—उसमें आकर्षण है और मैं समझता हूं जो उसे देख लेगा, उसी को वह बांध लेगी।

मैं स्वयं दमयन्ती को अच्छी तरह जानता हूँ। कई बार मिल चुका हू, उसका रूप आकर्षक व मोहक है लेकिन आज मुकदमे में वेसिरपैर की बातें सारे आकर्षण के बावजूद बर्दाश्त नहीं कर सका।

आप रवि बाबू को बुला लिजिए। मैं सोचता हूँ, उनकी बात मानकर वह राजीनामा कर लेगी। मुकदमा साधारण और काबिल राजीनामा है।

मेरे मित्र ने कहा -आयन्दा पेशी से पूर्व मैं अवश्य बुला लूंगा। आपको कष्ट हुआ लेकिन दमयन्ती निराश, बुझदिल औरत है और रवि बाब के निर्दोष भतीजे को बचाना भी मेरा काम था।

छिनाल

अपराध था स्त्री की इज्जत लेने का। मैं अभियुक्त का वकील बना। स्त्री और कोई नहीं मेरी जानी पहचानी महिला थी। मेरे मित्र की पत्नि। अभियोग यह लगाया गया कि चलते रास्ते अभियुक्त ने महिला का हाथ पकड लिया, जबकि वह उसके पति के साथ जा रही थी।

अभियुक्त को जब मैंने सही तथ्य पूछा तो उत्तर दिया—हाथ पकडने की बात गलत है। अलबत्ता उस लडकी से मेरा अनुचित सम्बन्ध, विवाह पूर्व से चला आ रहा है। उसका पति उसकी चरित्रहीनता के किस्से सुन चुका है। उसने अपनी पत्नि से उन किस्सों के सम्बन्ध में पूछा तो उसने कहा—पुरुष बड़ा ओछा होता है, कहीं भीड़ में मिल जाए तो किसी स्त्री के शरीर से सट कर चलने में गर्व अनुभव करता है। उसके स्तन को दबा देगा, उसके गाल पर हाथ रख देगा और इस तरह स्त्री पर झूठा दबाव डालेगा और स्त्री को चरित्रहीन कहेगा। स्त्री की स्थिति अजीब होती है वह क्या करे आपत्ति करे तो उसे कोई मानता नहीं उलटा उसी पर लांछन

लगाया जाता है और यदि वह आपत्ति कर दे तो छिनाल कह देते हैं। स्त्री बिचारी करे तो क्या करे ? आखिर छिनाल, कुलक्षणी, चरित्रहीन आदि शब्दों का अर्थ क्या है ? सच यह है कि पति को उसने यही उत्तर दिया। इस पर पति ने उसे साहस बंधाया कि अब भविष्य में वह पुरुष के ओछेपन को बरदास्त न करे और मौका आये तो उसे सजा दिलाये।

मैं उसके पति की आँखों में खटका हुआ पुरुष था। उसे मेरे सम्बन्ध में यह एतबार था कि मैं उसकी पत्नि का आशिक हूँ। मैं कई बार उससे मिल चुका हूँ और जब भी मिला तो मैंने उसे प्रसन्न नहीं पाया। पत्नि से बातें करता तो शंका करता। उसकी पत्नि मुझे सारी बातें कहती थी और इस घटना से पूर्व मुझे वह चेतावनी दे चुकी थी कि वह अब मुझ पर झूठा लांछन लगायेगा। मैं बुरा नहीं मानूं। मुकदमा लड लूं। जिरह मे इधर उधर कह दूंगी और मैं बरी हो जाऊंगा। उसकी प्रतिष्ठा दूनी हो जायेगी। उसके बाद उसका पति उस पर कभी शंका नहीं करेगा। फलस्वरूप यह मुकदमा आ ही गया। सच यह है कि कल उसका पति बाहर दौरे पर गया था। मैं छः घंटे उसकी पत्नि के साथ रह कर आया हूं। मेरा उससे स्नेह है और मैं सोचता हूं वह मुझे दगा नहीं देगी। एक बात और है वकील साहब, आखिर उसने मुझपर अभियोग क्या लगाया है। मात्र हाथ लगाने का। मैं स्वीकार कर भी लूं तो कह सकता हूं—भीड थी, मेरा हाथ उसके अड़ गया। उधर से भीड का रेला आया, मैं पड़ते पड़ते बचा, तब जो सहारा मिला, उसे पकड लिया। यह सहारा उसी के हाथ का था। उसका पति प्रसन्न हो जायेगा और हमारा मार्ग सदैव के लिए प्रशस्त हो जाऐगा।

मुझे मुव्वकिल का रवैया नहीं जंचा। ऐसा लगता था जैसे मवाली बोल रहा है। मैंने उसकी बात आधी अधूरी सुनी। वह बराबर कहता जा रहा था – वकील सहाब ! छिनाल औरतें बड़े नखरे वाली बनती है। वे सुबह शाम अपने पति के चरण स्पर्श करती हैं। उठकर आंखें बंद कर बैठ जाती हैं और प्रथम दर्शन अपने पति के करती हैं। रात को खींच-

कर न सुलाये तब तक पैर दबाती रहती हैं और जब पति आलिंगन करता है तब उसे थोड़ा अहसास कराती हैं कि वह रोज-रोज यह पसन्द नहीं करती। फिर धीरे से कहती है—आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर होगा। आप कम कर दें तो……… …… . ….।

मैंने आखिर थक कर उसे रोका—बस अब नहीं! मैं सारा केस समझ गया। अब आगे नहीं बोलना चाहिये।

लेकिन मुव्वकिल बड़ा तेज था, जबानदराज भी।

मैंने कहा—मैं दूसरे मुकदमे की तैयारी कर लूं, फिर आपकी बात सुनूंगा।

वह बोला—साहब! ऐसा न हो, मेरा धन और धर्म दोनों चले जायें। आप पूरी तैयारी रखना। औरत जात ठहरी, पता नहीं क्या कह जाऐ। उसका कोई ठिकाना नहीं। वह किसी का भला नहीं करती, सिर्फ अपने भले की सोचती है।

मैंने कहा—मैंने पूरी तैयारी कर ली है। आप निश्चिंत रहिये। मै उससे जिरह करूंगा तब भी आप मेरे साथ रहेंगे और फिर अदालत में दूसरा मुकदमा चलेगा तब आप मुझे बकाया बता दें। यों मैं सारा केस समझ गया हूं।

वह फिर भी बोलता जा रहा था- साब! माफ करना, सिर्फ दो मिनिट लूंगा। यह औरत मुझे प्यारी है। आप मुझे बचायें, न बचायें, उसकी इज्जत पर कोई कलक न लगे। वह उसके पति के सामने पवित्र हो गयी तो मेरी पांचों अंगुलियां घी में होंगी। फिर तो मुझे खुली छूट मिल जाऐगी। यह कैसा पति है साला। कम से कम दसहजार रु० तो खर्च किये होंगे, तब पत्नि मिली होगी। बरात ले गया होगा, घर मेहमान आए होंगे और मुझे बिना खर्च किए एक प्रेमिका मिल गयी है। मेरी हजार जान उस पर

कुर्बान। मेरी इज्जत प्रतिष्ठा उस पर न्यौछावर। मैं नहीं चाहता कि मैं बरी हो जाऊं और उसका पति उस पर शक करे।

मैं चिढ गया, तो आप क्या चाहते है? फिर मुझे वकील क्यों बनाया। सीधा कबूल कर लीजिए सारी स्थिति को, आपकी प्रेमिका की सारी शान शौकत इज्जत, मर्यादा बनी रह जाएगी।

वह उदास हुआ—वकील साहब! मैं सच कह रहा हूं। वह मेरी प्रेमिका है। बस आपने सारी कहानी सुन ली। कल की कार्यवाही उसके इशारे पर चलेगी और अगर आप उसके पति को अदालत में न आने दे तो मेरा काम वहीं पूरा हो जायेगा।

मेरा मस्तिष्क फूल रहा था—बस! अब अधिक नहीं। अदालत सब के लिए खुली है।

वह फिर भी बोल रहा था—वकील साहब! मैं खुद ही उसे बाहर रखने का इंतजाम कर लूंगा। वह न अपने पति का नाम लेगी और न उसके सामने घूंघट खोलेगी, तब आप एतराज कर देना। तब वह न्यायालय से स्वयम् कह देगी कि उसके पति के सामने वह घूंघट कैसे उठाये और भरी अदालत में उनके सामने कैसे बोले। अदालत फौरन हुक्म दे देगी और वह चला जायेगा। उसके बाद मेरी ओर नजर होते ही वह मुझे इशारे से बतला देगी कि आगे क्या करना है। बस सब वही होगा जैसा आप चाहेंगे। सांप भी मर जायेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।

मैं कत्ल के मुकदमे की नजीरे पढ़ रहा था। उसका लगातार बोलना मुझे अखर रहा था।

आखिर जब मैं थक गया तो चिढ पड़ा—भाई साहब! मेरे पास आपका ही मुकदमा नहीं है। आज दस मुकदमें और हैं। इस तरह छोटे से मुकदमे में फंसा रहा तो कत्ल वाले जहन्नुम में जायेंगे। अगर आप मुझसे

संतुष्ट न हों तो यह अपनी फीस लीजिए और किसी दूसरे को वकील कर लिजिये ।

मुव्वकिल हाथ जोडने लगा—माफ करना साब ! हर आदमी की अपनी पीड़ा होती है । मेरे लिए यह मुकदमा ही बहुत बडा मुकदमा है । एक माह की सजा हो गयी तो डूब जाऊंगा । कारोबार चौपट हो जाएगा । दोस्तों के सामने इज्जत बिगड़ जाएगी ।

मैंने नजीरें पढ़ना बंद कर सामने हाथ पर कुहनी रखकर बैठ गया—हाँ ! और कुछ कहना है । आप अपनी बात समाप्त कर दें । बस अब पांच मिनिट हैं । अदालत का वक्त हो रहा है ।

मुव्वकिल हंसा—बस साहब ! अब मुझे जो कहना है उसका इशारा मैं कोर्ट में ही करूंगा । मुझे भरोसा है, वह अपनी इज्जत भी रख लेगी और मुझे भी नहीं फंसने देगी । छिनाल औरत का सबसे बड़ा लक्षण तो यही है और वह जोर से हँस पड़ा ।

———

छूट

इस घटना का सीधा सम्बन्ध मेरे मुव्वकिल से है जो कत्ल के अपराध में फंसा हुआ था और जिसने मुझे वकील बनाया था। पुलिस के द्वारा जो मुकदमा बनाया गया वह इस प्रकार था—

मुव्वकिल का नाम श्रीकिशन जाट था। उसकी पत्नि का देहान्त दो वर्ष पूर्व हो गया था। उसका बड़ा भाई मदन जाट इसी वर्ष हैजे के कारण मर गया। जाटों में यह रिवाज चला आ रहा था कि बड़े भाई की पत्नि यदि विधवा हो जाए तो देवर के नाते बैठ जाती है। यह देवर का अधिकार माना जाता था। डेढ वर्ष में उसे कोई दूसरी स्त्री नाते के लिए नहीं मिली थी। अकसर जब मौसर पर सब आते हैं तब दुखी पत्नि ऐसे ही लोगों की तलाश में रहती है और इसी तरह आदमी भी इसी तलाश में रहता है कि कोई दुखी पत्नि, विधवा या अन्य कोई औरत जो पति बदलना चाहती है तो वह उसे अंगीकार करले। इसके लिए जाति की कई कुटनियां होती हैं। श्रीकिशन के गांव के दो कोस दूर मोहनपुरा में एक मौसर था। उसमें उसके बड़े भाई की विधवा गयी थी और वहीं कुटनी के द्वारा वह

तय हो गया था कि सुरेन्द्रगढ़ के पटेल जीवणराम के यहां वह नाते चली जाये। जीवणराम के पहले से तीन पत्नियां थीं लेकिन श्रीकिशन की भाभी बड़ी अदबदार औरत थी। उसमें बड़प्पन तो था ही साथ ही स्वभाव की भी बड़ी सरल औरत थी। कुटनी ने सब तय करा दिया था। चूंकि विधवा थी इसलिए किसी तरह के झगड़े की रकम की जरूरत नहीं थी।

जीवणराम के दस सामर्दें थीं, तीन सौ बीघा जमीन थी, सौ भैंसें, दो सौ गाएं और तीनसौ बकरियां थीं। पातरे का बीस मन दही मथ कर घी निकाला जाता था। उसकी पोल में गाँव वाले बने ही रहते थे। दिन मे दो बार अफीम का दौर चलता था। इस गांव में चाय सबसे पहले इसी के घर उबाली गई और अब भी बड़े भगोने में रोज तीसरे पहर चाय बनती है और लगभग सौ आदमी एक साथ चाय पीते हैं।

तय हो जाने के बाद श्रीकिशन की भाभी अणछी वापिस अपने घर आ गई। श्रीकिशन दूसरे गांव में मोसर में गया हुआ था। उसने कहीं बात करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसकी भाभी फारिग हो गयी थी और उसको नाते बैठाने की तय कर चुका था। उसके लिए किसी दस्तूर की जरूरत नहीं होती। बस एक रात भाभी आकर देवर के घर में सो जाती है। जब अणछी वापिस आ गई तो वह देवर के घर नहीं गयी। कुटनी दो बार घर में चक्कर लगा गयी। आखिर जीवणराम का एक आदमी एक रात आया और उसने अणछी को गांव के बाहर बावड़ी पर कुटनी के द्वारा बुला लिया। इसकी खबर श्रीकिशन को मिल गई। वह कुल्हाड़ी लेकर पीछे-पीछे गया। वहां जीवणराम के दलाल हरचंद और श्रीकिशन में जमकर लड़ाई हुई जिसमें हरचंद मारा गया।

अणछी के पास पोटली में दो हजार रु० और सोने चांदी के जेवर थे। वह डर कर उन्हें वहीं छोड़कर घर भाग आयी।

कुटनी साक्षी में आई। अणछी भी साक्षी में आई थी और उसने न्यायालय में बयान दिया। वही श्रीकिशन के छुटकारे का आधार बना।

उसने बयान अपने देवर के पक्ष में दिया। उसने जो कहा वह इस प्रकार था—

हमारी जाति में रिवाज है कि बडे भाई की पत्नि विधवा हो जाती है तो अपने देवर के बैठ जाती है। लेकिन गांव की बुढ़िया उगमी ने आकर कहा कि जीवणराम का आदमी आया है, उससे बात कर ले। जब वह वहां पहुंची तो उसको यह मालूम हुआ कि जीवणराम उसको नाते चाहता है। वह नाते जाने के लिए तैयार नहीं थी इसलिए अपने देवर को बुला भेजा। श्रीकिशन ने हरचंद को ललकारा कि वह चला जाऐ। वह नहीं माना, जमकर लडाई हुई, श्रीकिशन पर उसने तलवार का वार किया तो श्रीकिशन ने उसको कुलाडे पर झेल लिया, दूसरा वार करना चाहता था कि उसने झपट कर उस पर वार किया और वह सीधा उसकी गर्दन पर पडा और वह वही मर गया।

मुकदमे में सबसे बडी अडचन थी जेवर की और नकद रुपयों की। यदि अणछी उनको लेकर आई थी तो यह निष्कर्ष निकलता था कि वह मरहूम के साथ जा रही थी जिसको अभियुक्त ने रोकना चाहा। विधवा पर किसी का अधिकार नही था। विधवा ही क्या विवाहिता स्त्री भी अपनी इच्छा से जाती हो तो पति को भी इस तरह रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन इन सब बातों का आत्मरक्षा से सम्बन्ध नहीं था। यह भी मान लिया जाये कि अणछी स्वेच्छा से जा रही थी तब भी उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। आत्मरक्षा का प्रश्न उस समय आता है जब आपके जीवन या सम्पत्ति को भय हो, तब अपने आपको बचाने का आपका अधिकार रहता है, लेकिन न्यायालय के मानस पर प्रभाव जरुर पडता है और आक्रमक कौन है इस निर्णय के लिए अत्यन्त आवश्यक बन जाता है, इसलिए मैंने इस पर कोई प्रश्न नही पूछा।

पेरोकार की तरफ से भी कोई प्रश्न नहीं था केवल पचनामों में

यह अंकित किया गया था कि लाश के साथ जेवर और नकद रुपये भी वहां पड़े थे।

पुलिस को दिये अराछी के बयान में इन बातों का जिक्र अवश्य आया था कि वह स्वयम् लेकर जा रही थी। लेकिन जब अराछी ने कुछ नहीं कहा तो वह बयान अर्थहीन हो गया। बहस में पेरोकार ने यह बात उठायी। मैंने यह कहकर टाल दिया कि जेवर नकद के सम्बन्ध में अराछी से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया और न अराछी ने कहीं भी यह कहा कि वह स्वेच्छा से जा रही थी।

अभियुक्त बरी हो गया। वह सायंकाल मेरे कार्यालय में आया और मेरे पैरों में गिर पड़ा। गिड़गिड़ा कर कहा — वकील साहब ! मेरे बाप का वंश ही समाप्त हो जाता यदि आपने मुझे नहीं बचाया होता। अब भाभी भी मेरे साथ ही रहेगी। वंश की वंश में रहेगी। इससे ज्यादा अच्छा सम्बन्ध रहेगा। उसने हाथ जोड कर कहा देवर भाभी का रिश्ता बहुत गहरा होता है—भाई रहता है, तब आड़ रहती है, भाई गया तो जात ने इस पक्के रिश्ते को और गहरा बना दिया।

मैंने कहा तुम्हारी औरत जिन्दा होती तो ?

श्रीकिशन ने कहा—तब भी भाभी पहले देवर के बैठना पसन्द करती है। हम मेहनतकश लोग ठहरे। जितनी अधिक मेहनत करते हैं उतनी ही अधिक कमाई होती है। रोटी कपडे से आदमी मंहगा नहीं होता।

मैंने पूछा—तुम्हारी घरवाली इसे पसन्द करती।

वह हँसा—औरत जात ठहरी। पसन्द नहीं करे तो क्या करेगी। आदमी की जूती होती है। नातायत कौम में इतनी बडी ईर्ष्या भी नहीं होती, जितनी आपके यहाँ रहती है।

मैंने कहा – लक्ष्मण ने सीता का मुँह तक नहीं देखा था। उसकी नजर सदैव उसके चरणों में रहती थी।

श्रीकिशन बेवकूफों की तरह हँसने लगा --यह राजा-रानियों के चोंचले है ! हम गरीबों में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ प्रेम में पागल नहीं होते हैं, क्योंकि उसके लिए समय ही नहीं मिलता। प्रेम के पीछे पागल वह होता है, जो निठल्ला होता है। हम विचार नही करते। करते हैं तो केवल रोटी कपड़े का। इसलिए हमारे में सती नहीं होती। सीता हमारे लिए माता होती है, हम इसलिए पूजा करते हैं कि वह भगवान राम की पत्नि थी। वकील साहब, हम रहे गरीब, न हम औरत पर शंका करते हैं और न अग्नि परीक्षा ही लेते हैं। बस जिस औरत का बिन बात घर से बाहर पैर पड़ जाता है उसको हम नहीं रखते और उसे कोई और रख लेता है। हममें कोई औरत विधवा नहीं होती। विधवा तब रहना पसन्द करती है जब वे बुड्ढी हो जाती है। जवानी में ही क्यों, प्रौढावस्था में ही वह विधवा रहना पसन्द नही करतीं। वह रुका, फिर बोला - बस हममें एक ही पहेली बडी होती है।

मैंने कहा—वह क्या ?

गेलड़ ! वह बेचारा कहीं का नहीं रहता।

मैंने पूछा—गेलड क्या होता है ?

जब औरत नाते जाती है तब पहले पति की ओर से जो सन्तान साथ लाती है, उसे गेलड़ कहते हैं। वकील साहब, न वह बाप का प्यार पाता है न मा का ही और न जायदाद में कोई हक रखता है। हमारे शास्त्रों ने उनके लिए कोई उपाय नहीं बताये हैं।

मै दो वर्ष शहर में रहकर आया हूं, सिनेमा देखे हैं, एक लडका एक लडकी दोनों प्यार में पागल हो जाते हैं। रोड़े आते हैं और वे रोते रहते हैं। गाव मे ऐसा कुछ भी नही होता। वासना प्रकृति की मांग है, बस आती है और संतुष्ट हो जाने पर समाप्त हो जाती है। कभी कोई दूसरे की औरत पर नजर नही ड़ालता। नजर डालता है तब उसे अपनी औरत बनाने के लिए हमारा जीवन सीधा साधा है सपाट है, उसमें कोई रोडा नहीं है। कत्ल जरूर

होता है या तो औरत के लिए या फिर जमीन के लिए, जर के लिए भी कभी-कभी होता है ।

मैंने उसकी सारी बात सुनी। हिन्दू जाति में सब रीति नीतियां हैं। स्त्री और पुरुष के सम्बन्धों में जो छूट है, उससे उनमें क्या कमी आ गई। जिस जाति में नाता नहीं होता उसमें क्या बड़प्पन आ गया।

मैं भोजन करके अन्दर आ गया। पत्नी को कहा कि आज श्रीकिशन जाट छूट गया। उसने उल्टा प्रश्न किया कि उसकी भाभी का क्या हुआ?

बस वह अपने देवर के नाते बैठ जायगी। वह राजी हो गयी।

वह किसी न किसी के तो नाते जाती ही। अब भला क्यों जायेगी?

उसने एक प्रश्न किया कि आपके हिन्दू कानून में इनके लिए अलग नियम हैं और उच्च जाति के लिए अलग।

हिन्दू धर्म शास्त्रों ने रिवाजों को भी महत्व दिया है।

वह हंसी—हिन्दू जाति हिन्द महासागर सी है। उसमें अनेक नदियां जाकर पड़ती हैं और सब तरह का कूड़ा-करकट साथ लाती हैं। फिर बताइये सच क्या है?

मैं हंसा सच तो भगवान ही जाने, लेकिन हमारे यहां सबका समन्वय है। तलाक नहीं है, रिवाज से तलाक है भी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम पूजा करते है। अग्नि परीक्षा के बाद भी भगवान राम सीता की पवित्रता पर विश्वास नही कर सके। हम सीता को महान सती मानते हैं। हम राधाकृष्ण को पूजते है। राधा भगवान की पत्नि नहीं थी और न वह सती ही थी। हम मे जैन है वैष्णव हैं, अघोरी है, तांत्रिक हैं सब तरह के लोग हैं, और सब तरह के रिवाज हैं। जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा करे।

पत्नि ने कहा—फिर भी छूट नहीं है।

यह बडप्पन की निशानी है, छोटों में सब तरह की छूट होती है।

पत्नि हंस पड़ी।

अलगाव

न्यायिक अलगाव के वाद मे मैं पुरुष का वकील था। पुरुष रेलवे में बुकिंग क्लर्क था और उसकी पत्नि एक डाक्टर—दो बच्चों की माँ। दोनों बच्चे माँ के पास थे।

वादी ने वाद करना चाहा। वह किसी मित्र की मार्फत मेरे पास आया था। किसी के वाद की पैरवी करूं उससे पूर्व अपने संगी साथियों को वाद का तोल-मोल, अवधि, थकान आदि समझा देता हूं ताकि वे अपनी जिद को इस मुकाबले तोल सकें और वाद करने का साहस कर सकें।

और तो और! एक नकद रुपये के दावे में उत्तर प्रदेश का एक व्यापारी मेरे पास आया। राजस्थान के व्यापारी में उसके लगभग सत्तर हजार रु० निकलते थे। व्यापारी ने पहले राजीनामा करना चाहा। ऋणी ने कहा कि बीस हजार रु० नकद देगा और प्रति छः माह पांच हजार मय ब्याज देगा। लेकिन वादी को नशा था। उसने दावा किया। मैंने उसे बहुत कि वह दावा न करे प्रतिवादी जो कुछ दे रहा है उसे ले ले। इस

पर वादी ने कहा---आपको दावा नहीं करना हो तो वैसा उत्तर दें, अन्यथा मैं प्रतिवादी को सबक सिखाना चाहता हूं।

यह बात सन सैंतालीस की है। सात वर्ष में सारा रुपया आ जाता, लेकिन उसे नशा था इसलिए उसने पांच हजार रु० वाद के लिए खर्च किये। मुझे मालूम है सन् छियासठ तक यह मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा था। उसके बाद मैंने वकालत छोड़ दी।

न्यायिक अलगाव का वाद इससे भी ज्यादा उलझा हुआ है। कानून ने तलाक का प्रावधान रखा लेकिन संसद ने उसे इतना जटिल बना दिया कि सम्बन्ध विच्छेद हो सकता है लेकिन तलाक नहीं होता। संसद के सदस्य जन्म जन्मान्तर के सम्बन्ध में विश्वास कर चलते हैं। फिर ऐसे समाज में तलाक महान पाप है यद्यपि रिवाज से कानून बना है, उससे पूर्व हिन्दू जाति मे तलाक प्रथा प्रचलित थी, केवल द्विजों में नहीं थी और संसद ने इन्हीं लोगों की पवित्रता, संस्कृति और सभ्यता को रखने के लिए ऐसा कानून बनाया। वे भूल गये कि हम बीसवीं शताब्दी में रह रहे हैं जहां सारा विश्व एक हो रहा है और एक दूसरे के रीति रिवाज आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं।

मैंने वादी को बहुत समझाया कि हम महान् हिन्दू जाति के लोग हैं। हमारी संस्कृति महान् है। सम्मिलित रहते हैं तो बर्तन टकराते हैं। सब ठीक हो जाएगा।। वे जल्दबाजी न करें और तलाक के लिए जो अभियोग लगायेंगे, उससे आप हिन्दू स्त्री का सतीत्व छीन लेंगे, उसके महान् चरित्र पर कीचड़ फेंकेंगे।

वे नहीं माने और मैंने उनसे तथ्य लेकर वाद पत्र तैयार किया।

वाद का आधार—चरित्रहीनता था।

मुझे मालुम है—वाद का कारण आपसी अनबन थी, सिर्फ घरेलू द्वन्द्व कि चरित्रहीनता। मैंने बहुत कहा कि वह ऐसा अभियोग यदि सच भी हो तो न लगाए, क्योंकि वादी ही स्वयं नंगा होगा।

लेकिन वादी को नशा था । अब किसी तरह वह तल्लाक चाहता है। कभी भी अपनी पत्नि के साथ नहीं रह सकेगा और अगर रहे भी तो वह उसका नींद में ही गला घोंट कर भाग जायेगा ।

समझाने का मेरा काम था, लेकिन मैं उसमें असफल रहा । वाद पत्र प्रस्तुत कर वादी बहुत प्रसन्न हुआ ।

दो वर्ष बीत गये । प्रतिवादी की तरफ से प्रतिवाद पत्र नहीं आया। उसकी तरफ से वाद के तथ्यों का स्पष्टीकरण मांगा जाता रहा । चार-चार माह की पेशी पड़ती रही ।

एक दिन मुव्वकिल मेरे पास आया। रविन्द्र भाटिया उसका नाम रख लेता हूं। वह बोला--वकील साहब, मैंने दावा इसलिए किया है कि इस चुडैल से पीछा छुड़ा सकूं और मैं जिससे प्यार करता हूं उससे विवाह कर सकूं । मैं राजकीय सेवा में हूं। एक के होते हुए दूसरी से विवाह नहीं कर सकता था, इसीलिए तो यह वाद ही किया लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ । मेरी नई प्रियतमा थक गयी है । कल उसने कहलाया कि अब उसके माता पिता अधिक इन्तजार नहीं करेंगे । वकील साहब, मैं कहीं का भी नहीं रहा । वह भी नाराज और जिससे पीछा छुड़ाना चाहा वह भी उड़ी जा रही है ।

मैंने तो आपको पहले ही समझा दिया था ।

वकील साहब, समझा तो दिया था, पर क्या करता ! नई प्रेयसी जो मन पर चढ़ी थी ।

तो आपने चरित्रहीनता का दोष बेकार मंढा ।

भाटिया जोर से हंसा—साहब ! जब छोड़ना ही था तो फिर क्या करता ?

तो क्या यह सच नहीं था ?

नहीं साहब, यह सच नहीं था । सच तो यह था कि मैं इस नई नवेली से प्यार करने लगा था और उससे नाराज रहने लगा । फिर उस पर

दोष मढने लगा । कुछ लोग गला घोंट कर मार देते हैं, मैंने यह नहीं किया, मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं, रूल आफ लॉ से चलता हूं ।

मैं हंसा—इस मुकदमे में तो अभी पांच वर्ष कुछ नहीं होगा ।

प्रतिवादी से समझौता नहीं हो सकता । दावा होने से पहले हो जाता। लेकिन दावे में जो अभियोग लगाये हैं उससे सारे रास्ते बंद हो गये । उसने भी कहला भेजा है कि मेरी उसको जरूरत नहीं है । मेरे जैसे सैकड़ों उसके चाहने वाले हैं ।

मैं प्रयत्न करूं ?

नहीं साहब ! बस एक बार आप उसका जवाबदावा पेश करा दें फिर देख लेंगे अगर वह कबूल कर ले तो । फिर तो दावा डिक्री हो जायेगा और अगर मुझ पर चरित्रहीनता का दोष लगा दे तब भी डिक्री न हो पायेगी ।

मैं क्या करता ? मैंने कहा---आयन्दा पेशी पर अवश्य जवाबदावा पेश करा दूंगा । देखिये आगे क्या होता है ?

मुव्वकिल प्रसन्न होकर चला गया । आयन्दा पेशी पर किसी नेता के स्वर्गवास होने से छुट्टी हो गयी और फिर चार माह की पेशी पड़ गयी । मुव्वकिल ने मुझे निराश होकर कहा---वकील साहब, दावा कर मैंने बेवकूफी की है । साली गुलछर्रे मना रही है और मैं ही रो रहा हूं । हाथ से रोटी बनानी पड़ती है । क्या आप कोई नौकरानी बता सकते हैं जो मेरे यहां सुबह शाम आ जाये, हां, पढ़ी लिखी हो, जवान हो ।

मेरा पारा चढ गया । आप मुझसे ऐसी बातें कह कर क्या चाहते हैं ?

मुव्वकिल ने हाथ जोड दिए । माफ करना साहब ! आपके यहां कई तरह के औरत मर्द आते रहते हैं । मुझे लगता है आप ही मेरा जुगाड कर सकते हैं ।

आयन्दा पेशी पर जवाबदावा पेश हो गया । मेरा मुव्वकिल उसे पढ़कर स्तम्भित हो गया और झुंझलाया । बदजात कमीनी कहीं की मुझे

पर ही दोष थोप रही है। आप उसका स्थानान्तरण कहीं और जगह नहीं करा सकते। जबसे मुझसे छूट गयी, सुना है बड़े-बड़े अधिकारी उसकी हाजरी में खड़े रहते हैं।

मैंने बात टाल दी। कुछ भी जवाब नहीं दिया।

मुव्वकिल बड़ा वाचाल था। रेलवे की आम गाली—ब्लडी रास्कल, वह बार-बार बोलता था।

मै उसे समझ नहीं पा रहा था। जब चाल चलन ठीक था तो दावा क्यों किया।

मैंने कहा—कौन से घर है जहां बरतन आपस में नहीं टकराते। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था। मुकदमें में देरी अवश्यम्भावी है। कोई भी उसे नहीं रोक सकता जब तक व्यवहार या कानून न बदले या फिर न्यायालयों की संख्या न बढ़े। आप चाहो तो अब भी राजीनामा की बात करूँ?

मुव्वकिल चिल्लाया- अब! अब तो सब कुछ बदल गया है। मैंने दावे में जितने भी अभियोग लगाये हैं, वह उन अभियोगों के योग्य हो गई है। खूब गुलछर्रे उड़ाती है। मजे मारती है। आप जानते ही हैं कि बाल-बच्चों का डर अब रहा ही नहीं है और फिर आप कानून ऐसा बना रहे हो कि गर्भपात वैध हो जाये। वह जोर से हंस पड़ा—अब ऐसी कलंकिनी को मैं अपने घर में रखूं? यह नहीं होगा।

चार पेशियां बदल गयीं। एक पेशी पर प्रतिवादी के वकील साहब गैर हाजिर रहे। दूसरी में ठीक चार बजे मुकदमे का नम्बर आया। प्रतिवादी की तरफ से हर तन्कीह पर आपत्ति हुई और फिर पेशी बदल गयी। उस दिन नम्बर ही नहीं आया, मैं क्या करता? हर पेशी पर मुव्वकिल की मुद्रा अजीब रहती जैसे वह फट पड़ना चाहता हो, लेकिन क्या करें? मेरा कहीं दोष नहीं था। न्यायालय कभी गलती नहीं करता, लेकिन विलम्ब को कौन टाले।

बाहर बैठकर मुव्वकिल दूसरे मुव्वकिलों से चर्चा करता था। उसकी भनक मुझे मिली है। अब तो वह मुझे भी चार्ज करने लगा है और न्यायालय में जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार वकीलों को बताता है।

वह पेशी पर आया। वकील साहब, मैं अपना दावा खारिज ही करवा लूं तो?

मैंने तपाक से उत्तर दिया-- करवा लीजिए। आपने दावा किया, आपको उठाने का अधिकार है। सिर्फ प्रतिवादी को खर्चा मांगने का हक तो है ही।

मुव्वकिल चौंका—खर्चा-वर्चा तो जो होगा वह रहे लेकिन मेरी दूसरी शादी ?

मैंने कहा—आप राज्य सेवा में है इसलिए वह नहीं हो सकेगी।

मैं किसी को पासवान रख लूं तो ?

मैं हंसा—रख लो, इसके लिए कानूनी सलाह की जरुरत नहीं है। कानून में केवल दूसरा ब्याह अर्थात् जाति धर्म के अनुसार वह परिपाटी जिसे ब्याह नाम से पुकारा जाता है, वह नहीं कर सकते। आप एक ही नहीं दस पासवानें रखें, कोई रोक नहीं है।

मुव्वकिल उछल पड़ा—और उससे बाल-बच्चे हुए तो ?

वे आपकी सन्तान नहीं होंगी।

फिर किसकी होंगी ?

गैर कानूनी व्यभिचार की, जिसके मां-बाप नहीं होते। यह व्यभिचार लावारिस होता है, अनाथ !

मेरी औरत और क्या मांग सकती है ?

आजीविका, बच्चों के गुजरबसर के लिए।

मैं नहीं दूं तो ?

वह कुर्क कराकर आपके वेतन से वसूल कर लेगी।

मुझे उससे आधा वेतन मिलता है।

तो फिर बाबा चलने दीजिये रामभरोसे। जब फैसला होगा, हो जायेगा। मैं समझता हूँ दावा और जवाबदावा के होते ही अलगाव की डिग्री तो हो ही जायेगी।

मुव्वकिल चिढ़ा—यह अलगाव तलाक ही तो है।

मैंने कहा—नहीं, यह न्यायिक अलगाव है। दो वर्ष अदालत देखेगी कि आप अलग रह सकते हैं। यदि राजीनामा हो जाए तो फिर एक ही हो जायेंगे, नहीं तो तलाक।

तो फिर चलने दीजिये। मैंने पासवान रख ली है।

वह तो अच्छा किया। अकेले आदमी को अपनी जिन्दगी को आरामप्रद बनाने के लिए साथी की आवश्यकता तो होती ही है।

मुव्वकिल रुआंसा हो गया। आपने ठीक कहा—औरत को दस मर्द मिल जायेंगे। वे ढूंढते हुए उसके द्वार पहुंच जायेंगे। आदमी को ढूंढना पड़ेगा, मान मर्यादाओं को खो कर भीख मांगनी पड़ेगी, तब कोई मिलेगी। मेरी औरत को आपने देखा नहीं। वह बड़ी खूबसूरत है। लोग उस पर मरते हैं। दो बच्चों की मां है लेकिन लगती है जैसे अठारह वर्ष की कुंवारी कन्या हो और मुझे देखिये, दिन भर तो दफ्तर में निकल जाता है। घर पहुंचता हूँ तो घर खाने को दौड़ता है। न आदमी न जानवर, किससे बात करूं? पुरुष किसी की गोद चाहता है, किसी का स्नेहपाश। वकील साहब, मुझे क्या मालूम था कि वाद इतना लम्बा हो जायेगा? मालूम होता तो मैं इस झगड़े मे नहीं पड़ता। उस बदजात को देखिये अब मुझ पर चार्ज लगाया है कि मैं चरित्रहीन हूं और वह साध्वी। बदजात कहीं की!

आपने भी तो उस पर चार्ज लगाया है।

वह हंसा - जी ! लगाया है। उस दिन, लेकिन वह तब सही नहीं था। आज सही हो गया और सुना है अब तो उसका पेट भी फूल रहा है। कल कुर्म फूटेंगे। क्या वह फिर सरकारी नौकरी कर सकेगी ?

मैंने कहा—कोई रोक नहीं है, उसने दूसरा विवाह तो किया नहीं।

मुव्वकिल बोला—साली बदजात !

खैर मुकदमा चलता रहा। साक्षी वादी की हुई। प्रतिवादी उस दिन आई, उसने खूब कसकर जिरह की। वादी के चरित्र की बखिया उधेड़ी। अपने चरित्र पर लगे कलंक को टालने का प्रयास किया और मैं समझता हूं वादी दावा होने से पूर्व की एक भी घटना का वर्णन नहीं कर सका। जो भी कहा, वह दावे के बाद की घटनाओं का था।

दो गवाह और हुए। प्रतिवादी के बयान हुए। उस पर वादी कई सवालात लिख कर लाया। औरत मुझे आदमी से ज्यादा संजिदा लगी लेकिन प्रश्नों में वादी बहक गया और गाली-गलौज पर उतर आया। न्यायालय ने उसे टोका।

आखिर डिक्री हो गई। दोनों अलग होना चाहते थे। दो वर्ष अलगाव की डिक्री उसके बाद तलाक का प्रश्न आयेगा। मेरा मुव्वकिल प्रसन्न होकर बोला क्या मैं अब विवाह कर सकता हूं ?

मैंने कहा—दो वर्ष और रुकना पड़ेगा।

वह हंसा—रुक तो जाऊंगा, लेकिन पेट में है, इसका क्या करूं ? संसद ने यह क्या कानून बनाया है बेवकूफी का, अनैतिकता सही और नैतिकता गलत। वकील साहब हम ढोंगी हैं। वैसा ही हमने कानून बनाया है।

मैंने उससे अधिक बात करना उचित नहीं समझा।

एक दिन मुव्वकिल आया और बोला—वकील साहब, मेरी औरत के लड़की हुई है

किस औरत के ?

मेरी ब्याहता के।

मैंने कहा—नाम वंश अब तक तुम्हारा चला आ रहा है और वह तुम्हारे नाम पर ही चलता रहेगा।

मुव्वकिल बहका—और मेरी पासवान के हुआ बच्चा किसका होगा ?

नाजायज ! मैंने आपको पहले ही बता दिया था।

मुव्वकिल सोच में पड़ गया, फिर हंसा—क्या विवाह को बंद नहीं कर सकते ?

मैं मौन रहा, उत्तर भी क्या देता।

मित्र और मैं

मैं वकील हूँ लेकिन मित्र भी हूँ और इस सारे व्यवसाय में मैंने सर्वत्र मित्रता को प्रधानता दी है। थोड़ा बहुत नाम था इसलिए कई मित्र भारत-वर्ष के किसी कोने में हों, परामर्श लेने अवश्य आते थे और कई बार उनके प्रदेश में वकील को अपनी राय बताने के लिए भी जाना पड़ा तो अवश्य गया।

मेरे एक घनिष्ठ मित्र ने जो आठवीं कक्षा तक मेरा सहपाठी था, छोटी सी पटवारी की नौकरी कर ली थी। उस समय उनका नाम अमीन हुआ करता था।

आयु चालीस-पचास से अधिक नहीं थी। विवाह गरीबी के कारण नहीं हुआ था। वह अकेला था, न माँ-बाप, न भाई, न बहन। बस दूर का एक भाई था। वही उसका एक मात्र रिश्तेदार था।

वह आकर मेरे दफ्तर में एकान्त में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मैं नथीर पढ़ने में लगा था मुझे किसी के आने की आहट हुई थी और झुक

कर सलाम करने का नजारा भी देख पाया था लेकिन उसके आगे नहीं पहचान पाया ।

जब नजीर समाप्त हुई तो उधर झांका । दफ्तर में लगभग तीस मुव्वकिल बैठे थे । उसने उठकर एक बार सलाम किया । मैंने ध्यान नहीं दिया । बारी से सबको पूछूंगा, नया प्राणी कोई आया है तो उससे बाद में ही मिलता था ।

वह कसमसा रहा था और शायद पीड़ा भी हो रही थी कि वह व्यर्थ ही आया ।

मैं उसके हावभाव को पढ़ रहा था । मैंने उसे बुलाया—कहिये आपका क्या केस है ?

उसके चेहरे पर विचित्र भाव उभर आये । उसने आश्चर्य से कहा —मुझे नहीं पहचाना ।

और मैं फौरन उसकी आवाज के साथ पहचान गया । पास में बुलाया और उठकर उसको गले लगाया—माफ करना, मैं व्यस्त था ।

उसका नाम मदनसिंह था । वह उदयपुर बोर्डिंग हाउस में मेरा रूम पार्टनर था । जिस कमरे में किवांड की जगह टाट लगे थे, फर्श मिट्टी का था । दीवारों पर प्लास्तर भी नहीं था । एक रू० महीना किराया लगता था ।

मुझे मालूम है, मदनसिंह गरीबी के कारण मेस में भोजन नहीं करता था, बाहर ही करता था । हम सोमवार की छुट्टी की सांझ को साथ निकलते । चार आने की मिठाई खाते, खूब पेट भर कर । इतना सस्तापन था कि एक आने के छ पान मिलते थे । एक आने के बारह पाई (ढींगले) आते थे । बस चार ढींगले मेरे पान के खर्च होते थे । पाँच रू० मासिक छात्रावास के आवास भोजन का व्यय था । पाँच रू० भी उसके लिए भारी थे ।

मैंने उसे पास की कुर्सी पर बिठाया। बकाया सब मुवक्किलों को निपटाया और फिर उससे आगे बात की लेकिन, आज कैसे याद आ गया यह बचपन का साथी।

वह हाथ जोड़े ही बोला—कोई काम आ पड़ा।

मैंने उसको दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ लिया और उनको अलग किया—पहले बोलिए चाय लोगे या लस्सी?

नहीं, कुछ भी नहीं लूंगा।

मैंने उनका हाथ पकड़ा और बैठक के कमरे में ले गया। मेरे पिताजी से परिचय कराया। उनके लिए शर्बत मंगाया। फिर साथ बैठकर भोजन किया। उनको साथ लेकर अदालत में गया। पहली पेशी निपटकर मैंने उनको एकतरफ ले जाकर बैठाया। बकाया मुकदमों को साथी वकील साहब को सौंप दिया।

मदनसिंह उबड़ खाबड़ शक्ल का था। आँखों में थोड़ा टेढ़ापन था। नाक फूला हुआ था। हाथ भी मोटे थे। कान चिपका हुआ था।

मैंने कहा हाँ, कहिये, कैसे आना हुआ, और तो सब ठीक है न, शादी-वादी?

मदनसिंह जैसे रो पड़ा वकील साहब! शादी और मेरी! एक अनाथ की! गरीब अमीन की! खैर! छोड़िये यह किस्सा, लेकिन एक मुकदमें में मैं बुरी तरह फंस गया हूं।

क्या?

वकील साहब आप मेरी शक्ल देखें, किसको भाती होगी? अंधेरे में नजर आ जाऊं तो डर जाय और रोशनी में दिखाई पड़ूं तो नफरत पैदा करूं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तो अटक ही गया। गांव-गांव जाता हूं। खेत-खेत पर नापने का काम पड़ता है। एक विधवा से [illegible]